राजस्थान विधान सभा

८४वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक १५ अक्तूबर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–९ बजे पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २००१

राजस्थान में लोहे की खानें व उन खानों से निकाला गया लोहा

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में लोहे की खानें कहां २ हैं ?

(ख) उक्त खानों में से चालू कितनी हैं और बन्द कितनी हैं ?

(ग) पिछले ५ वर्ष में राजस्थान की खानों से कितना लोहा निकाला गया ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त लोहा शुद्ध होने के लिए राजस्थान के बाहर भेजा जाता है ?

(ङ) यदि हां, तो कहां ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) राजस्थान में लोहे की खानें उदयपुर डिविजन में बीगोद व थूर में और जयपुर डिविजन में मोरिजा, नीमला, डावला, पोटली, बागोली-सराय, सवरावली और गुहाला थानरोली में हैं।

(ख) उक्त सभी खानें अभी बन्द हैं।

(ग) करीब २०१९० टन।

Page No.2

[श्री जयनारायण व्यास]

(घ) हां।

(ङ) विदेशों में भेजा गया है।

श्री चांदमल मेहता—इन खानों के बन्द होने का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थिति।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि लोहे को शुद्ध करने का कोई, कारखाना न होने की वजह से ये खानें बन्द हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन यहां कारखाना न होते हुए भी लोहा बनाया जाता था, लेकिन इसके साथ २ बिजली की कमी की वजह से लोहा सस्ता नहीं बनाया जा सकता।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार तो लोहे की खानें शुरू होनी चाहिये, बन्द क्यों पड़ी हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर ही यह बन्द होती हैं और शुरू भी होती हैं। जब डिमान्ड कम होती है तब बन्द होती हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ये खानें कभी चालू भी रहीं या हमेशा से बन्द पड़ी हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—दो साल तक चालू रही हैं।

श्री सन्तोषसिंह—क्या ये खानें इसलिए बन्द हैं कि इसके लिए राजस्थान में कोई अनुभवी आदमी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—यह सूचना आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण बन्द हैं। उसमें आप यह और जोड़ना चाहते हैं।

राजा श्री हिम्मतसिंह—क्या कोटा डिविजन में भी कोई लोहे की खान है ?

श्री जयनारायण व्यास—इस समय मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार लोहे के कारखाने खोलने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार विचार नहीं कर रही है किन्तु माननीय सदस्य अगर किसी पार्टी को लावें और इस सम्बन्ध में सुविधा मांगे तो सरकार बराबर सहायता देगी और उसके प्रस्ताव को सहानुभूति के साथ विचार करेगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पार्टियों को बुलाने के लिये और इनको एक्सप्लोइट करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार अपील करती रहती है, व्यापारियों और उद्योगपतियों से जब कभी उनसे मिलने का मौका पड़ता है तब।

प्रश्न संख्या २००२

राजकीय मुद्रणालय जयपुर में क्रय की गई स्टेशनरी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गवर्नमेंट प्रेस, जयपुर द्वारा राजस्थान निर्माण के बाद किस किस साल में कितने कितने मूल्य की स्टेशनरी खरीद की गई ?

(ख) उक्त स्टेशनरी में से किस २ साल में कितने २ मूल्य की स्टेशनरी बिना टेन्डर इनवाइट किये खरीद की गई ?

(ग) ऐसी स्टेशनरी किस २ व्यापारी से कितने २ मूल्य की खरीद की गई ?

श्री नरसिंह कछवाहा (गृह विभाग के उपमंत्री)—(क) स्टेशनरी जिसमें पेपर भी शामिल है, जो गवर्नमेंट प्रेस में राजस्थान निर्माण के पश्चात् खरीदी गई:—

सन्	रु०	आ०	पा०
१९५०-५१	१,२६,५६८	५	८.
१९५१-५२	५,२१,७५१	१५	०.
१९५२-५३	८,२८,८४५	१	६.
१९५३-५४	९,५८,८३८	०	०.

(ख) कुछ नहीं।

[श्री नरसिंह कछवाहा]

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—जो स्टेशनरी स्टैंडर्ड क्वॉलिटी की नहीं होती है उसके टेन्डर इनवाइट करने का क्या तरीका है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—तरीका जो होता है वही अपनाया जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—यही मैं जानना चाहता हूं कि वह तरीका क्या है ? क्या ऐसी चीज तो नहीं कि टेन्डर इनवाइट ही नहीं किये ? अतः स्टेन्डर्ड चीजें जो होती हैं उनके लिये टेन्डर इनवाइट करने का क्या तरीका है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डिनरी जो तरीका होता है वही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नहीं ।

श्री जवानसिंह—मुख्य मंत्री जरा मदद करें ।

श्री जयनारायण व्यास—ऐसे मामलों में मदद की जरूरत नहीं

श्री अध्यक्ष—यह तो ऑर्डिनरी तरीका है जो सब लोग जानते हैं । नेक्स्ट

श्री हनुवन्तसिंह

(अनुपस्थित)

(श्री पंड्या से) अगर आप पब्लिक इन्टरेस्ट में जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं ।

प्रश्न संख्या २००३

जैसलमेर में बसे हुए शरणार्थियों को सुविधायें

श्री हनुवन्तसिंह—क्या पुनःस्थापन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर में शरणार्थियों की कितनी संख्या है ?

(ख) इनको सरकार ने क्या सुविधायें दी हैं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (पुनःस्थापन मंत्री की ओर से)—(क) १२७७ ।

(ख) शरणार्थियों को जैसलमेर में हिन्द सरकार की ओर से रिहैबिलिटेशन फाइनेन्स

[श्री भोगीलाल पंड्या]

एडमिनिस्ट्रेशन ऋण दिया गया तथा राजस्थान सरकार की ओर से लॉन दिया गया, कपड़े सीने की मशीनें तथा खेती के लिये जमीन दी गई। प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या २००४

श्री अध्यक्ष—श्री हंसराज जटिया।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २००५

राजकीय मुद्रणालय द्वारा विभिन्न विभागों में पार्सल से भेजी गई स्टेशनरी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में गवर्नमेंट प्रेस द्वारा कहां कहां स्टेशनरी पोस्ट पार्सल वा रेलवेपार्सल द्वारा भेजी गई ?

(ख) उक्त स्टेशनरी में से सरकारी दफ्तरों में भेजी गई कितने मूल्य की स्टेशनरी थी ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री गृह विभाग)—(क) चालू वर्ष में गवर्नमेंट प्रेस द्वारा ६१ सरकारी विभागों को स्टेशनरी व पेपर रेलवे पार्सल द्वारा भेजा गया, पोस्ट पार्सल द्वारा अब तक कोई सामान नहीं भेजा गया। उक्त ६१ सरकारी विभागों की सूची सदन की टेबल पर प्रस्तुत है।

(ख) उक्त स्टेशनरी जो रेलवे पार्सल द्वारा भेजी गई है, जिसकी कीमत ३६,२२६) रु० ११ आने ३ पाई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अधिकतर विभागों को स्टेशनरी लेने के लिए विभागीय कर्मचारी को भिन्न भिन्न डिवीजन में आना पड़ता है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—आना भी पड़ता है और रुकना भी पड़ता है।

श्री जवानसिंह—इस व्यवस्था में किसी प्रकार का अन्तर करने की सोच रही है क्या सरकार ?

श्री जयनारायण व्यास—अलग अलग प्रेसों में स्टेश्नरी छपाई जा रही है, ताकि अलग अलग प्रेसों से ही स्टेश्नरी मिल जाय। तजवीज यह है कि जितने भी जीनिंग प्रेसेज हैं उनके साथ साथ छोटे छोटे प्रेसेज जोड़ दिये जांय ताकि स्टेश्नरी नजदीक नजदीक मिल सके। फिर यह देखा जायगा कि आने जाने में पैसा खर्च ज्यादा होता है या पारसल द्वारा भेजने में ज्यादा खर्च होता है। जिसमें कम खर्च होगा वही प्रोसीजर अख्तियार किया जायगा। मुमकिन है आने जाने में खर्च कम हो सकता है और पार्सल द्वारा ज्यादा।

श्री चांदमल मेहता—छपाई के अलावा दूसरी स्टेश्नरी जैसे पेन्सिल, कागज, स्याही आदि उनके लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री जयनारायण व्यास—इस प्रकार की सारी स्टेश्नरी अलग अलग प्रेस में भी दी जाती है।

प्रश्न संख्या २००६

राजस्थान के फोरेस्ट रेन्जर्स का फिक्सेशन

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Forests be pleased to state :

(a) Since how long is the Government contemplating to complete the fixation of Forests Rangers of Rajasthan ?

(b) How much more time is it likely to take now ?

(c) What is the hitch in finalising the fixation of Rangers ?

श्री भोगीलाल पंड्या (वन मन्त्री की ओर से)—(अ) गत तीन वर्ष से।

(ब) लगभग तीन महीने में।

(स) फिक्सेशन के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री मोहब्बतसिंह—रेन्जर्स के फिक्सेशन का क्या प्रोसेस हो रहा है व अब किस हालत में है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उत्तर मैं बता चुका हूँ कि विचाराधीन है।

श्री जवानसिंह—कितने वर्षों से यह विचाराधीन है और अब वह किस स्टेज पर है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तीन वर्ष से कार्यवाही चल रही है।

श्री जवानसिंह—यह विचाराधीन कब से है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने जैसा कि अपने उत्तर में कहा कार्यवाही पूरी हो चुकी है और अब तीन महीने में फिक्सेशन हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री तनसिंह, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या २००७

श्री जवानसिंह—यह जनहित में है इसका जवाब तो दे दिया जाय !

कु०. श्री जसवन्तसिंह—इस रोग से अपने यहां के दो माननीय सदस्य भी पीड़ित हैं; श्री नाथूसिंह और श्री प्रतापसिंह।

श्री अध्यक्ष—They may go to hospital.

(कृपया परिशिष्ठ १ देखिये)

प्रश्न संख्या २००८

राजकीय मुद्रणालय, जयपुर में सन् ५३-५४ के प्रारम्भ में तथा अन्त में जमा शुदा स्टेशनरी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) गवर्नमेंट प्रेस, जयपुर में ५३, ५४ के वर्ष के आरम्भ में कितने रुपये के मूल्य की स्टेशनरी स्टॉक में थी ?

(ख) ५३-५४ के वर्ष में कितने मूल्य की स्टेशनरी खरीद की गई व उनमें से कितने मूल्य की स्टेशनरी राज्यकीय दफ्तरों तथा अन्य व्यक्तियों को दी गई ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) वर्ष के अन्त में कितने मूल्य की स्टेशनरी स्टॉक में थी ?

(घ) सरकार को इस वर्ष स्टेशनरी के क्रय-विक्रय से कितना-कितना फायदा रहा ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उपमन्त्री)—(क) गवर्नमेंट प्रेस, जयपुर में सन् १९५३-५४ के आरम्भ में १,१२,७७९ रुपये ३ आने की मूल्य की स्टेशनरी व कागज २,८६,१६१ रुपया १४ आने ६ पाई के मूल्य का स्टॉक में था।

(ख) सन् १९५३, ५४ के वर्ष में स्टेशनरी १,३१,१६५ रुपये की व कागज ८,२७६७३ रुपये की कीमत का खरीदा गया।

(ग) सन् १९५३-५४ के वर्ष में ६,४४,३४४ रुपये ८ आने की स्टेशनरी व कागज राजकीय विभागों को दिया गया।

(घ) राजकीय विभागों के अतिरिक्त स्टेशनरी व कागज अन्य व्यक्तियों को नहीं दिया जाता।

(ङ) वर्ष के अन्त में ७,१३,४३४ रुपये ९ आने ९ पाई की स्टेशनरी व कागज पोते रहे।

(च) सरकार को स्टेशनरी के क्रय-विक्रय से ३०,७४४ रुपये १३ आने ९ पाई की आय हुई।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष ये कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—प्रश्न संख्या २००८ का।

श्री जवानसिंह—उसमे तो (च) भाग है ही नहीं। क्या आप सप्लीमेन्टरी का जवाब भी साथ में ही पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—ऐसा होता है कि कई बार माननीय सदस्य बड़े बड़े क्वेश्चन्स भेज देते है जिनके कुछ हिस्सों को बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है, किन्तु मिनिस्टर इन चार्ज के पास जो एडवान्स कॉपी चली जाती है उसमें उसके अनुसार जवाब तैयार होते हैं इसलिये यह ऐसे हुआ है।

Page No.9

श्री जयनारायण व्यास—पब्लिक इन्टेरेस्ट में पूरा जवाब देना चाहते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष स्टॉक की जांच नहीं की जाती है जिससे मालूम पड़े कि जितना स्टॉक रहना चाहिये उतना है या नहीं?

श्री नरसिंह कछवाहा—जांच की जाती है, कमी होती है उसकी रिपोर्ट होती है और माल भी लाया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—सन् ५३-५४ के वर्ष के अन्त में जो स्टॉक चैक किया गया क्या यह सही है कि वह स्टॉक कागजों के आंकड़ो के माफिक जितना होना चाहिये था उतना नहीं हुआ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह प्रश्न अलग है।

श्री जवानसिंह—और प्रश्नों के साथ में (घ) प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री भोगीलाल पंड्या—ज्यादा उत्तर दिया तब भी?

श्री चांदमल मेहता—यह जांच करने के बारे में संकेत किया गया है वह कब की गई है?

श्री अध्यक्ष—की जाती है।

श्री चांदमल मेहता—सन ५३-५४ की जांच की गई वह किसके द्वारा की गई यह मैं जानना

श्री नरसिंह कछवाहा—इसकी सूचना मेरे पास अभी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—पर यह तो निश्चित है न की जांच की गई?

श्री अध्यक्ष—यह तो बतलाया है कि निश्चित रूप से जांच की जाती है।

श्री चांदमल मेहता—सन् ५३-५४ की जांच निश्चित रूप से की गई है या नहीं?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह प्रश्न अलग हैं।

श्री अध्यक्ष—और सप्लीमेन्टरी पूछ लीजिये।

श्री चांदमल मेहता—कौनसे महीने में यह जांच हुई थी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो इसी में आ जाता है। नेक्स्ट। श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २००६

रेन्जर्स तथा फोरेस्टर्स के राजस्थान में वेतन तथा ग्रेड

श्री चांदमल मेहता—क्या वनमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कि कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में रेन्जर्स और फोरेस्टर्स की संख्या कितनी है ?

(ख) रेन्जर्स और फोरेस्टर्स की तनख्वाह के ग्रेड क्या क्या हैं ?

(ग) उक्त ग्रेड कब स्वीकृत हुए हैं और किन किन को मिल रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (वन मंत्री की ओर से)—(क) रेन्जर्स की संख्या १०० और फोरेस्टर्स की २३०।

(ख) (I) रेन्जर्स की ग्रेड १००-५-१५० ई० बी० १०-२०० ई० बी० १०-३००।

(II) की १००-५-१५० ई० बी० १०-२००।

(III) फोरेस्टर्स की ग्रेड ३०-१-४५ है।

(ग) अब ग्रेड्स जनवरी, सन् १६५१ में स्वीकृत हुई हैं। जिनकी नियुक्ति उसके बाद हुई है उनको ये ग्रेड्स मिल रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने रेन्जर्स और फोरेस्टर्स हैं जिनकी ग्रेड अभी तक फिक्स नहीं हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह मैं पहले प्रश्न के उत्तर में बता चुका था।

श्री चांदमल मेहता—यह फिक्सेशन कबतक हो जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं लगभग तीन महीने पहले बता चुका था।

श्री चांदमल मेहता—अभी तक फिक्सेशन नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— यह मामला विचाराधीन है।

श्री चांदमल मेहता—यह मामले विचाराधीन इतने समय तक रखने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग अलग डिपार्टमेंट के फिक्सेशन होते आ रहे हैं, ज्यों ज्यों जिसकी पारी आती है उनका फिक्सेशन होता जाता है, अब इस विभाग की भी पारी आ गई है तो फिक्सेशन हो जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २०१० ।

प्रश्न संख्या २०१०

राजस्थान में लोन सर्विस के अधिकारी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सरकार की सेवा में ऐसे कितने अफसर हैं जो लोन सर्विस पर बुलाये गये हैं ?

(ख) उक्त अफसरों के नाम व योग्यताएं क्या क्या हैं ?

(ग) किस किस अफसर को कितने कितने समय के लिये लोन पर बुलाया गया है और वह कार्यकाल कब खत्म हो रहा है ?

(घ) किस किस अफसर के कार्यकाल को बढ़ाने का सरकार विचार रखती है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) १० ।

(ख) व (ग) स्टेटमेंट टेबल पर रख दिया गया है।

(घ) यह प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है। हर एक केस पर उपयुक्त समय पर विचार किया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—जो व्यक्ति लोन सर्विस पर बुलाये गये इसका क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—उस योग्यता का या उस स्पेशल योग्यता का व्यक्ति यहां पर प्राप्त नहीं हो सका था।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जो स्पेशल योग्यता वाले हैं और ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जो स्पेशल योग्यता के बिना ही बाहर से बुलाये गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—जो यहां उपलब्ध नहीं हो सके वे सारे व्यक्ति बाहर से बुलाये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—किस किस योग्यता के व्यक्ति बाहर से बुलाये गये ?

श्री अध्यक्ष—वह लिस्ट पढ़कर बोल दें।

श्री जयनारायण व्यास—टेबुल पर लिस्ट रक्खी जा चुकी है और मैं देखता हूं कि उसमें यह सारी सूचना है।

श्री चांदमल मेहता—मैं निवेदन कर दूं कि रूल्स ऑफ प्रोसीज़र के अनुसार जो चीज़ टेबुल पर रक्खी जाती है उसकी एक प्रति नोटिस रूम में भी दी जानी चाहिये। और चूंकि वह नोटिस ऑफिस में नहीं भेजी गई उस वास्ते उसकी जानकारी हमें नहीं मिल सकी है। इसके बिना सप्लीमेन्टरी करने में भी रुकावट होती है।

श्री अध्यक्ष—आप पढ़ दीजिए ताकि देने का झंझट ही मिट जावे, लिस्ट में ग्यारह ही तो नाम हैं।

श्री जयनारायण व्यास—(१) चीफ सेक्रेटरी। यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की सहायता से लिया जाता है। अभी हैं श्री बी० जी. राव। वह १६।२।५३ को यहां आये।

(२) इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, श्री के. डी. बिलिमोरिया। ये १८।६।५२ को यहां पर आये।

(३) श्री एन् मिस्त्री, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस (सी. आई. डी.) बम्बई में थे। ये ३१।१।५३ को यहां आये।

(४) श्री ए० एन० हरकोली, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, इरिगेशन, यू० पी० में थे। वे १८–३–५३ को यहां आये।

(५) श्री एच० आ० वर्मा. असिस्टेन्ट इन्जीनियर, ईरिगेशन, यू० पी० में थे। ये २०–३–५३ को यहां आये।

Page No.13

[श्री जयनारायण व्यास]

(६) श्री तेजबहादुर सिंह, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, इर्रिगेशन यू० पी० में थे। जो १५–६–५३ को यहां आये।

(७) श्री के० के० ओहरी, टेम्परेरी असिस्टेन्ट इन्जीनियर यू० पी० में थे। ये ३०–५–५४ को यहां आये।

(८) श्री के० बी० माथुर, दिल्ली स्टेट में राशनिंग इन्सपेक्टर थे। ६–२–५१ को ये यहां आये।

(९) श्री ए० डी० नन्दा। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के वे डिफेन्स अकाउन्ट्स में थे। वे यहां डेपूटेशन पर हैं २६–१–४८ से।

(१०) श्री आर. सी. भार्गव। यू. पी. के ए० जी० के आफिस में अकाउन्टेन्ट थे। २३–६–५० को वे यहां पर लाये गये।

श्री चांदमल मेहता—ये जिन अफसरों के नाम बताये गये हैं उनकी विशेष योग्यता कौनसी है जिनकी वजह से इन्हें बाहर से बुलाना पड़ गया?

श्री जयनारायण व्यास—जिस योग्यता के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं तो वह उस व्यक्ति विशेष की योग्यता ही समझी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही नहीं है कि असिस्टेन्ट इन्जीनियर जैसी योग्यता वाले आदमी राजस्थान में एक नहीं बल्कि कई एवेलेबल हो सकते हैं?

श्री जयनारायण व्यास—नहीं थे इसीलिये लाये गये।

श्री चांदमल मेहता—क्या अब इस तरह के आदमी उपलब्ध हैं, यह माननीय मन्त्री महोदय मानते हैं?

श्री जयनारायण व्यास—उपलब्ध थे और जो जो मौजूं होते गये, लिये गये हैं और आगे ज्यों ज्यों मौजूं होते जावेंगे लेते जावेंगे और जो बाहर से बुलाये गये हैं उनका डेपूटेशन का समय ज्यों ज्यों समाप्त होता जावेगा उनको वापिस भेजते जावेंगे। उनका कार्यकाल कब कब खत्म होता है

[श्री जयनारायण व्यास]

नाम लेकर कहने से अधिक समय लगेगा इसलिए मैं उनके साथ जो नम्बर लगे हुए हैं उसी क्रम से बता रहा हूं ?

(१) श्री बी. जी. राव और

(२) श्री के. डी. बिल्लिमोरिया इनके बारे में अभी पत्र-व्यवहार चल रहा है उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। इनकी दो गवर्नमेन्टस के बीच में तय करने की बात है।

(३) ३१-१-५३ से दो वर्ष के लिए।

(४) १८-३-५३ से ,,

(५) २०-३-५३ से ,,

(६) १५-६-५३ से ,,

(७) २०-५-५४ से एक वर्ष के लिए।

(८) इनकी अवधि मुकर्रर नहीं हुई।

(९) २६-१-४८ से २८-२-५५ तक।

(१०) २३-६-५० से २४-१२-५५ तक।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही हैं कि नम्बर ६ की योग्यता वाले व्यक्ति हमारे यहां मौजूद हैं और जिनकी मियाद नहीं निश्चित हुई है, इस हालत में क्या ये स्थान राजस्थान वासियों को दिये जावेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—नम्बर ६ की योग्यता वाले मौजूद हो सकते हैं लेकिन वह सन् ४८ में लिए गये थे और उनके साथ जो करार था वह २८-२-५५ तक है।

एक माननीय सदस्य—जो असिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाये गये हैं वे इन्जीनियरिंग में सर्टे या ग्रेजुएटडिप्लोमा होल्डर्स हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--किसकी क्या योग्यता है इसकी डिटेल तो मेरे पास इस समय नहीं है, पर यहां उस तरह की योग्यता के व्यक्ति नहीं थे इसलिए उन्हें बाहर से बुलाया गया है।

श्री हिम्मतसिंह--यहां ऐसे योग्य आदमी कबतक हो जावेंगे ?

श्री घीसीसिंह--क्या ऐसी योग्यता के व्यक्ति सरकार अपने यहां पैदा नहीं करना चाहती ?

श्री जयनारायण व्यास--अब कॉलेज भी खुल गया है। सिविल इन्जीनियरिंग की शिक्षा वहां दी जा रही है। और बाकी अब योग्यता के व्यक्ति पैदा करना सारा सरकार पर मुनस्सिर नहीं है थोड़ा सारी जनता पर भी मुनस्सिर है।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति तो बहुत हैं पर उनको मौका नहीं देने की वजह से योग्यता वाले व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाते ?

श्री जयनारायण व्यास--राजस्थान के लोगों को मौका दिया गया है और इसी का परिणाम है कि आज दस ही व्यक्ति बाहर के नजर आते हैं, नहीं तो पहले पुरानी स्टेटों के समय में और राजस्थान बनने से पहले भी कितने लोग बाहर के थे और जब सन् ५१ में हमने चार्ज लिया उस समय की संख्या और अब की संख्या का आप मुकाबला करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी संख्या कम हुई है।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी की योग्यता वाले आदमी यहां पर मौजूद हैं और राजस्थान की परिस्थिति को अच्छी तरह से जानने के कारण वे इन आज के व्यक्ति से कहीं अधिक अच्छा काम कर सकते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--चीफ सेक्रेटरी का प्रश्न भारत सरकार से सम्बन्धित है और यह हमारे साथ लिखा पढ़ी भी है, इसलिए भारत सरकार से सलाह लेनी पड़ती है।

श्री चांदमल मेहता--क्या राजस्थान सरकार राजस्थान के किसी व्यक्ति के बारे में सलाह नहीं दे सकती ?

श्री जयनारायण व्यास--ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना वाजिब नहीं समझूंगा क्योंकि यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में राय दे सकती है या नहीं।

श्री जयसिंह राणावत--चीफ सेक्रेटरी के बारे में लिखा पढ़ी का आपने बताया सो वह रखने के बारे में है या रवाना करने के बारे में ?

श्री जयनारायण व्यास—रखने के बारे में लिखा पढ़ी हुई तब तो रखे गये हैं, और जाने के बारे में लिखा पढ़ी हुई हो तो जाने का समय आयेगा तब जायेंगे।

श्री जवानसिंह—क्या मंत्रीजी बतलायेंगे कि किशनगढ़ के उपचुनाव से आने वाले माननीय सदस्य किसी भी राजस्थानी को चीफ सेक्रेटरी रखना अच्छा समझते थे, तो क्या उपचुनाव से आने के बाद बाहर से आने वाले चीफ सेक्रेटरी की योग्यता में कुछ ज्यादा इजाफा हुआ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य के ऊपर किशनगढ़ उपचुनाव का बहुत असर हुआ है। चीफ सेकेट्री के सम्बन्ध में जो लिखा पढ़ी और जो निश्चय किया गया था वह किशनगढ़ उपचुनाव से पहले किया गया था और किशनगढ़ उपचुनाव से पहले जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर था वही व्यक्ति अब चीफ मिनिस्टर है। वह दोनों स्थितियों से वाकिफ था।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर!! नेक्स्ट; श्री मोहब्बतसिंह।

प्रश्न संख्या २०११

दिनांक १ सितम्बर, १९५४ से सिरोही अस्पताल में सर्जन तथा वर्तमान सी. एम. ओ. द्वारा किए ऑपरेशन

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Medical and Health be pleased to state;

(i) Is it a fact that since 1-9-1954 there is no surgeon in the Sirohi Hospital?

(ii) If the answer is in no, how many surgical operations have been made in the said Hospital since 1-9-1954 and with what results?

(iii) How many operations have been done by the present C.M.O. Sirohi during the last two years and with what results?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ मंत्री)—(१) यह कहना सत्य नहीं है।

(२) १-९-५४ से २५-६-५४ तक ८० ऑपरेशन किये गये जिनमें ७६ अच्छे हुए।

(३) सिरोही आने से पूर्व वर्तमान पी. एम. ओ. पिछले २ वर्षों में बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ भी रहे। समया भाव के कारण वहां के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह ८० ऑपरेशन की संख्या बताई है वह ठीक संख्या है ?

श्री अध्यक्ष—वह ठीक ही है।

(हंसी)

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उनमें से मेजर ऑपरेशन कितने थे और माइनर ऑपरेशन कितने थे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह दोनों मिलाकर हैं।

श्री हिंम्मतसिंह (अटरू)—जवाब पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—यह पूछते हैं कि बड़े ऑपरेशन कितने थे और छोटे ऑपरेशन कितने थे ? अलग अलग संख्या दी जाय।

श्री कुम्भाराम आर्य—यह इसमें मिले हुए हैं, इसलिए अलग अलग नहीं हो सकते हैं।

(हंसी)

श्री हिमम्तसिंह (अटरू)—मेजर ऑपरेशन में सबसे सीरियस किस किस्म का था ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैंने आपसे कहा कि इसका अलग २ ब्यौरा नहीं है।

कर्नल श्री दिलीपसिंह—जो ऑपरेशन फैल हुआ वह किस बात का था ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वह पेट की झिल्ली के सूजन का था। बीमार जो था उसका नाम था भूरा। वह १०-६-५४ को भरती हुआ और १४ को ऑपरेशन हुआ और १५ को उसकी मृत्यु हो गई।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—एनेस्थेटिक देने के लिए डॉक्टर वहां मौजूद था या नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—हां जी।

(हंसी)

श्री जवानसिंह—यह नहीं बताया मंत्री महोदय ने कि इन ऑपरेशन में सिरोही आने के पश्चात् कितने हुए ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह सिरोही के ही बतलाये गये हैं।

श्री जवानसिंह—क्या मंत्री महोदय निश्चयपूर्वक बतलायेंगे कि इन ऑपरेशन्स में से आधे से ज्यादा ऑपरेशन नहीं हुए, तो क्या उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां।

श्री जवानसिंह—कितने अवधि काल से यह डॉक्टर साहब वहां हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—समझा नहीं।

श्री जवानसिंह—When did this doctor arrive at Sirohi and for how long is he there.

मैंने सोचा हिन्दी में शायद आप समझते नहीं।

श्री अध्यक्ष—There should be no sting. That does not raise our standard.

श्री कुम्भाराम आर्य—१२-८-५४ से।

श्री जवानसिंह—How about the year.

('५४' की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—यह पूछते हैं कि कब से कब तक रहा।

श्री कुम्भारम आर्य—कहां पर, सिरोही में ?

श्री अध्यक्ष—हां।

श्री कुम्भाराम आर्य—१-९-५४ से २५-९-५४ तक ८० ऑपरेशन किये हैं और अभी तक वहां हैं।

श्री अध्यक्ष—और कुछ सवाल पूछ सकते हैं।

Should we repeat all this, if any member is present ? I do not think.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री केसरीसिंह डिवीजन नं० ७६ ने ११-९-५४ से पूर्ण सत्र तक के लिए विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित

[श्री अध्यक्ष]

रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान विक्रय-कर विधेयक, १९५४

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

क्लॉज़ ४।

पहले क्लॉज़ ४ ही लेंगे ?

श्री **भोलानाथ** (पृथक राजस्व मन्त्री)—५ का ड्राफ्ट अभी आ रहा है। सर्क्यूलेट करना है थोड़ा। इसलिए ८ से शुरू कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आगे वाले तैयार हैं ?

श्री **भोलानाथ**—जी हां।

श्री अध्यक्ष—४,५, ६ डेफर कर दिये जायं।

श्री **भोलानाथ**—६ भी पास हो गया है और ७ भी पास हो गया है। ६ और ७ दोनों निकल गये।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ६ की रिड्राफ्टेड क्लॉज़ है, वह हमें दे दीजिये ताकि फिर क्वेश्चन में रखकर निर्णय लें।

(विराम)

क्लॉज़ ७

श्री **भोलानथ**—क्लॉज़ ७ हो गया।

श्री अध्यक्ष—Then clause 8.

श्री भोलानाथ—हां जी, ८ से शुरु होगा।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ८, श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री अवनिकुमार मुकर्जी।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 8:

"Substitute the words prescribed authority for the words Sales Tax Officer wherever they occur in the clause."

अध्यक्ष महोदय, अगर हम क्लॉज़ ८ को देखेंगे तो सब क्लॉज़ (सी) में इस तरह का आया है:

"...He shall within fifty days, inform the Sales Tax Officer accordingly." जहां तक डेफिनिशन को देखेंगे तो सेल्स टेक्स ऑफिसर को जो पॉवर डेलीगेट हुए हैं, तो वह डेफिनिशन में कहीं नहीं हैं। दूसरे प्रोविन्सेज़ में जो सेल्स टेक्स ऑफिसर को जो अधिकारी थे उसको हमने यहां एसेसिंग ऑथोरिटी के रूप में दिये हैं। तो इस तरह के प्रोविजन्स जैसे कि क्लॉज़ ८ में चाहे गये हैं, वह किसको दिये जांय एसेसिंग आथोरिटी को या किसको? इस दृष्टि से मैंने इसमें जहां सेल्स टेक्स ऑफिसर आया है, उसके बजाय प्रेस्क्राइब ऑथोरिटी रखने के सम्बन्ध में एमेंडमेंट दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस एमेंडमेंट को माननीय मन्त्रीजी स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—दूसरा अमेंडमेंट और है आपका।

श्री चांदमल मेहता—वह तो एक और क्लॉज़ एड करने के लिए है। यह हो जाय तो बाद में उस पर अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष—उसके ऊपर भी कह डालिए।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment after Clause 8:—

[श्री चांदमल मेहता]

Add new clause 8A, as under—

"Tax payable by transfer of business- (1) When the ownership of the business of a dealer liable to pay tax under this Act is entirely transferred, any tax payable in respect of such business and remaining unpaid tax at the time of transfer, shall be payable by the transferee, as if he were the dealer liable to pay such tax and the transferee shall also be liable to pay tax under this Act. On the sales or supplies of goods, effected by him with effect from the date of such transfer and shall within thirty days of the transfer apply for the registration under the provisions of this Act unless he already holds a certificate of registration.

(2) When a dealer liable to pay tax under this Act, transfers the ownership of a part of business, the transferee shall be liable to pay tax under this Act in respect of the stock of goods transferred along with that part of his business which is not so transferred, as if the goods have been sold by him, unless the transferee holds or obtain within the prescribed period a certificate of registration.

(3) (i) When a firm liable to pay tax under this Act is dissolved, each of such partner thereof shall, or

(ii) Where the Hindu joint family liable to pay tax under this Act is separated, each of its members shall, unless he holds or obtains within the prescribed period a certificate of registration, be liable to pay tax under this Act on the proportion of the stock of goods remaining unsold equal to his share or interest in the firm or family as the case may be.

(4) When a dealer to whom part of a business has been transferred or who has obtained the whole or part of the stock relating to the business of a partnership which has been discontinued or dissolved obtains a certificate of registration under this Act, shall be liable to pay tax on the sales or supplies of the goods, effected by him, with effect from the date of such transfer of business, discontinuance or dissolution of the partnership as the case may be."

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस बिल में इस तरह का कोई क्लॉज़ नहीं है कि अगर कोई डीलर अपने सारे माल को या अपनी फर्म को दूसरे के नाम ट्रान्सफर करदे तो उस स्थिति में टैक्स के लिये कौन लाएबल होगा। जहां तक टैक्स के लाएबल होने का सवाल है, वहां तक हमारे यहां यह व्यवस्था है कि जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उनसे टैक्स वसूल कर सकते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को

[श्री चांदमल मेहता]

ट्रान्सफर किया गया है जो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो उस समय के लिये जब तक कि वह अपने आपको रजिस्टर्ड नहीं करा लेता तब तक के लिये उस व्यापारी से टेक्स वसूल होगा जो ट्रान्सफर करता है या खरीदनेवाले से वसूल होगा, क्या स्थिति होगी, इसका पता नहीं है ? मैंने यह बताने की कोशिश की है कि यदि कोई एन्टायर ओनरशिप (Entire ownership) ट्रान्सफर करता है तो जो ट्रान्सफरी है वह टेक्स देने के लिये लाएबल होगा और यदि वह अनरजिस्टर्ड है तो विदिन ३० डेज़ के लिये लाएबल होगा कि अपने आपको रजिस्टर्ड करवाले। दूसरी बात यह है कि यदि वह एन्टायर ओनरशिप ट्रान्सफर न करे और कोई पार्ट ट्रान्सफर करे तो उस स्थिति में क्या होगा ? तो उस हालत में भी इसीढ़ंग की व्यवस्था रखी है।

तीसरा सब क्लॉज़ इस सम्बन्ध का है कि जब कोई फर्म डिजोल्व हो गई है या पार्टनरशिप है तो उस स्थिति में क्या बात होगी ? जो भी सब क्लॉज़ रखे हैं वे इस बात की पूर्ति के लिये हैं। सरकार के पास जो आमदनी टेक्स के रूप में आने वाली है वह व्यापारी की चोरी या चालाकी या ट्रिक की वजह से गड़बड़ में नहीं पड़ जाय इसलिये यह प्रोविज़न रखा गया है। कोई व्यापारी यह सोच ले कि मैं फर्जी तौर से दूसरे आदमी के नाम ट्रान्सफर कर दूं और टेक्स से बच जाऊं या यह भी सोच ले कि दो भाई हैं वे पार्टनरशिप में तबदील हो जायें, क्यों कि उससे अनरजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो टेक्स के लिये लाएबल नहीं हों। इस तरह की व्यवस्था इस एक्ट में करने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में इस तरह के जो एक्ट्स हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था है। इस बिल में यह बहुत बड़ी खामी थी जिसकी पूर्ति के लिये व नियंत्रण करने के लिये यह अमेंडमेंट रखा है, जो बहुत ही आवश्यक हैं और इसे इस बिल का अंग बनाना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि मंत्रीजी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, श्री चांदमलजी के दोनों अमेंडमेंट इस प्रकार के हैं जिनको स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो बड़ा अमेंडमेंट आया है, जो कि क्लॉज़ '८ ए' के नाम से है वह रात में निकाला गया है, इसलिये यह पता नहीं है कि उसकी लीगल ड्राफ्टिंग ठीक है या नहीं। जहां तक इसकी मंशा है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ड्राफ्टिंग ठीक या नहीं, इसके बारे में अभी अर्ज नहीं कर सकता। फिर भी इसको स्वीकार करने में ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—The spirit is acceptable.

अब क्लॉज़ ८ पर जो संशोधन है वह शायद आपको मंजूर है।

श्री भोलानाथ—जी हां, फर्स्ट तो मंजूर है और उनका कहना है कि दूसरे अमेंडमेंट की इबारत किसी एक्ट में से ली गई है और वह ठीक है तो उसको भी मंजूर करने में कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८, पर जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृति)

संशोधन स्वीकार किया जाता है।

८ ए. को अभी डेफर कर देते हैं। उसका लीगल ड्राफ्ट आप पेश कर दीजिये, उसके बाद उस पर निर्णय ले लिया जायगा।

क्लॉज़ ९

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ९, पर मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं। पहले को तो मैं मूव नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—नं० ७० पर है, उसको मूव नहीं करना चाहते ?

श्री चांदमल मेहता—जी हां। दूसरे अमेंडमेंट को मूव करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है :

'Subsititute sub-clause (5) as under—

'In determining the tax for the year 1955-56, the assessing authority shall allow a rebate of 25 persent of the tax payable by a dealer on imported goods if they had been imported before April 1st, 1955.'

अध्यक्ष महोदय, ओरिजिनल बिल में सब क्लॉज़ (५) इस प्रकार है:—

"In determining the tax for the year 1954-55. the assessing authority shall allow a rebate, verying from 20 per-cent to 40 per sent, as may be found necessary, of the tax payable on imported goods by a dealer who had in his stock on the day of enforcement of this Act, goods imported before that date." जो ओरिजिनल बिल है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि इस बिल के कमेंसमेंट के ऊपर स्टॉक में जो माल होगा उसके ऊपर २० प्रतिशत से ४० प्रतिशत तक रिबेट दिया जायगा। यह ५४—५५ की साल के टैक्स के सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि जो सेल्स टैक्स लागू होने वाला है और जैसा कि कहा गया है, कस्टम की अवधि जो है उसके खत्म होने के बाद यह लागू होगा, तो जो रिबेट

[श्री चांदमल मेहता]

उस पर देंगे वह ५४-५५ का नहीं होगा बल्कि ५५-५६ का होगा। तो इस दृष्टि से मैंने रिबेट के बारे ५५-५६ सब्स्टीट्यूट करने की कोशिश की है।

दूसरी बात रखी गई है वह यह है कि २० परसेंट से ४० परसेंट तक जो रिबेट देंगे, उसके लिये जो व्यापारी के पास माल स्टॉक में होगा उसके लिये, यह जो रिबेट देने का तरीका है वह ऐसा है कि इससे इसमें बड़ा भ्रष्टाचार चलेगा। किसको २० परसेन्ट रिबेट देना चाहती है और किसको ४० प्रसेन्ट रिबेट सरकार देना चाहती है ? हमें एक ही रेट मुकर्रर करनी चाहिये, किसी खास व्यापारी के पास इम्पोर्टेड गुड्स हैं, उन पर कोई फेवर नहीं करते हुए हमें निश्चित परसेंटेज़ मुकर्रर करना चाहिए। इसलिए मैंने २० परसेन्ट से ४० परसेन्ट तक रिबेट देने के स्थान पर २५ परसेन्ट रिबेट देने का सुझाव दिया है।

तीसरी चीज स्टॉक के सम्बन्ध में है। स्टॉक के आधार पर रिबेट देने की बात जो इसमें रखी गई है, उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि अगर व्यापारी को मालूम हो जाय कि स्टॉक के आधार पर रिबेट देंगे तो स्टॉक में व्यापारी अच्छी तरह से कमी बेशी कर सकते हैं। अधिकारियों को कन्वीन्स करना व्यापारियों के लिए मामूली काम है। जो व्यापारी चुस्त और चालाक हैं और ऑफीसर्स से ताल्लुक बना सकते हैं, वे तो अधिकारियों से मिलकर फायदा उठा लेंगे। अब जो व्यापारी होशियार नहीं हैं, अधिकारियों से मेल जोल नहीं कर सकते वे फायदा नहीं उठा सकेंगे।

इसलिए मैंने यह रखा है कि १ अप्रेल, १९५५ से पहले जो माल मंगाया है यानी Import किया है उस पर रिबेट देंगे।

मध्य भारत में भी यह चीज है। एक ही परसेन्टेज़ मुकर्रर है, यह भी व्यवस्था की है कि इम्पोर्टेड गुड्स फलां तारीख से पहले के होंगे उन्हीं पर हम रिबेट देंगे। मध्य भारत में जो किया गया है उसी के आधार पर उन्हीं शब्दों में मैंने यह रखा है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर गौर करेंगे और इसे स्वीकार करने की कोशिश करेंगे।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (५) में २० परसेन्ट से लेकर ४० परसेन्ट तक रिबेट देने को कहा गया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यापारियों के पास जितना ही स्टॉक होगा, सरकार जांच नहीं कर सकेगी कि किसको २० परसेन्ट रिबेट दिया जाय और किसको ४० परसेंट दिया जाय। इसलिए एक ही परसेन्ट सबके लिए समान रूप से मुकर्रर होना चाहिए। जो कोई स्टॉक १ अप्रेल, १९५५ से पहले का होगा उसके व्यापारी के पास बिल भी होंगे, कस्टम की रसीद भी होगी। इस तरीके से पहले पहल जिस व्यापारी के पास जितना भी माल मिले उस पर

[श्री सन्तोषसिंह]

पूरा का पूरा रिबेट दिया जाय। उसके पास जितना माल है इसके लिए बिल और कस्टम की रसीदें देखकर सरकार पता चला सकती है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उनको पूरा-का-पूरा रिबेट दे दिया जाय, नहीं तो नहीं बिकेगा तब सेल्स टेक्स देना पड़ेगा और कस्टम ड्यूटी पहले दी जा चुकी है तो इस तरह से दुगुना टेक्स देना पड़ेगा। २० परसेंट से लेकर ४० पर्सेंट तक रखने से तो बड़ा भ्रष्टाचार फैलेगा। अतः एक ही साथ पर्सेंट मुकर्रर करें। मैं तो कहूंगा कि हरेक व्यापारी के पास बिल मिल सकते हैं, कस्टम्स की रसीदें मिलती हैं और उनसे सरकार जांच कर सकती है, तो फिर पूरा-का-पूरा रिबेट देना चाहिए।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—May I say, sir.

श्री अध्यक्ष—Yes.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ९ के मुतल्लिक मुझे कुछ शब्द कहने हैं एक तो केज्युअल ट्रेडर की डेफिनिशन को बिल से निकाल दिया है और क्लॉज़ ९ में केज्युअल ट्रेडर का प्रोविज़न तीन चार जगह आया है; तो यह जो एक कोन्सीक्वेन्शियल चेंज है वह होना चाहिए।

श्री भोलानाथ—ठीक है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सब क्लॉज़ (१) (ए) का प्रोवीज़ो है वह केज्युअल ट्रेडर के लिए है :

"Provided that in the case of a casual trader the assessment shall be made as soon as the return of turnover has been recieved." तो यह डिलीट होगा।

इसके अलावा जहां कहीं 'केज्युअल ट्रेडर' शब्द आया है वह डिलीट होगा। दूसरे सब क्लॉज़ २ के (३) में लिखा है :

"(iii) to produce or cause to be produced such accounts or documents pertaining to the assessment year and to three years preceding as the assesing authority may require."

तो फर्स्ट टू इयर्स के लिए यह जरा मुश्किल होगा कि ३ साल का हिसाब उन व्यवसाइयों, व्यापारियों से मांगा जाय। अगर मांगा जाय तो भी वे कैसे पेश कर सकेंगे, जबकि उन्होंने उस तरह

Page No.26

[श्री जसवन्तसिंह]

से हिसाब मेन्टेन ही नहीं किया है। जो भी कानून शुरू में लगाया जाता है। तो इसके लिए आपत्ति आ जाती है, इसके लिए प्रोविजन रखना जरूरी है।

श्री भोलानाथ—लॉ में तो हमेशा के लिए प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट टू ईयर्स के लिए ही थोड़े ही है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मेडिकल बिल ३ साल पहले कानून बना था और उसमें यह लिखा है कि मेडिकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्टर किये जायेंगे, फिर मेडिकल कौन्सिल बनेगी। आपत्ति यह हुई कि यह दोनों बातें शुरू साथ में कैसे हों तो इस तरह ३ साल बीत गये। फिर भी न तो मेडिकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्टर हुए और न मेडिकल कौंसिल स्थापित हुई। अब प्रेक्टिशनर्स नामजद किए गये।

तो इस तरह फर्स्ट टू ईयर्स के लिए थ्री इयर्स का रूल लागू नहीं होगा, थर्ड ईयर से लागू होगा ऐसा नहीं होने पर बड़ी दिक्कत आयेगी।

सब क्लॉज़ (५) के लिए जो श्री संतोषसिंहजी ने जो सुझाव रखा है उसकी मैं ताईद करता हूं। जो सर्टीफाइड गुड्स इस एक्ट के लागू होने से पहले इम्पोर्ट किये गये हैं और जिनकी कस्टम ड्यूटी पे की जा चुकी है, उस पर २० परसेन्ट, ४० परसेन्ट रिबेट दिया गया तो इससे ऐसी बात की गुंजायश है कि बड़ी गड़बड़ी होगी।

जैसे संतोषसिंहजी ने कहा है, अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है, इस एक्ट के लागू होने के पहले हमारे प्रान्त में आ गया है और उसकी पूरी कस्टम ड्युटी पे की जा चुकी है, तो इस सेन्स में इस सब क्लॉज़ (५) को भी तरमीम करना आवश्यक हो गया है।

श्री भोलानाथ—माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अमेंडमेंट तो हैं नहीं, केवल सुझाव हैं, उनको मैं स्वीकार करता हूं। यहां जो ३ साल का प्रश्न है 'फर्स्ट टू ईयर्स' में उसके लिए यह है कि बिल तो हमेशा के लिए बना है, इसका करेक्शन करना आवश्यक हो तो ड्राफ्टिंग हो जाय।

श्री अध्यक्ष—रूल्स में हो जाय।

श्री भोलानाथ—बिल में जिक्र करने की बात हो तो और बात है, वरना रूल्स में हो जायगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—रूल्स में तो आवेगा । In the face of the law rules would not prevail.

श्री भोलानाथ—एमेन्डमेंट भी इस क्लॉज के साथ सूट करता हो तो उसको लाना जरूरी है ।

श्री वेदपाल त्यागी—प्रोविज़ो एड कर सकते हैं ।

श्री भोलानाथ—दूसरा एमेन्डमेंट कस्टम के सिलसिले में है। जहां तक हमारा और हमारे अधिकारियों का खयाल है कि जब एक दफे कस्टम ले लिया जा चुका है तो उस पर सेल्स टेक्स लेना नहीं चाहिये । लेकिन इसमें कुछ व्यापारी ऐसे होंगे जिसको अपनी रसीदें पेश करने में बहुत मुश्किल आवेगी । इस लिये हमने एडहॉक बेसिस पर यह रखा है । अगर वे रसीदें पेश करना ठीक समझते हैं और कर सकते हैं तो कोई एतराज नहीं हो सकता, यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे रसीदें पेश करें ।

श्री चांदमल मेहता—इसमें बड़ी दिक्कत आ जावेगी ।

श्री भोलानाथ—यह तो एडहॉक बेसिस पर कायम किया गया है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अगर वे इस बात को साबित कर दें कि उन्होने कस्टम दे दिया है तो सेन्ट पर्सेन्ट रीबेट मिलेगी ।

श्री भोलानाथ—अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, मगर मैं यह कहूंगा कि व्यापारियों को रसीदें लाने में बहुत दिक्कत होगी ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—If the assessing authority is satisfied that the goods have been imported before the commencement of tbis Act, then it should be given cent per-cent rebate; that is if the Government authorities are satisfied.

श्री अध्यक्ष—(श्री पृथक राजस्व मंत्री से) What is the decision ?

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष, वैसे तो इसमें जो २० प्रतिशत से ४० प्रतिशत रीबेट की बात रखी गई है वह ऐसा खयाल करके रखी गई है कि व्योपारियों का माल अधिक तर करके ३, ४ महिनोंमें निकल जाता है । जब माल ३ या ४ महीनों में अधिकतर निकल जाता है तो खयाल यह किया जाता है कि २५ प्रतिशत भी माल स्टोक में नहीं रहेगा । फिर भी हमने २० से ४० प्रतिशत रीबेट की बात रखी है । अतः मेरी राय में २५ प्रतिशत के लिये जो अमेंडमेंट है, उसको मैं मंजर करने में कोई एतराज नहीं समझता ।

कु० श्री जसवन्तसिंह--वह प्रेक्टीकेबिल कैसे होगा ?

श्री भोलानाथ—If he would not be able to prove.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Then he should not be given any rebate.

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा इस संबन्ध में एक्सप्लेनेशन दे दूं ?

श्री अध्यक्ष—जवाब देते हैं।

श्री चांदमल मेहता—हालांकि मेरा अमेंडमेंट स्वीकार कर लिया गया है लेकिन जिस प्रकार विरोधी दल के नेता ने कहा कि जो माल स्टोक में हो और उस पर कस्टम ले लिया जा चुका हो उसको इस सेल्स टेक्स से मुक्त रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि मैंने जो अमेंडमेंट रखा है वह इसकी पूर्ति करता है। मैंने यह बताने की कोशिश की है कि जो गुड्ज इम्पोर्ट किया गया उसके ऊपर २५ प्रतिशत पर रीबेट दे दें तो स्टोकिस्ट और सरकार दोनों को दिक्कत दूर हो जावेगी, स्टोकिस्ट को रसीदों आदि पेश करने की दिक्कत कम हो जावेगी। अमुमन ऐसा खयाल किया जाता है कि जब कोई माल इम्पोर्ट करता है तो उसके पास वर्ष के अन्त में ज्यादा से ज्यादा २५ या ३० प्रतिशत माल कुल Imported goods का बच रह जाता है। व्योपारियों की रसीदों आदि की कठिनाइयों को दूर करने के लिये मैं समझता हूं कि यदि Imported goods के २५ प्रतिशत रीबेट मिल जावेगी तो व्योपारी यह समझेगा कि पूरा रीबेट मिल गया है। उनकी बहुत सी दिक्कतें कम होंगी। वर्ष के अन्त में अधिक से अधिक २५ या ३० प्रतिशत से ज्यादा माल रहता नहीं है। जब इसको मंजूर करते हैं तो व्योपारियों की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं जिसको माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है। मैं समझता हूं यह विरोधी दल के नेता को भी स्वीकार होगा।

श्री अध्यक्ष—निर्णय क्या रहा ? मैं एक एक सब क्लॉज़ को वोट पर रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ के सब-क्लॉज़ (१) के प्रोविजो को डिलीट करने का संशोधन स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ १ का प्रोविज़ो डिलीट किया गया।

कु० श्री जसवन्त सिंह—'९' में मैंने ने रखा हैं:

"Assessment of taxable turnover and determination of tax due for any year, shall be made after the returns for all the periods of that year have become due."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ का सब क्लॉज़ (१) (ए) स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉ ६ की क्लॉज़ (१) (ए) स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ का सब क्लॉज़ (१) (बी) में जो 'केज्युअल ट्रेडर' शब्द हैं उनको सब क्लॉज़ (१) बी में से निकालने का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

यह संशोधन भी स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ का सब क्लॉज़ (१) (बी) संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

(स्वीकृत)

संशोधित रूप से क्लॉज़ ६ का सब क्लॉज़ (१) (बी) स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ का सब क्लॉज़ (सी) स्वीकार की जावे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसमें उपखण्ड (१) (सी) में भी केज्युअल ट्रेडर है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (१) (सी) में शब्द "केज्युअल" ट्रेडर को डिलीट किया जावे।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (१) (सी) अन्तर्गत शब्द 'केज्युअल ट्रेडर' को डिलीट किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ के सब क्लॉज़ (१) (सी) को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९ के सब क्लॉज़ (१) (सी) को संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

कुं० श्री जसवन्तसिंह--मेरा भी एक एमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष—आपका सब क्लॉज़ (२) के पार्ट (३) में है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह--यह कुछ झंझट का है।

श्री अध्यक्ष—मैं क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (१) के पार्ट (३) को पेन्डिंग रखता हूं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (२) के पार्ट्स (१) व (२) स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (२) के (१) और (२) भाग स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ का सब क्लॉज़ (३) स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९ का सब क्लॉज़ (३) स्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No.31

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ के सब क्लॉज़ (४) में जो शब्द 'केज्युअल ट्रेडर है' उनको डिलीट किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ का सब क्लॉज़ (४), संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (४) को संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम]

सब क्लॉज़ (५), इस बारे में प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ के सब क्लॉज़ (५) में जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री चांदमल मेहता—मन्त्री महोदय ने इसको स्वीकार किया था।

श्री भोलानाथ—इसको स्वीकार नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष—No, accepted. Be fair to the House.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (५) को स्वीकार किया जाय ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसका अभी कन्सीडरेशन करना बाकी है। पोइन्ट यह रह जाता है कि उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रिक गुड्स की दूकान को ले लीजिए। सेन्ट-परसेन्ट गुड्स इम्पोर्टेड हैं, जिन पर कस्टम ड्यूटी लग चुकी है और वह वाउचर्स से सिद्ध करने के लिए तैयार है......

श्री अध्यक्ष—डेफर कर दें क्या इसको ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Yes, holdon कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—डेफर कर दिया गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १०

श्री चांदमल मेहता—इसमें से भी 'केज्युअल ट्रेडर्स' शब्द निकलेंगे साहब ।

श्री अध्यक्ष—'केज्युअल ट्रेडर्स' शब्द परेशान कर रहे हैं ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० के अन्तर्गत सब क्लॉज़ (१) व (२) में जहां 'केज्युअल ट्रेडर्स' शब्द आये हैं उनको डिलीट कर दिया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०, संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ११

श्री चांदमल मेहता—इसमें भी 'केज्यूअल ट्रेडर्स' शब्द आये है, जो कि निकलेंगे ।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ११, श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(अनुपस्थित)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ में जो शब्द 'केज्युअल ट्रेडर्स' आये हैं उनको डिलीट किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १२, श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendments to clause 12—

"(1) Delete the first proviso to sub clause (1)

(2) Substitute the following for the second proviso:—

'Provided that no appeal against an order of assessment with or without penalty shall be entertained by the said authority unless it is accompanied by satisfactory proof of the payment of the tax with penalty, if any, in respect of with the appeal has been preferred."

"(3) Add a new proviso just below the second proviso as under :-

'Provided further that the said authority may, if it deemsf it, for reasons to be recorded in writing, entertain an appeal against such order, without payment of the amount of tax, including penalty, if any, or on proof of payment as such smaller amuont as it may desire."

[श्री चांदमल मेहता]

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ १२ पर मेरे तीन अमेंडमेंट्स हैं। पहला अमेन्डमेन्ट तो बहुत ही साधारण है जो कि प्रविज़ो नम्बर १ को डिलीट करने के बारे में है, जिसका कि केज्युअल ट्रेडर्स से सम्बन्ध है और केज्युअल ट्रेडर्स शब्द को परिभाषा में से निकाल देने के बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।

दूसरा जो प्रोविज़ो है उसमें कोई विशेष भावों में फर्क नहीं है। सिर्फ इतनी ही तब्दिली रखी गई है कि टेक्स पेमेन्ट के सेटिस्फेक्टरी प्रूफ पर अपील करने की जो व्यवस्था बिल में की है किन्तु मैंने उसमें यह रखा है कि यदि टेक्स में पेनेल्टी भी हो तो वह भी उसमें शामिल हो। जिस तरह टेक्स की परिभाषा को डिफाइन किया है, उसी तरह टेक्स के साथ पेनेल्टी और लगाते हुए मैंने प्रोविज़ो नम्बर २ को अमेन्ड किया है। मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति जैसी बात नहीं है।

मैंने एक नया प्रोविज़ो और जोड़ा है। इसके जरिये अपीलेंट ऑथोरिटी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह चाहे तो बिना टेक्स और पेनाल्टी जमा कराये भी अपील सुन सकती है या टेक्स की रकम से कम रकम भी जमा कराने का आदेश दे सकती है; ऐसा अधिकार व्योपारी को सुविधा की दृष्टि से कुछ प्रोविन्सेज़ में दिया गया है, और जहां नहीं था वहां इसको बढ़ाया गया है।

मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

I think these amendments cover his amendments-per se redundant. Amendment No. 23 is redundant in view of the fact that the 'casual trader's' definition has been deleted.

Amendment No. 24. इसको भी रखा है। आपने देख लिया होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—थोड़ा सा फर्क है।

Mr. Speaker Sir, I beg to move the following amendment : clause 12:—

"Delete the second proviso and substitute in its place the following:—

"Provided that no appeal shall be entertained under this sub-section unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of tax as per the returns submitted by the appellant."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जो मौजूदा क्लॉज़ है उसमें यह लिखा है कि जो असेस्मेंट कर दिया गया किसी व्योपारी के ऊपर और उस असेस्मेंट से उसे कोई शिकायत है और वह अपील करना चाहता है तो पहले जितना पूरा असेस्मेंट किया गया है उसके मुताबिक वह टेक्स की रकम जमा करा दे और यदि उसने ऐसी रकम जमा करा दी है और सबूत दे देता है तो उसकी अपील पर विचार होगा। मेरे संशोधन का अर्थ यह है माननीय अध्यक्ष, कि उसके खुद के रिटर्न के मुताबिक जितना टेक्स जमा कराना चाहिए ऐसा कबूल करते हुए वह उतना टेक्स जमा करा देता है और उसके लिए सबूत दे देता है तो ऐसी सूरत में उसकी अपील पर विचार कर लेना चाहिये। अपील जो कोई करेगा महज इस बात के लिए करेगा कि अमुक रकम उसने खुद के हिसाब से असेस करके तय की है और इतनी रकम मुझे टेक्स के रूप में देना चाहिए, किन्तु उसके विपरीत असेसिंग ऑथोरिटी दूसरी रकम मुकर्रर करता है तो डिस्प्यूट इस बात पर रहता है कि असेस्मेंट उसका खुद का सही है या असेसिंग ऑथोरिटी का सही है ? जब अपील करता है तो असेसिंग ऑथोरिटी के निर्णय को अमान्य करता है अथवा उसमें संशोधन होना चाहिये ऐसी राय जाहिर करता है। ऐसी स्थिति में जो चीज अपील के लिए प्रस्तुत की जाय उसका निर्णय तो पहले हो जायगा, पूरा का पूरा टेक्स वसूल करके और रसीदें पेश करने के लिए भी बाध्य करना पड़ेगा। फिर टेक्स असेसिंग ऑथोरिटी ने मुकर्रर किया है उसका पेमेंट करके पेमेंट का प्रूफ देने का बन्धन उस पर नहीं डालना चाहिए, केवल किसी सीमा से उसने खुद ने असेस्मेंट किया है उसी का बन्धन डालना चाहिए। बाकी का निर्णय उसकी अपील पर ही छोड़ देना चाहिए।

तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर किसी का डिसप्यूटेड असेस्मेंट है तो उस डिसप्यूटेड असेस्मेंट के पहले कार्यवाही नहीं रोकनी चाहिए नहीं तो अपील में रिडन्डेंसी पैदा हो जायगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री समझ गये होंगे, यह जरूरी है इसको स्वीकार करेंगे।

श्री संतोषसिंह—माननीय अध्यक्ष, श्री चांदमल जी ने जो टेक्स के अलावा पेनाल्टी का नाम रखा है, वह मुझे जंचा नहीं। जब असेसमेंट का तय हो जाता है, जब कि व्योपारी असेस्मेंट की फीस भर देता है तो उसके साथ पिनाल्टी का सवाल नहीं रहेगा। इसलिए मेरा यह कहना है टेक्स दे दे उसके बाद अपील सुन ली जाय, यह काफी है।

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट श्री एच० के० व्यास ने रखा है उसको यदि स्वीकार किया जाय तो यह होगा कि टेक्स के वसूली की कोई सम्भावना ही नहीं रहेगी। इससे तो यही पता चलता है कि वह सरकार में किसी प्रकार की रेवेन्यू को आने देना ही नहीं चाहते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह आप किसके संशोधन के बारे में कह रहे हैं।

श्री भोलानाथ—जनाब के।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर आप मेरे अमेंडमेंट को समझ ही नहीं पाये हैं।

श्री भोलानाथ—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इसलिए मैं आपका अमेंडमेंट स्वीकार नहीं कर सकता। इसके साथ २ जो चांदमल जी ने अमेंडमेंड रखे हैं वे भी करीब करीब इसी प्रकार के हैं। उन्होंने पेनेल्टी को जोड़ कर उसके बाद में यह सुझाव दिया है कि अपील का अधिकार होगा तो कुछ भी अमेंड कर सकता है। हाइअर ऑथोरिटी जो भी कुछ हुक्म करती है अमेन्डिंग ऑथोरिटी का हुक्म है उसका पालन होना चाहिए। इसलिए मैं चांदमल जी और श्री एच० के० व्यास, दोनों के अमेंडमेंट को अस्वीकार करता हूं।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, पहला मेरा अमेंडमेंट "केज्युअल ट्रेडर्स" के बारे में था •••

श्री भोलानाथ—'केज्युअल ट्रेडर्स' के बारे में जो अमेंडमेंट है वह तो स्वीकार है। यह शब्द कहीं भी आयेंगे तो उनको डिलीट कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री भोलानाथ से) यह कहिये कि इनका एक अमेंडमेंट तो आपको स्वीकार है।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, इसके बाद में जो दूसरी बात है वह यह है कि जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि अपीलेन्ट ऑथोरिटी की अधिकार की बात है कि वह चाहे तो टेक्स की रकम जमा भी नहीं करे। लेकिन ये ऐसे अधिकार हैं जिनका हम इस बिल में प्रोवीज़न नहीं करेंगे तो वह काम में नहीं आ सकेंगे, इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि कानून में इस प्रकार का प्रोवीजन हो। जानना यह है कि अपीलेट ऑथोरिटी के अधिकार की बात है यह अधिकार उनके हाथ में रहने चाहिये, तो माननीय मन्त्री को मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार करना चाहिये। अगर वे यह मानते है कि अपीलेट ऑथोरिटी ऐसा नहीं करे तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। आशा है माननीय मन्त्री इस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मुझे उम्मीद तो यह थी कि यह मेरा बहुत साधारण सा अमेंडमेंट है और बहुत न्यायपूर्ण अमेंडमेंट है, अगर इसको समझने की कोशिश की जायगी तो यह अवश्य स्वीकार किया जायगा। किन्तु ऐसा मालूम होता है कि अमेन्डमेन्ट पर गौर न किया जाकर उसके पहले नाम पर गौर किया जाता है कि यह किसने दिया है, लेकिन अमेंडमेंट में यह जो लिखा है उसपर शायद विचार करने का कष्ट ही नहीं किया जाता। मेरा संशोधन यह है कि जबतक इस बात को सबूत पेश नहीं करदे।

श्री अध्यक्ष—Only the reply is needed and not the repetition of the arguments advanced before.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not repeating. An insinuation has been made that if this amendment is accepted no revenues would come.

श्री अध्यक्ष—What is there in the amendment that has been advocated by the Hon'ble Member ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—'No revenues would come' that is the insinuation which has been made. I want to say that the revenues would come first.

श्री अध्यक्ष—What is contended in that amendment should not be repeated. It has already been circulated and the Hon'ble Member has already advocated.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then I presume Sir, that it is understood.

श्री अध्यक्ष—It has been objected to knowingly.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस बात की तसल्ली देते हैं तो आपका आदेश मान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—Not that I want to curtail, but don't repeat.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I was not repeating. I want to repeat just one word which says that the appeal shall not be considered unless there is a proof of the payment of tax.

अब पेमेन्ट ऑफ टेक्स के प्रूफ आ जानेके बाद टेक्स नहीं देना, यह एक ऐसी स्थिति होती है जो मेरी समझ में नहीं आई। कुछ समय के बाद तीन महीना या छः महीना मुकर्रर कर दे; उसके बाद में ट्रेडर रिटर्न पेश करेगा। अगर उस रिटर्न पर इस बात को उसके पक्ष में तय कर देता है कि उससे इतना टेक्स लेना है। असेसिंग ऑथोरिटी यह कहता है कि तेरी अन्दाज यह गलत है। १० हजार रुपया रकम तय की असेसिंग ऑथोरिटी के तय करने के बाद वह रकम दो हजार की निकली तो जब तक उसका मामला डिस्प्यूट में है तब तक उसको टेक्स देना चाहिये या नहीं। एक बात में खास तौर से इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी जिसका कहना बिल्कुल सही हो डिसप्यूटेड रकम का जितना टेक्स देना है उतना देने की स्थिति में नहीं तो अगर असेसिंग ऑथोरिटी पांच हजार की रकम की एवज में एक लाख रुपया कर दे, इस प्रकार की एब्सर्डिटी कर

Page No.38

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दे है तो क्या उसको पहले एक लाख का टेक्स भरना पड़ेगा, बाद में वह अपील कर सकता है। एक लाख रुपये की रकम का टेक्स भर देना, यह एब्सर्डिटी जितनी बड़ी होगी उतना ही टेक्स ज्यादा होगा। कानून का तो यह नियम होता है कि जितनी बड़ी ज्यादती हो उतना ही उसका हल आसान होना चाहिये। हकीकत यह है कि जितनी एब्सर्डिटी आप ज्यादा रखेंगे आपको डिफीकल्टी ज्यादा होगी। जब आप अपील का अधिकार देते हैं तो अपील का निर्णय होने के बाद भी वह वसूल हो जायगा। इससे पहले जो अनड्यू अमाउन्ट है उस पर टेक्स ले लेना अगर आप यह मानते हैं कि इससे आप मानें कि इससे तो कोई रेवेन्यू आने ही वाली नहीं है, तो फिर मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना है। मेरा ख्याल है कि नासमझी के कारण मेरे अमेंडमेंट को नामन्जूर कर दिया गया है।

श्री जवानसिंह—आपको एब्सर्डिटी पर ज्यादा भरोसा है क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—भरोसा ही नहीं, यह तो रोजमर्रा देखने को मिलती है।

श्री सन्तोषसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा ऐसा निवेदन है कि असेसमेंट की जमानत लेकर उसको अपील करने का अधिकार दे देना चाहिये। मान लीजिये एक छोटा सा व्यापारी है, उस पर असेसमेंट के अधिकारी एक लाख रुपये का असेसमेंट करके उससे उसका टेक्स वसूल करना चाहे और उसके बाद अपील करने का अधिकार होता है, तो यह उस व्यापारी के लिये बड़ी घातक बात है। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि उसके लिये आप जमानत मुकर्रर कर दें। जमानत देने के बाद उसे अपील का मौका दिया जाय। नहीं तो यह होगा कि असेसमेंट अधिकारी व्यापारी को तंग करेंगे।

श्री भोलानाथ—इस तरह से आपके कहने के अनुसार झगड़ा भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—There should be no arguments on absurdity.

प्रश्न यह कि क्लॉज़ १२, के सब क्लॉज़ (१) का पहला प्रोविज़ो डिलीट करने के लिए श्री चांदमल मेहता ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

Page No.39

श्री चांदमल मेहता—मेरा जो दूसरा अमेंडमेंट है जिसको माननीय मंत्रीजी ने नामन्जूर कर दिया है मैं उसे वापिस लेने कि सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रक्खा है क्लॉज़ १२ में वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, मैं इस पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—It is only regarding revisions. Innocent provisions.

श्री वेदपाल त्यागी—इन्नोसेन्ट तो हैं, पर इस इन्नोसेन्ट में नमक मिर्च जरा मिल गई है, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष— I wanted to know whether the Hon'ble Member wants to oppose this section or wants to suggest something or support something.

Page No.40

श्री वेदपाल त्यागी—I want to oppose as regards these words which have been inserted in it.

"in so for as it is prejudicial to the interest of the revenue"

Power of revision is given only to that extent and not otherwise.

श्री अध्यक्ष—Fifth line in the first sub-section.

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ के द्वारा कमिश्नर को अधिकार दिया गया है सिर्फ उन केसेज़ को रिवाइज़ करने का जिनमें वह यह समझे कि जितना रेवेन्यू आना चाहिये था वह नहीं आ सकता है और इसके सम्बन्ध में नीचे के अफसरों ने कोई इम्प्रोपर, इल्लीगल और इरोन्यस ऑर्डर तो पास नहीं किया है।

मैं निवेदन करूंगा कि कानून में जहां इम्प्रोपर, इल्लीगल या इरोन्यस कमिट की गई है वहां पर सिर्फ इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिये कि वह किसके पक्ष में कमिट की गई है। यदि कोई ऑर्डर इम्प्रोपर है, इल्लीगल है या इरोन्यस है तो यह नहीं होना चाहिये कि अगर यह हमारे हक में है तब तो रिवाइज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यह किसी के हक में कमिट किया गया हो किन्तु हमारा फर्ज यह होना चाहिये कि सब को न्याय मिले, रिवाइज़ किये जाने की सबके हक में बात होना चाहिये।

तो ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें जो भी कोई ऐसी इल्लीगल, इम्प्रोपर या इरोन्यस ऑर्डर आपके हक में है या आपके खिलाफ है, तो उसको रिवाइज़ करने का अधिकार कमिश्नर को दिया जाना चाहिये। आशा है माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—मैं भी जो त्यागीजी ने कहा उसकी ताईद करते हुए चाहूंगा कि यह तो बात ठीक मालूम नहीं होगी कि अगर कमिश्नर इस ख्याल से कि इसमें सरकार की रेवेन्यू कम हो रही है तो सुधार कर दे, पर अगर किसी दूसरे के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी ओर ध्यान न दे, तो ऐसी परिस्थिति में जो उनका सुझाव है वह जरूर स्वीकार किया जावे, तो यह बात बहुत ठीक हो सकती है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस प्रश्न की गम्भीरता पर विचार हो रहा है और मैं भी आवश्यक मानता हूं कि इस क्लॉज़ को जैसा है वैसा ही पास नहीं किया जाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जो कानूनी इल्लीगेलिटी, इम्प्रोपर और इरोन्यस जो है, उन तमाम चीजों को एक परिधि में डाल कर रक्खा है और वह परिधि केवल सरकार की आय पर ही है। इस आय से सम्बन्धित कानून ही संगत हो सकता है, लीगल हो सकता है, बाकी और सब इल्लीगल हो सकते हैं। तो यह कहना कहां तक प्रोपर और कहां तक इम्प्रोपर हो सकता है वह भी सरकारी आमदनी की परिधि के अन्दर ही सीमिति रक्खा गया है।

[श्री जवानसिंह]

मेरा ख्याल है कि ऐसा सीमित दृष्टिकोण न सरकार का है और न माननीय राजस्वमंत्री महोदय का हो सकता है। हमें यहां पर खुलासा तौर पर इसलिये बात को रखना चाहिये कि हरेक आदमी को, जिसके कि खिलाफ ऐसा फैसला किया गया है, चाहे जान में या अनजान में हो, उसको कमिश्नर अगर कानून के खिलाफ देखता हो तो उस ऑर्डर को भी रिवाइज़ करदे और इस तरह से इन्साफ करे। तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई सीमा-बन्धन नहीं डालना चाहिये और कमिश्नर के हाथ इन्साफ करने के लिए खुले रखने चाहिये। यहां पर केवल इसलिये जहां तक सरकार की आमदनी से ही ताल्लुक हो वहीं तक किसी चीज को इन्साफ के लिये ठीक मानने इस सीमा को यहां पर से हटा देना चाहिये, और इसलिये यहां पर यह शब्द, रेवेन्यू तक ही सीमित रक्खा जावे, को डिलीट कर दिया जावे तो इससे कमिश्नर के हाथ खुले रहेंगे और वह इन्साफ दे सकेगा। और यही इस सदन की इच्छा है, कि इन्साफ हो। इन्साफ के देने में किसी प्रकार का बन्धन नहीं हो।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, यह जो क्लॉज़ १३ रेवेन्यु के बारे में है और इसमें जो "Suo moto" छोटा सा वाक्य आया है उसमें यह बताया है, मेरे ख्याल में इसको गौर से पढ़ जावें तो उनको मालूम होगा कि इसमें कमिश्नर को रिविजन के पॉवर्स हैं। अगर वह "so moto" या रेवेन्यु ऑथोरिटी ने एक ऑर्डर पहले पास करते समय कोई गलती करदी हो तो वह कमिश्नर या तो स्वयं मालूम कर ले या नीचे के अधिकारी आर्डर पास हो जाने के बाद उस गलती को पकड़ सकें और चाहें कि यह गलती दुरुस्त होनी चाहिये तो ऐसी हालत में रिविज़न करने का अधिकार इसमें कमिश्नर को दिया गया है और वह जो मुनासिब समझे वह हुक्म पास करे। इसके माने यह नहीं हैं कि कोई डीलर रिविज़न में जावे। अगर कोई डीलर रिविज़न में जाना चाहे तो उसके लिए अलग रूल्स हैं। और वह सब क्लॉज़ २ में जो नीचे है, आ जाता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—That is not the point

श्री मथुरादास माथुर—That is the point what Mr. Tyagi has raised.

यह असेसिंग ऑथोरिटी सरकारी नौकर होते हैं, इसके अनुसार वे रिवीजन में जावें जब कि वे यह समझें कि उन्होंने जो असेसमेंट पहले किया है उसमें कोई खामी रह गई है; इल्लीगली इरोनियली या इम्प्रोपर है उनको ऑर्डर के द्वारा और रेवेन्यु पूरी तरह से वसूल न हो पाई या तो बाद में उनके यह ध्यान में आने पर या कमिश्नर के खुद के यह बात ध्यान में आने पर उनके कहने से या वह स्वयं भी उस मामले को रिवाइज़ कर सकता है। तो यह क्लॉज़ यह बात कहता है। अगर किसी डीलर को रिवाइज़ करना है तो वह इसके लिए रिविज़न की दरख्वास्त दे और इसके लिए अलग सेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में यह क्लॉज़ गलत नहीं है।

[श्री मथुरादास माथुर]

यह तो उन ऑफिसर लोगों के लिए है जो जान में या अनजान में कोई गड़बड़ कर दे और बाद में ध्यान में आ जावे तो उसको रिवाइज़ करने का अधिकार यह क्लॉज़ देता है कि रिवाइज़ करके इसको ठीक कर दे। यह क्लॉज़ ऐसा ही कहता है। 13 (2): "The Commissioner may on application for revision of an order by a dealer, etc."

श्री जसवन्त सिंह—मैं यह निवेदन करूंगा कि यह आपका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन हम जो ज्यादा महत्व इसे देते हैं वह इस बात पर देते हैं कि रेवेन्यु की इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि जनता के साथ न्याय हो।

श्री अध्यक्ष—वह आ गया है न दूसरे क्लॉज़ में।

श्री जसवन्तसिंह—I will read that, Sir, I know that is there. नहीं आया है। मैं निवेदन करूं कि इसी आधार पर इसमें भी यह हो सकता है कि अगर कोई अफसर गलती कर जावे और कमिश्नर के सूओ मोटो यह ध्यान में आ जावे या नीचे के अधिकारी जो हैं उनके ध्यान में आ जावे कि यह गलती हो गई है तो चाहे वह रेवेन्यु के हक में हो या किसी अनजान ट्रेडर या व्यवसायी के विरुद्ध हो, अगर ऐसा भी काम हो जावे तो इसमें भी कमिश्नर को हक होना चाहिये कि अगर ऐसे किसी ट्रेडर के खिलाफ भी इनजस्टिस हुई है और सूओ मोटो वह बात कमिश्नर के ध्यान में आती है तो सूओ मोटो वह उसके हक में भी रिवाइज़ कर सके यह पॉवर भी इसमें आना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर—और अगर वह ट्रेडर या व्यवसायी अपील न करे या रिवाइज़ न कराना चाहेगा तो ?

रिविज़न में तो असेस्मेंट ऑथोरिटी जा रहा है।

श्री जसवन्तसिंह—That is not clear.

श्री वेदपाल त्यागी—In the case of an assessee he has no provision for moving sus moto.

श्री अध्यक्ष—Order ! order !!

(घंटी)

ऐसे तो कमिश्नर फिर किसी को...

I don't want to enter into any discussion. I leave it to the Honse.

श्री भोलानाथ—इस कानून में दो सब क्लॉज़ेज़ रक्खे गये हैं (ए) और (बी), ये दोनों एक दूसरे को पूरा करती हैं। इसलिये इसके बाद में शंका को कोई स्थान नहीं रहता है। सरकार की तरफ से उसके अधिकारीयों की गलती से अगर रेवेन्यु ठीक तरह से वसूल नहीं हुआ है और असेस्मेंट में खामी रह गई है तो कमिश्नर इसको देखेगा और दूसरे सब क्लॉज़ के अन्तर्गत अगर कोई कन्ज़ूमर या व्यवसायी यह देखता है कि उसके इन्टरेस्ट को नुकसान हुआ है तो वह अपील कर रिवाइज़ करा सकता है। तो वह अपील खुद कर सकता है। इसमें फिर झगड़ा क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आया ? अगर यह बात हो कि उसके इन्ट्रेस्ट को भी कमिश्नर देखे तो मान लो कि कोई व्यवसायी अपील न करना चाहे तो फिर क्या होगा। इसलिये दोनों के अलग अलग सबक्लॉज़ेज़ और दो को इस न्याय मिल सकता है इसलिये मैं चाहता हूँ कि ये सब क्लाज़ेज़ जैसे हैं वैसे ही रहने दिये जावें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ में जो 'केज्युअल ट्रेडर' शब्द हैं वे डिलीट किये जावें।

(स्वीकृत)

शब्द 'केज्युअल ट्रेडर' डिलीट करने की आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३, संशोधनानुसार विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३, संशोधनानुसार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—क्लॉज १४, श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Shall I move all the amendmnts at a time.

श्री अध्यक्ष—Yes, all the amendments.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १४ में मुझे निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करने हैं पहले मैं संशोधनों को बता देता हूँ।

क्लॉज़ १४ के सब क्लॉज़ (१) की लाइन ५ में यह संशोधन है: "delete the following words;-

'accompanied by a fee of one hundred rupees".

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

फिर सब क्लॉज़ (२] में यह संशोधन है : "in line 3 delete the word 'either' Delete part (a) "

उसके बाद सब क्लॉज़ ३ में यह संशोधन है :
"Delete the sub clause '(3)"

फिर सब क्लॉज़ ६, में यह संशोधन है :

"Delete the sub clause (6)"'

फिर सब क्लॉज़ ७ में यह संशोधन है :

'Delete sub clause (7)"

यह जो क्लॉज़ बनाया गया है इसका ताल्लुक है Statement of case to the High Court और जब मैं अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा था तो माननीय मित्र ने यह कहा कि यह सब डिलीट करने के बाद रहा क्या? यह बात सही हैं कि इसमें थोड़ा ही कुछ रह गया है। लेकिन उसमें ज्यादा रखने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि हाई कोर्ट को कानूनी पॉइन्ट पर एप्रोच कोई करना चाहे, अपना स्टेटमेंट पेश करना चाहेतो उसपर बन्धन लगाना राज्य सरकार का हक है ही नहीं। यह तो पहली बात, और दूसरी यह कि उस पर इनडाइरेक्टल किसी प्रकार-बन्धन लगाये तो वह गैरवाजिब और अन्यायपूर्ण है। जैसा कि अभी क्लॉज़ है उसको आप गौर फरमावें तो वह इस किस्म का है अगर किसी को कमिश्नर के आर्डर के खिलाफ अपना केस हाई कोर्ट के सामने ले जाना है तो आप उसके पास १००) रु० की फीस जमा करायें और कमिश्नर को यह कहना पड़ेगा कि आप महरबानी करके इस मामले को हाईकोर्ट में पेश कर दें। अगर कमिश्नर पेश कर देता है तब तो ठीक और अगर कमिश्नर इन्कार कर देता है तो ७ दिन के अन्दर या तो फिर वह व्योपारी अपनी एप्लिकेशन को वापिस ले लें या फिर वह कमिश्नर के इन्कार करने के बावजूद हाई कोर्ट में जा कर एप्रोच करे। वैसी स्थिति में हाई कोर्ट क्या करे? इसमें यह आदेश दिये गये हैं कि हाई कोर्ट कैसे उस सिलसिले में ऑर्डर दे सकेगा? इस क्लॉज़ को जो चीज है वह यह है कि हाई कोर्ट को आदेश दिये गये हैं कि अब आपके पास "If upon the receipt of an application under clause (b) of sub-section (2), the High Court is not satisfied etc. etc, " मगर मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट के सिलसिले में और लॉ पोइन्ट जो उसके पास है उस सिलसिले में क्या करना चाहिये, इसके आदेश

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

देने की स्थिति हमारी न तो है और न उस स्थिति तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मेरे जो संशोधन हैं वे उन सब अमलों को हटा देते हैं जिनका ताल्लुक हाईकोर्ट के जाने के अधिकार के ऊपर अंशमात्र भी पाबन्दी लगाने से है।

सब से बुरी चीज जो है वह १००) रु० हैं। इसके बारे में जब आम बहस हो रही थ उस समय कई माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि कानून के किसी पॉइन्ट पर यदि हाईकोर्ट को एप्रोच करना चाहे कोई भी आदमी, तो उस पर यह १००) रु० की फीस किस बात की ? क्या यह जो फन्डामेन्टल राइट्स दिये हुए हैं उन फन्डामेंटल राइट्स के विरुद्ध नहीं जाता है कि जो अधिकार किसी को मिल जाते हैं उन अधिकारों को सीमित कर रहे हैं १००) रु० की फीस लगा कर ?

और सबसे बुरी बात जो इसके अन्दर है वह यह है, माननीय अध्यक्ष, कि आखिर में हाई कोर्ट में केस ले जाने के बाद उसका निर्णय क्या हो ? फेवर होता है या अगेन्स्ट में होता है। एप्लिकेन्ट के लिये उस वक्त १००) रु० का झगड़ा रहेगा। कमिश्नर हाईकोर्ट में खुद केस को रेफर कर देता है। तब तो जो फीस दी गई है वह फीस कोई रिस्क में नहीं जाती, लेकिन कमिश्नर यह कह दे कि मुझे कोई तथ्य नहीं जंचता, इतनी भी बात में कि हम इस मामले को रेफर करवाना चाहें, मैं रेफर नहीं करता हूँ, तो कमिश्नर के रिफ्यूज़ल के बाद हाईकोर्ट में जाकर कहे वैसी स्थिति में सब क्लॉज़(३)अलग बना दी गई है। "Where a reference is made to the High Court under this section, the costs (including the disposal of the fee referred to in sub section (1) shall be in the discretion of the Court."वह कोर्ट के डिस्क्रीशन में आखीर में तो होगा ही, लेकिन इस प्रकार से यह मन्शा जाहिर की गई है कि एप्लिकेशन वापिस कर ले तो तुम्हारी फीस वापिस हो जायगी और वापिस नहीं लेता है तो वह जब्त होगी। इस स्थिति में हम न तो वाजिब कानून बनाने वाले प्रतीत होगे और न ही संविधान के प्रति कुछ प्रेम है। इसलिए यह बात नजर आयेगी।

अब वह जो क्लॉज़ १००) रु० की फीस की है, वह हटा दी जाय तो बाकी के जो संशोधन हैं वे ऑटोमेटिक हैं, इसलिए सब क्लॉज़(२)का पार्ट(ए)कोई मतलब नहीं रखता है"He may withdraw his application (and if he does so, the fee shall be refunded.)" जब फीस का प्रोविजन ही हट देते हैं तो वैसी स्थिति में भाग (ए) सब क्लॉज़ (२) का कोई मतलब नहीं रहता। किसी भी आद को अधिकार होना चाहिए कि He may appeal. He may apply to the High Court.

सब क्लॉज़ (३) जो है वह हाईकोर्ट को आदेश देता है कि वह कमिश्नर को यह कह सताक है कि वह अपना केस पेश करे और फिर कमिश्नर को अपना केस पेश करना पड़ेगा; इत्यादि

इत्यादि। यह रिडन्डेन्ट है, वे मतलब का है। हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह आदेश दे सकती है, कमिश्नर को अपना केस पेश करने के लिए और कमिश्नर को वह केस पेश करना ही पड़ेगा। इस तरह की क्लॉज़ क्यों पास करें, जो मौजूदा हाईकोर्ट के कानून के अन्दर पहले से मौजूद है ?

सब क्लॉज़ ७ है वह भी इसी तरह का है, जो बड़ा विचित्र है। इसमें यह कहा है कि:

"The payment of the amount, if any, of tax due in accordance with the order of the Commissioner in respect of which an application has been made under sub-section (1) shall not be stayed pending the disposal of such application or any reference......"

तो इसका तात्पर्य यह है कि कोई हाईकोर्ट में अपना केस भी ले जाय तो हाईकोर्ट पर यह बन्धन डाला जारहा है कि आप मामले पर विचार कर सकते हैं, लेकिन विचार करते वक्त इस बीच में यह ठीक समझा जाय कि पेमेंट को स्टे कर दे तो स्टे करने का अधिकार हाई कोर्ट को नहीं रहेगा तो यह सारा का सारा क्लॉज़ कहां तक न्याय संगत है और संविधान से कहां तक ठीक उतरेगा। इसके बारे में मुझे पहले ही ज्यादा शक है लेकिन इसके अलावा भी हैं, यह कहना चाहूँगा कि हमें कम से कम कानूनी बातों के सिलसिले हाईकोर्ट के सामने कोई आदमी जाये उस पर कोई बन्धन नहीं लगाना चाहिये। हाईकोर्ट किस स्थिति में कैसा हुक्म दे उसके बारे में यह अनावश्यक क्लॉज़ पास करके अपनी समझ के दिवालियेपन का सबूत नहीं रखें। हाईकोर्ट पर किसी प्रकार का बन्धन डालने वाला क्लॉज़ गैर कानूनी है या नहीं उसको अलग जाने दीजिये, लेकिन इस प्रकार का बन्धन डालने वाला यह सब क्लॉज़ यहां पास नहीं करना चाहिए।

इस सिलसिले में जितने भाग इस क्लॉज़ में हैं उनको मैंने संशोधन के रूप में डिलीशन के लिए प्रस्तुत किया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे उन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जायगा, तो फिर हाईकोर्ट के सामने केस ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री वेदपाल त्यागी—Sir I don't want to move my amendment because his (Shri H. K. vyas] amendments cover my amendments:

कु० श्री जसवन्तसिंह—मुझे एक छोटासा निवेदन करना है और वह छोटासा निवेदन यह है कि सब क्लॉज़ (७) में रिफंड का सवाल है और रिफंड के मुतल्लिक रेड टेप की वजह से या और किसी वजह से बहुत समय लग जाता है तो जब सब फैसला हो जाय और रिफंड करने की नौबत आ जाय तो सब क्लॉज़ (७) में यह निवेदन करना चाहता हूँ : "if such amount is reduced as the result of such reference the excess tax paid shall be refunded" तो इसमें 'with in a month' का पीरियड रख दिया जाय। कुछ पीरियड निश्चित हो जाना चाहिये, नहीं तो हैंग ओन करता रहेगा और यदि प्रेक्टिकल रूप में देखें तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार से पेमेन्ट लेने के लिये ४-५ या १० साल तक निकल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—रिफंड मांगनेवाला आदमी मर जायगा, उसके बच्चे भी मर जायेंगे, तब तक भी शायद रिफंड नहीं मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मंत्रीजी समझें तो उनके महकमे आबकारी-कस्टम के विषय में किसी की रकम पहुँच गई खज़ाने में, तो उसका परमात्मा ही मालिक है। १ साल, ५ साल या १० साल निकल जायेंगे। वह आदमी मर जायगा, उसके बच्चे मर जायेंगे, शायद तब तक भी उसको रिफंड नहीं मिलेगा।

श्री मथुरादास माथुर—The amount is safe.

कु० श्री जसवन्त सिंह—The amount is safe in the Government exchequer.

राज्य के खज़ाने में सुरक्षित तो रहेगा और सरकार कृपा करके २–४ साल में रिफंड की इजाजत दे दे तो अकाउन्टेन्ट जनरल बीच में टांग अड़ायेगा। राजस्थान बना तब से अब तक के पेन्शन केसेज़ भी तो पड़े हैं। मैं नम्रता से अर्ज करूंगा कि ....

श्री अध्यक्ष—'Within a month' be added at the end. This is the sum and substance of your arguments.

श्री मथुरादास माथुर—If the amount is not refunded within a month, what penalty is going to be imposed? The excess tax is to be refunded within a month and if it is not refunded within a month then what is to be done?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Well, it is the duty of the Government to refund. यदि गवर्नमेन्ट 'विदिन ए मन्थ' रिफन्ड नहीं करती है तो अपनी ड्यूटी से फॉल (fall) होती है: That is sufficient for the Government. It has no claim to be called a good Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mark these words coming from the Leader of Opposition.

श्री भोलानाथ—जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेंन्डमेन्ट रखा है, उस अमेन्डमेन्ट का किसी भी सेल्स टैक्स एक्ट से कोई संबंध नहीं। उनका जो नया तरीका है उसी के अनुसार यह अमेंडमेंट रखा है। यह निश्चित बात है कि कोई भी अपील तरीके से की जाय और जिम्मेदारी के साथ की जाय तो कोई रुकावट नहीं है। हाई कोर्ट में फालतू आने जाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपके संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

[श्री भोलानाथ]

लीडर ऑफ अपोजिशन का ऐसा सवाल है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद रिफंड करने का सवाल आवे तो रिफंड फौरन करना चाहिये। किसी भी कोर्ट का ऑर्डर रिफंड के लिए आता है तो गवर्नमेंट को उसे मानना पड़ता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—वह तो मानना पड़ेगा ही।

श्री भोलानाथ—(जारी रखते हुए) ऐसे भी कई मामले होते हैं, जिनमें हजारों रुपये जुर्माने के होते हैं और हाई कोर्ट उनको माफ कर देता है तो उस रकम को भी रिफंड करने का सवाल आता है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं आती तो यहां क्या अड़चन आ सकती है?

श्री अध्यक्ष—नोर्मल कोर्स में रिफंड हो ही जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे कुछ अर्ज करना है। माननीय अध्यक्ष, मैं इस दलील में नहीं जाता कि जिम्मेदारी किस बात से प्रदर्शित होती है? मैं तो ऐसा महसूस करने लगा हूँ कि हाई कोर्ट के फंक्शन करने के बारे में शायद उसके प्रोसिजर से कुछ अनभिज्ञता उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के सर्वेसर्वा माननीय मंत्रीजी के दिमाग में नजर आ रही है। कल तक तो नहीं थी, आज से शायद ऐसी ही बात है। वे किसी बात को मानने की स्थिति में नजर नहीं आते। जो जिम्मेदारी की बात कही गई, वह हाई कोर्ट में अपने आप ही हो जाती है। हर एप्लीकेशन की दो स्टेजेज़ होती हैं। एक तो एडमिशन की और दूसरी विचार या निर्णय की और ऐसा हो कोई गैर जिम्मेदार आदमी पहुँच जाय जिसकी एप्लीकेशन में दम नहीं है, गुंजायश नहीं है तो एडमिशन की स्टेज में ही खत्म हो जाती है, और परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन मुश्किल यह है कि जहां जिम्मेदारी का ठेका लेते हैं........

श्री भोलानाथ—आप ले लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं ले लूं तब तो गैर वाजिब बात चलने नहीं दूं। लेकिन यहां सेल्स टैक्स कमिश्नर को पॉवर दी जाती है और हाई कोर्ट में यदि टैक्सेशन का मामला है और उसमें कोई टेक्निकल सवाल का प्रश्न है तो बात समझ में भी आ जाती है। लेकिन हाई कोर्ट के कानूनी पोइन्ट का भी ठेका दिया जा रहा है सेल्स टैक्स कमिश्नर को, एडवोकेट जनरल के जैसा, एडवोकेट जनरल से भी बढ़ कर, क्योंकि एडवोकेट जनरल को भी अधिकार नहीं है। He sits in the judgment over the admissibility of the application. वह एडमिसिबिलिटी के बाबत आज्ञा दे दे कि हाई कोर्ट में जाने पायगा या नहीं, इसका ठेका दिया जा रहा है। यह भी नहीं कि टेक्निकल बात हो तो अलग बात है, वरना १००) रुपये देंगे तभी हाई कोर्ट में जाने पावेंगे। यदि नहीं देते हो तो नहीं जाने पाओगे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बंधन हाई कोर्ट के लॉ (law) के खिलाफ है और बेजा है। जिसने १००) रू. नहीं दिये वह हाई कोर्ट तक नहीं जा सकता।

श्री मथुरादास माथुर—नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाई कोर्ट में जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जा सकता है तो ऐसा कानून क्यों बना रहे हो?

श्री मथुरादास माथुर—मेरा राइट ऑफ रिप्लाई नहीं है, नहीं तो मैं समझता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Exactly, this is the restrication that you want to impose.

श्री मथुरादास माथुर—If you want the Commissioner to go to the High Court. कमिश्नर खुद जाय तो १०० रु. जमा कराने पड़ते हैं। वरना आप कहीं भी अपील करें तो आपको कौन रोकता है? If you want the Commissioner to go to the High Court, then pay Rs. 100/—

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह नहीं है। आगे ऐसी क्लॉज़ेज़ हैं जिनमें बार लगा है। सूट्स में कोर्टस में आना हो सकता है, आप देखें। Any order passed under this Act cannot be called in question in any Court, (Clause 18) इस जगह देखना है माननीय अध्यक्ष।

श्री मथुरादास माथुर—That is with reference to suits.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Let me finish.

श्री अध्यक्ष—Let the Hon'ble Member finish. No sub-debates please.

श्री मथुरादास माथुर—I am sorry.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I don't mind but if they were in time...

श्री अध्यक्ष—I mind.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो अब यह दलील दी जा रही है अध्यक्ष महोदय, कि यदि कमिश्नर को यह कहें कि तुम हाई कोर्ट में जाओ तो वैसी स्थिति में यह चीज लागू है। मैं सब क्लॉज़ (४) के पार्ट नहीं, सब क्लॉज़ (२) के (ए) और (बी) की तरफ आपका और आपके जरिये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें लिखा है : If, for reasons to be recorded in writing, the Commissioner refuses to make such reference, the applicant may, within sixty days of such refusal, either—

[a] withdraw his application (and if he does so, the fee shall be refunded); or
[b] apply to the High Court against such refusal. "

If he applies to the High Court against such refusal then what is his status ? The status of an ordinary applicant going to the High Court on a point of law, is fee has not been refunded. That amount of hundred rupees deposited, lies with the Commissioner. I want to know under what law are you compelling him to keep hundred rupees with the Commissioner ? Under what law are you putting this premium on his right to go to the High Court ? He is not asking the Commissioner to state his case to the High Court. He is himself applying to the High Court against the refusal of the Commissioner to make his case to the High Court.

"14 (3)—If upon the receipt of an application under clause (b) of sub-section (2), the High Court is not satisfied that such refusal was justified, it may require the Commissioner to state a case......"

Therefore, this clause in essence deals with those cases where the Commissioner has not referred an application to the High Court. If the Commissioner may or chooses to, that is an insignficant part of the section.

और १००) रु० की फीस लगाई गई है वह सारी की सारी किसके लिये है ? वह कमिश्नर को रेफर करें इसके लिये, उन गरीबों के लिये नहीं। इतना ही नहीं बल्कि निर्लज्जता से ऐसा भी सिलसिला (६) में रखा गया है ;

" (6) Where a reference is made to the High Court under this section, the cost (including the disposal of the fee referred to in sub-section (1)......"

अर्थात् यह हाई कोर्ट कन्सेन्ट के बारे में भी फैसला देता है, पर इस क्लॉज़ के अधीन आपने यहां १००) रु० के प्रीमियम का उसूल हाई कोर्ट के लिये रखा तो What does it mean ?

इसके माने यह हैं कि कमिश्नर अगर नहीं चाहे तो उसके १००) रुपये जब्त हो जायेंगे ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ऐसी सूरत में यह सारा का सारा क्लॉज़ मामूली आदमी को हाई कोर्ट में जाने के ऊपर एक नाजायज पाबन्दी है। इसलिये इस पर गौर करके इसे ना मंजूर करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—I think no reply is needed.

श्री भोलानाथ—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No reply can be conceived.

श्री मथुरादास माथुर—The sections are very clear.

श्री अध्यक्ष—It is just to be put.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On the frivolous application...

श्री अध्यक्ष—I do not want to enter into discussion, for your information I may say so.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ के सब क्लॉज़ (१) में श्री हरिकृष्ण व्यास ने २५ नं० का जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे :

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have no illusion about the fate. So I am prepared to accede to it in any way you like.

श्री अध्यक्ष—It is the discretion of the Hon'ble Member.

श्री हरिकृष्ण व्यास—All right.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री एच. के. व्यास ने जो क्लॉज़ १४ में संशोधन पेश किये हैं वे स्वीकार किये जांय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ में जहां जहां शब्द 'केज्युअल ट्रेडर' आये हैं वे डिलीट किये जांय।

(स्वीकृत)

इस क्लॉज़ से शब्द 'केज्युअल ट्रेडर' को डिलीट करने की स्वीकृति दी गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४, संशोधि रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 15, Offences, Panalties and Prosecutions, etc.

श्री मथुरादास माथुर--(श्री हरिकृष्ण व्यास के उल्लेख से) He is very much interested in this.

श्री अध्यक्ष--(श्री पृथक राजस्व मंत्री से) All the amending provisions are ready to be put to vote ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय अध्यक्ष क्लॉज़ १५ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Sub-clause (1) : Delete parts (c) and delete part (d) and After part (g) delete the whole portion of sub clause (I) and Substitute the follwing in its place :--

"the assessing authority may direct that such person shall pay by way of penalty—

(i) in the case referred to in clause (a), in addition to the fees payable by him a sum not exceeding half of the fee;"

इसका सब क्लॉज़ (१)

Page No.53

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"(I) If any person has without reasonable cause failed to take a licence or get himself registered..."

Should I read the whole of it ?

श्री अध्यक्ष—Not necessary. Only a speech is needed to convince the House.

[सब क्लॉज् १ के पार्ट (जी) के पश्चात् उपरोक्त संशोधन के पश्चात् निम्नलिखित भाग है]

"(ii) in the case referred to in clause (b) in addition to the amount payable by him, a sum not exceeding ten percent of this amount;

(iii) in the case referred to in clause (c)(as renumbered as per amendment) in addition to the tax payable by him a sum not exceeding double the amount of tax, if any, which would have been avoided if taxable turnover as returned by such person had deen accepted as the correct turnover;

(iv) in the case referred to in clause (d) (as renumbered as per amendment) on correction before a Magistrate a sum not exceeding Rs. 200/-and

(v) in the case referred to in clause [e] [as renumbered as per amendment] a sum not exceeding rupees fifty."

श्री कपिलदेव अग्रवाल—It is simply to embarrass the Reporters.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not the Reporters, but those who cannot understand things in their proper perspective,

पहले मैं संशोधन पूरे पढ़ दूं ।

"Dete the sub-clause (4)."

श्री अध्यक्ष—Deletion of sub-clause (5) also ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो अवनिकुमारजी का है ।

श्री अध्यक्ष—If he agrees the Hon'ble Member can move it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, No.

एक अमेंडमेंट मैंने और मूव किया था, वह शायद आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष—That must be in the Notice Office then.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सभी होने दीजिये, सभी नामन्जूर तो होंगे ही।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह क्लॉज़ खूब महत्वपूर्ण क्लॉज़ है इसलिए कि इसका ताल्लुक इस एक्ट के खिलाफ कोई कार्यवाही करे, सूट करे इसके सम्बन्ध में और इस पर या पिनल्टी लागू की जाय, इससे सम्बन्ध रखने वाला है।

पहला जो इसका भाग है वह यह तय करता है कि इन चीजों को जुर्म करा दिया जायगा। मैंने संशोधन रखा है कि भाग सी और डी है उनको इस परिभाषा से, दायरे से, निकाल दिया जाय, डिलीट कर दिया जाय। पार्ट (सी.) देखेंगे तो इसमें लिखा है कि : "if he has, without reasonable cause, failed to furnish the return of his turnover or failed to furnish it within the time allowed,"

और भाग (डी) का ताल्लुक इस बात से है कि :

"if he has, without reasonable cause, failed to comply with all the term of the notice issued under sub-section (2) of section 9."

मैंने इसके डिलीशन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वह इसलिए कि ये दोनों प्रोसीजरल चीजें हैं। इस एक्ट में प्रोसीजर है इसके मुताबिक कोई कार्यवाही नहीं करता है तो वह तो इस एक्ट की दूसरी धाराओं के मुताबिक पेनल्टी देने का हकदार होता है। आपने धारा बना रखी है एसेसिंग ऑथेरिटी अपने विश्वास के मुताबिक जितना ठीक समझेगी एसेसमेंट करके टैक्स मुकर्रर कर देगी। ऐसी सूरत में रिटर्न करना न करना डिफेन्स बनता है। उस आदमी को इस डिफेन्स का इस्तेमाल वह नहीं करे तो पेनल्टी का और भागीदार क्यों बनाया जाय ?

Notice under sub-section [2] of section 9 का जिक्र है। इसके बारे भी हमने साफ दर्ज का दिया है कि यहां ३ तरह से नोटिस देने की गुंजायश है। वह तीनों में से एक रूप में भी एपीयर नहीं हो तो जो ऑथोरिटी है :

"the assessing authoirty, after hearing such evidence as such person may produce and such other evidenee as the assessing authority may require on specified points...etc...etc. shall decide the things."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो समझ में नहीं आता कि जब मामला अदम मौजूदगी में खारिज करते हैं तो फिर उस पर पेनल्टी क्यों ? यदि आप क्लॉज़ ६ की ओर गौर फरमावेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्लॉज़ ८ का ताल्लुक इस बात से है कि नोटिस देकर सफाई पूछ लेगें। अगर वह सफाई नहीं देता है तो एकसपार्टी फैसला हो जायेगा और जो उसको मौका दिया गया उसका फायदा नहीं मिलेगा। दोनों चीजों को एक साथ नहीं रखी जा सकती। जहां तक ओफेन्स का ताल्लुक है दूसरी चीज़ हटा दी जानी चाहिये, बाकी का है, वह रीनम्बर हो जावेगा।

अब रही बात पेनल्टी की। इसके बारे में जब दूसरी को हटा दी जाती है तो इस वजह से दो के लिए पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड करने का प्रश्न नहीं है, बाकी की बात के लिए पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड है. इसमें मुझे खामी नजर आती है और इसलिए मैंने जो कुछ रीड्राफटिंग किया है वह इस प्रकार है :

"in the case referred to in clause (a)" यहां जो लाइसेंस नहीं लें "without reasonable cause failed to take a licence" इसके "in addition to the fees payable by him a sum not exceeding half of the fee" जैसा है वैसा ही रहने दिया जावे।

(11) in the case referred to in clause (b) in addition to the amount payable by him, a sum not exceeding ten percent of this amount." अब आप मौजूदा क्लॉज़ (b) देखेंगे तो उसमें :

has without reasonable cause failed to pay the tax due within the time allowed." है। इसके अन्दर "half of the tax due" तक पेनल्टी की गुंजायश रखी गई है। अगर १००० रुपये टेक्स हों तो ५०० रु० का जुर्माना, if has failed to pay within the time allowed" रखा गया है।

मेरा ख्याल है कि समय पर कोई टैक्स न दे, यानि जिस दिन टैक्स देना मुकर्रर किया गया है उस तिथि को न दे पाय तो उस पर इतनी हेवी पेनल्टी रखना गैरवाजिब और अन्याय होगा इसलिए यह जो रखा गया है ज्यादा है, और इसीलिए मैंने १० प्रतिशत कर दिया है। इस बिल में सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर कोई पेनल्टी न दे तो वह एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल किया जा सकता है। अगर कोई समय पर किसी कारण वश रकम टैक्स की जमा नहीं करा सके तो उस पर इतना ज्यादा फाइन रखना बिल्कुल गैर वाजिब होगा।

फिर तीसरा ;

"in the case referred to in clause [c] (as renumbered by my amendment)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यानि जो मौजूदा (इ) है :

"has concealed the particulars of his turnover or delibrately furnished inaccurate particulars of such turnover"

इसमें जो मौजूदा पेरा है बिल में, मैंने वैसा का वैसा रखा है। जो जानबूझ कर छुपाए तो; "he should be liable to pay a sum not exceeding double the amount of tax which would have been avoided if taxable turnover as returned by such person had been accepted as correct."

उसके बाद "in the case referred to in clause (d) [as renumbered as per amendment] i. e.

"prevents or obstructs inspection, entry, etc." इसमें दो तरह की पेनल्टी रखी गई है। एक तो फाइन और दूसरा कोर्ट में केस चला कर सजा देने की। यह एक ऐसी चीज़ है कि सजा सख्त होनी चाहिये और मामला कोर्ट से तय होना चाहिये इसलिये मैंने यह रखा है ;

"In this case, no conviction before a Magistrate, sum not exceeding Rs 200/-"

और (जी) में जैसा है: "wilfully acts in contravention of any provision of this Act not otherwise provided for"

एक जनरल प्रोविजन है और इसमें ज्यादा और बढ़ाने की गुंजायश नहीं रहनी चाहिये। इसलिये १०० के बजाय मैंने ५० रुपये रखे हैं, इस प्रकार पेनल्टी के संबध में जो प्रोविजन है उनको संशोधित किया है और इसके बाद मेरा जो संशोधन है वह यह है कि सब क्लॉज़ (४) को हटा दिया जाना चाहिये। क्योंकि इसमें एक चीज ऐसी जरूरी है जिसमें प्रोसीक्यूशन होकर कन्विक्शन होना जरूरी है। अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको अधिकार होना चाहिये। यह बात तो मैंने अपने आप इस क्लॉज़ के मातहत रख दी है। बाकी की चीज़ यह है कि अगर किसी को रिटर्न पेश करने में देर हो जाए और वह व्यक्ति देर करे या टैक्स समय पर न दे सके तो उस पर एसेसिंग ऑथोरेटी द्वारा फाइन से ज्यादा कोई दन्ड नहीं दिया जाना चाहिये। आपने ३१ दिसम्बर तक टैक्स अदा करने की तारीख मुकर्र की और वह नहीं अदा कर सका। यह कोई ऐसा फौजदारी जुर्म नहीं है। आप Public Recovery Act के मातहत इसे रिकवर कर सकते हैं। इसलिये सब क्लॉज़ (४) को रखने की जरूरत नहीं है और इसको डिलीट कर दिया जावे

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसलिये दंड के स्टेन्डर्ड और प्रोसीजर में परिवर्तन हो जावेगा। जहां मौजूदा भाग (एफ) है वहां "prosecutions and Conviction" इसके मातहत दंड देने का अधिकार हो जावेगा।

इन चीजों में संशोधन करने के बाद मुझे उम्मीद है कि इस क्लॉज के आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और अगर पेनल्टी का भाग दूर करना होगा और मुझे उम्मीद है कि इस पर गम्भीरता से गौर किया जावेगा तो मेरे संशोधन की जो बातें हैं उनको मंजूर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने एमेन्डमेंड प्रस्तुत करता हूं।

श्री अवनी कुमार—माननीय अध्यक्ष, मेरा इस क्लॉज़ १५ के सब क्लॉज़ ५ पर यह संशोधन है कि इसको डिलीट किया जावे। अब मैं सदन के सदस्यों का ध्यान सब क्लॉज़ ५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सब क्लॉज़ ५ इस प्रकार है :

"The Commissioner or the authority sanctioning the prosecution may either before or after the institution of proceedings compound any offence." इस सब क्लॉज़ के द्वारा कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया है कि कमिश्नर या ऑथोरिटी sanctioning the prosecution. किसी भी ओफेन्स को कम्पाउन्ड करा सकते हैं। इसका मैं इसलिये विरोध करता हूं कि जो व्यक्ति ओफेन्स करता है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिये। इसलिये अगर वह जुर्म करता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऐसी सूरत में कमिश्नर को यह अधिकार क्यों दिया जा रहा है कि अगर वह चाहें तो केस उठवा सकता है।

दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे अधिकार कमिश्नर को दे दिये जावेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका दुरुपयोग होने की बहुत ज्यादा संभावना है और इससे भ्रष्टाचार ज्यादा फैलेगा।

इसलिए इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह किस भावना से प्रेरित होकर रखा है, वह जरूर समझ में आना मुश्किल हो रहा है। मैं इस बात को नहीं मानता कि······

श्री अध्यक्ष—सद्भावना से प्रेरित होकर।

श्री जवानसिंह--(जारी) कि जो लोग जुर्म करते हैं, वे ऐसी चीज में रत रहते हों इस बात को मैं मंजूर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यह तो मानूंगा कि उनके साथ उनकी सहानुभूति हो सकती है। जो लोग जुर्म करने वाले हैं, इस चीज को करने-कराने कोई भी सभ्य आदमी मंजूर नहीं कर

[श्री जवानसिंह]

सकता कि किसी को जो जान-बूझकर गलती करता है, जान-बूझ कर बदमाशी करता है, एकाउंट के आंकड़े छुपाता है कि जिससे उसको टैक्स नहीं देना पड़े, पहले तो गल्तियें और बदमाशियें करते हैं और बाद में जब उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और पेनल्टी रखी जाती है और उनका प्रोसिक्यूशन होता है तो उस आदमी के प्रति जो भी जान-बूझ कर बदमाशी करता है उसके प्रति सहानुभूति हम इस प्रकार दर्शावें कि उस पेनल्टी को कम कर लिया जावे···· ···

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—आप पहले संशोधन पढ़ लें तो आपको मालूम हो जावेगा।

श्री **जवानसिंह**—इसके बारे में जो बातें संशोधन के रूप में रखी हैं वे समझ में आने वाली बातें नहीं हैं। पहले सेल्स टैक्स कम होने का सवाल था। वह चीज तो मानी जा सकती है, क्योंकि इसका भार हर एक कन्ज्यूमर पर पड़ता है, लेकिन जहां पर ये लोग ज्यादतियें करते हैं और जान-बूझ कर बदमाशियें करते हैं, उनको रास्ते पर लाने के लिए यह कार्यवाही की जाती है। यह तो उन लोगों को, जो जान-बूझ कर ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक रास्ते पर लाने का कदम है, जो इस क्लॉज़ १५ में रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हैं तो शंकाएं आवश्यक रूप से पैदा हो जाती हैं। मुझे विश्वास है कि वे इन संशोधनों को वापिस लेकर शंकाओं का समाधान करेंगे।

जहां तक सब क्लॉज़ (५) को डिलीट करने का सवाल है वह सचमुच ही जरूरी है कि उसे डिलीट किया जाय। इससे माननीय पृथक राजस्व मन्त्री जी भी इन्कार नहीं करेंगे कि ऐसा क्लॉज़ रहने से जितना फायदा होने की वह उम्मीद करते हैं उसके विपरीत उतना ही उससे नुकसान होगा। जिन-जिन कानूनों में कम्पाउन्ड करने का अख्तियार दिया गया है ऑफिसर्स को उससे फायदा नहीं हुआ है, बल्कि फायदा होने के बजाय नुक्सान ही हुआ है और इस चीज़ का उपयोग स्वार्थ के वश या किसी इन्ट्रेस्ट के साथ किया गया है। यह चीज़ फलीभूत नहीं हो सकती है, वे इस चीज़ को मंजूर करेंगे। तो जब वे इस चीज़ को मानते हैं तो कोई व्यक्ति हो चाहे वह छोटा है या बड़ा है उन्हीं कारणों से किसी के साथ जिसने जुर्म किया है सख्ती बरती जाय तो ठीक नहीं होगा। यदि गलती करता है तो सजा होनी चाहिए और इसके लिए हमने प्रोसिक्युशन जैसी चीज़ रखी है। इस कानून में गलती करने वालों के साथ जुर्म या सख्ती का अख्तियार कमिश्नर को नहीं होना चाहिए। जहां हमने प्रोसिक्युशन का अधिकार दिया है तो यह बात न्यायालयों पर छोड़ देना चाहिए, वे उसका फैसला करें कानून के अनुसार न कि कमिश्नर को ये अधिकार, ये अख्तियार दे दिये जांय कि उनके साथ सख्ती बरतें जिन्होंने गलती की है। अतः जहां तक प्रोसिक्युशन का सवाल है मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि कमिश्नर को विशेषाधिकार नहीं देना चाहिए ऐसे मामले कि वह चाहे कम्पाउंड कर ले और वह न चाहे तो कम्पाउन्ड न करे। इससे विशेष आदमियों को फायदा पहुँचेगा। और इस कानून का जितना फायदा जैसा कि आप सोचते हैं उसका उतना ही दुरुपयोग होगा और इससे भ्रष्टाचार फैलेगा। कानून बनाते वक्त हमें यह ख्याल करना चाहिए कि हम समझदारी से चीजें रखें। अतः इन चीजों को सामने रखते हुए सब क्लॉज़ ५ को डिलीट किया जाय।

Page No.59

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट्स रखे हैं उनके बारे में अभी कहा ही जा चुका है। उनमें जो कोई कुसूर करे उनको छूट देने की सहूलियत है बाकी का वही रखा जाय। जहां इस तरह की कार्यवाही न हो। नोर्मल तरीके से कानून अमल करना चाहिए। व्यापारी शिकायतों पर रिटर्न दाखिल कर दें। उनको इस ओर आदत डाली जा रही है। यदि उसमें भूल होती है तो उसके अनुसार वे दुरुस्ती कर लें और इसी मंशा से यह रखा गया है। ऐसी हालत में इस टैक्स को चलाने के लिए इस प्रकार के क्लॉज़ को रखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार के क्लॉज़ सब जगह हैं और इसके अलावा कोई नई बात नहीं आई।

तो सब क्लॉज़ (१) व (२) की तो यह स्थिति है। (२) व (३) में जो सजा बताई गई है उसको बदलने के लिए अमेंडमेंट है। बाकी वही सजा रहती है, जो इसमें सजेस्ट की गई है। सब-क्लॉज़ (४) के बारे में यह रखा है कि अदालत में जजमेंट सीक करने के लिए जाय। मैं समझता हूं कि आसानी से इन मामलों को हल करने के लिए पेनल्टी रखी गई है कि "Rs, 100 is not a significant amount. तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनमें सुझाव की आवश्यकता हो। सब क्लॉज़ (५) में भी ऐसा ही है। तो मैं इस तरह से नहीं मानता कि आपका कोई भी अमेंडमेंट स्वीकार किया जाना चाहिए।

सब क्लॉज़ (५) को डिलीट करने के लिए श्री अवनीकुमार जी का अमेंडमेंट है, उसके सम्बन्ध में जनरल डिस्कशन के वक्त भी मैंने जवाब दिया था। कोई भी ट्रेडर गलती महसूस करता है और अदालत में वह जावेगा तो कम्पाउन्ड करेगा। गलती महसूस करके कम्पाउन्ड न करने के लिये दर्ख्वास्त पेश करेगा तो ट्रेडर को सहूलियत देने के लिए ही यह सब क्लॉज़ रखा गया है। ट्रेडर को भी, अदालत में जाने की परेशानी हो सकती है और गवर्नमेंट को भी जवाब आदि देने की परेशानी हो सकती है, इस प्रकार की व्यवस्था से दोनों ही बच जाते हैं। इस दिक्कत से बचने के लिए यह कम्पाउन्ड का क्लॉज़ रहना चाहिए। इसलिए मैं सब अमेंडमेंट्स को, चाहे श्री अवनीकुमार जी की तरफ से आये हों या जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य की ओर से आये हैं उन सबका विरोध करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन के बारे में एक तरफ नहीं, लेकिन दोनों तरफ नासमझी का वातावरण रहने के कारण हुआ है।

माननीय मंत्रीजी अभी हंसते हैं, लेकिन जब कानून अमल में आने लगेगा और सम्बन्धित लोग ला ला कर उस तरह के केसेज़ और शिकायतें प्रस्तुत करने लगेंगे तब हंसना जरूर कठिन हो जायगा। आम लोगों से इसका ताल्लुक है, हजारों और लाखों लोगों से इसका ताल्लुक है। मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप पार्ट 'बी' को देखिये ; "He has without reasonable cause failed to pay the tax due within the time allowed; or"

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उस पर पहले पेनल्टी आपने क्या रखी है ? जितने टैक्स हैं उसके अलावा ५० पर्सेन्ट और दूसरी पेनल्टी आपने सब क्लॉज़ (४) में यह रखी है कि a person may be prosecuted and he shall, on conviction before a Magistrate, be punishable with simple imprisonment, which may extend to six months, or with a fine not exceeding Rs. 1,000..."

मैं पूछता हूं कि मोटरवेहिकल्स टैक्सेशन नाम की चीज़ है उसका भी तरीका मुकर्रर है और टाइम मुकर्रर होने के बाद पेनल्टी देने की नौबत कुछ माननीय उधर बैठे हुए मित्रों को भी आयी होगी; चाहे कोई कारण रीज़नेबल क्यों न हो, कभी टाइम नेग्लेक्ट हो गया हो, बाहर चले गये हों, या पाच सात दिन की देर हो गई हो तो फाइन होता है। मेरे संशोधन के माफिक है। अगर कोई न दे तो आप पी.टी. आर के मुताबिक रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन कोई यदि टाइम पर टैक्स नहीं दे पाया है तो क्या "Is it a crime" तो क्या उसमें छ: महीने की सजा मुकर्रर होनी चाहिए। यदि सब क्लॉज़ को देखेंगे तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि ;

"who has without reasonable cause failed to comply with all the terms of the notice issued under sub. section (2) of section 9; or"

क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (२) के भाग (२) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा क्योंकि वे शायद भूल गये हों। वह यह कहता है कि जो आदमी रिटर्न पेश करे...

श्री अध्यक्ष—It is all a reptition of the old arguments.

श्री हरिकृष्ण व्यास – रिपीटिशन तो नहीं है ऐसी trivial simple चीज़ पर है। क्लॉज़ ६ के भाग २ की ओर इशारा था। पार्ट दो बताता है कि...

श्री अध्यक्ष—That is also a repetion.

I know the pain which the Hon'ble Member has felt on the non-acceptance of his amendments...

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do not feel the pain on the non-acceptance of my amendments, but my pain is on the non understanding. If one understands and then does not accept, I can understand the difference of opinion, but I cannot understand a mind which is incapable of any adjustment.

श्री अध्यक्ष—The whole House is on one side and the Hon'ble Member is on the other side.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Unfortunately it is not the whole House. It is only an infinitesimal part of the House and I do hope that they will also agree with me.

श्री अध्यक्ष—Whatever it may be. I do not accept that repetition of the same arguments be inflicted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not repeating the same arguments. I think I can introduce points and points of new elements in my speech.

श्री अध्यक्ष—Only points which are necessary for the reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Only for that purpose. तो मैं यह अर्ज कर रहा था—

(हंसी)

क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (२) के भाग (२) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सिर्फ।

नोटिस उसको इस बात का दृश्य किया जा रहा है :

"[ii] to produce or cause to be produced any evidence on which such person may rely, in support of the returns; or"

मान लीजिये कि एक आदमी ने रिटर्न पेश किया, आप उसको नोटिस देते हैं कि तेरे पास रिटर्न के पक्ष में कोई एवीडेन्स हो तो ला। अगर वह एवीडेन्स नहीं लाता है तो उस पर जुर्म करार कर दिया जाता है, चूंकि तूने अपने पक्ष में एवीडेन्स प्रस्तुत नहीं किया इसलिये तू छः महीने की सजा काट। बात यहां तक होती कि अगर कोई आपके हुक्म को न माने या जो पर्टीक्यूलर्स हैं उनको प्रीवेन्शन में आब्स्ट्रेक्शन करे तो उसके बारे में सजा दो। यह कहां का न्याय कि तूने अपने रिटर्न के पक्ष में कोई एवीडेन्स प्रस्तुत नहीं किया इसलिये छः महीने की सजा काट। यह कितना एब्सर्ड क्लॉज़ है, मेरी समझ में तो नहीं आता। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जरा इस पर गंभीरतापूर्वक सोचें, नहीं तो यहां से पास होने पर दुनियां सोचेगी, दुनियां इसके विरोध में चिल्लायेगी तब भी तो आपको करना पड़ेगा। इससे बेहतर तो यह है कि अभी आप इस पर सोच-विचार कर इसको हटा दीजिये। नहीं तो मैं आप से यह भी कह देना चाहता हूं कि जब चुनाव का मौका

Page No.62

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आयेगा तब आप खुद ही अपने हाथों इसमें संशोधन लावेंगे। अभी आप इस पर नहीं सोचते है तो यह आपकी मर्जी है। रिटर्न के सबमिशन की तहत सजा देना बहुत बेजा बात है। अगर आपको सजा देना ही है तो मोटर व्हिकल्स एक्ट की तहत जिन लोगों ने देरी से टेक्स दिया उन लोगों को पहले छः महीने की सजा काट आने दो। जब आप यही स्टेन्डर्ड मुकरर्र करना चाहते हैं तो पहले अपने खुद के बारे में लागू करें, फिर बाद में यहां भी लागू करें।

श्री जवानसिंह—इनकी समझ में तो कुछ भी नहीं आया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—समझ में नहीं आता है तभी तो इतना कहने कि अवश्यकता पडती है।

श्री अध्यक्ष—No question hour please.

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री ने मेरे अमेंडमेंट को अस्वीकार कर दिया, फिर भी उनका ध्यान सब क्लॉज ४ के प्रोविज़ो की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें लिखा है :

"Provided that no person will be prosecuted without the previous sanction by the commissioner or other authority to whom the powers of sanctioning have been given by the Commissioner in writing;"

तो मेरा कहनें का तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति का प्रोसीक्यूशन होता है तो उसके लिये कमिश्नर की आज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। अगर ओफेन्स कंम्पाउन्ड करना है परमिश्न देने के पहले कम्पाउन्ड किया जा सकता है। अगर कमिश्नर प्रोसीक्यूशन की इजाजत देता है तो उसको न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिये और फिर जो निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाय वही मान्य होगा। इसलिये Compound करने के अधिकार कमिश्नर को नही होने चाहिये।

मेरा यह वाजिब संशोधन है अगर माननीय मंत्री स्वीकार करते हैं तो ठीक है नहीं तो मैं इस को वापिस लेने के लिये तैयार हूँ।

[कुछ विराम के अनन्तर]

मैं अपने अमेंडमेंट को वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री मुकर्जी को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ में जो संशोधन श्री एच.के. व्यास ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ विधेयक का अंग बने।

(विराम)

क्लॉज १५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १७, श्री एच० के० व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 17 :-

"Delete the clause-"

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

माननीय अध्यक्ष, हकीकत तो यह है कि इस प्रकार का क्लॉज़ करीब करीब हरेक बिल का अंग होता है। इस प्रकार के क्लॉज के सिलसिले में जब एक इसी प्रकार के बिल में बहस हो रही थी उस समय भी मैंने कुछ बातें सदन के सामने रखी थीं। उन सब चीजों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह एक विशेष प्रकार का बिल है और इस बिल के कुछ क्लॉज़ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सीजर्स आदि ऐसी चीजों से है जो हमेशा के प्रयोग में आने वाली हैं। ऐसी स्थिति में जिन सरकारी अधिकारियों के हाथ में इस कानून के लागू करने का अधिकार है उन अधिकारियों के पास काफी हदतक एबसर्डिटी पावर हैं यह हमें पहले समझ लेना चाहिये। वे चाहे जिस घर में घुस सकते हैं कि हमें तुम्हारा हिसाब-किताब जांच करना है, हम तुम्हारा गुड्स चेक करेंगे, इस तरह से वे अधिकारों का दुरूपयोग करेंगे, यह आम तौर पर स्थिति रहती है, ऐसा ख्याल रख कर ही हमें सोचना होगा। जब ऐसी गुंजाइश है कि अधिकारों का दुरूपयोग किया जावे किसको परेशान किया जा सकता है। किसी को तंग करने के लिये इस अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। अतः उन लोगों के रिलीफ के लिये इस सारे बिल में एक भी क्लॉज़ नहीं है। ऐसी स्थिति में जो यह इनडेम्निटी दी गई है किसी भी कारण न्यायसंगत आधार पर सही नहीं मानी जा सकती। मैं तो ऊसूलन इस राय का हूं कि कानून में वर्जिश करने का काम अगर कोई अन्यायपूर्ण तरीके से करता हो तो उस सरकारी अधिकारी को इनडेम्निटी नहीं दी जानी चाहिये। मामूली से मामूली कानून की वर्जिश करने में अगर कोई अन्याय करता है, ज्यादती करता है, उसको न्याय के लिये किसके सामने प्रस्तुत होना चहिये। आम तौर पर इनका कारण इस नीति से नहीं वह आर्बिट्रेरी जो पावर्स दिये गये हैं उसके अनुसार यह आवश्यक है, आवश्यक हो नहीं अत्यन्त आवश्यक है कि इस बिल के अन्दर तो कम से कम इनडेम्निटी की क्लॉज़ नहीं रखें। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो अमेंडमेंट इस क्लॉज़ को हटाने के सिलसिले में है उसको स्वीकार कर लिया जायगा।

(कुं० श्री जसवन्तसिंह, के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १७ और १८ एक से ही हैं, आप उस पर बोल लीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is related to entry, inspection, seizure, etc.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष जी, अभी मेरे मित्र जोधपुर से आने वाले मित्र ने बहुत जोर से क्लॉज़ १७ का जिसमें इनडेम्निटी के अधिकार हैं उसको हटाने के लिये बहुत जोर शोर से भाषण दिया। मेरे माननीय मित्र से मैं यह निवेदन कर दूं कि अगर वे एक अधिकारी की स्थिति में होते तो शायद सब से पहले व्यक्ति होते जो इस प्रकार के बचाव के पक्ष में होते। अगर इस तरह का बचाव अधिकारियों को नहीं होगा खास तौर से डेमोक्रेटिक सेट अप में जिसकी कि बुनियाद हम डाल रहे हैं, इससे स्थिति यह पैदा हो जायगी कि कोई भी अफसर न्याय नहीं कर

[कुं० श्री जसवंतसिंह]

सकेगा। पोलिटिकल पार्टियों के दबाव से या निजी दबाव से या कुछ ऐसे दबाव आते हैं जिस में अधिकारियों को न्याय करने में बहुत दिक्कत आती है। मैं अपने २५ साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं इस समय में मैंने छोटे अधिकारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी का काम किया है। मुझे पता है कि किस प्रकार की दिक्कतें एक अधिकारी के सामने आ सकती हैं। किस प्रकार के दबाव विरोधी व्यक्तियों की ओर से जहां कहीं जिम्मेवारी का काम अन्जाम देना होता है तो अधिकारियों पर लादा जाता है। अगर कोई अधिकारी जैसा कि माननीय सदस्य, जो जोधपुर से आये हैं उनके कहने के मुताबिक उनको शक है कि वे न्याय न करें या अनुचित कार्यवाही करेंगे तो उनके लिये सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेटिवली काफी अधिकार हैं, उनसे ऊंचे अधिकारी हैं जो उन आफिसर्स को सीधा कर सकते हैं, और सजा भी दे सकते हैं। और गवर्नमेंट द्वारा हो या उसके जो उच्च अधिकारी हों उनके द्वारा उस गलती को सुधारा जा सकता है। मगर रोजाना के जो कार्य हैं, उन कार्यों में अगर अधिकारियों का बचाव नहीं किया जावेगा तो एक ऐसा सवाल पैदा हो जावेगा कि जिससे कि एक डिमोरेलाइज़ेशन प्रान्त भर में फैल जावेगा जिससे बहुत बड़ी हानि हो जावेगी, किसी व्यक्ति की हानि नहीं होगी पर यह जो हमारा गणतन्त्र राज्य स्थापित हुआ है उसके लिए भी हम इसके द्वारा एक परम्परा ऐसी खराब डालेंगे कि उसकी क्या दशा हो जावेगी थोड़े वर्षों में इसको भी हमें सोचना है।

अगर हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट न होती और जैसे कि विचार हमारे माननीय मित्र जोधपुर से आने वालों के हैं, अगर यहां टोटेलिटेरियन स्टेट होती तो मैं यह मानता हूँ कि इस तरह के बचाव की जरूरत नहीं; क्योंकि इस प्रकार के अधिकारी को या बड़े से बड़े अधिकारी को जो इशारे के माफिक न चलता हो बिना कारण ही उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती थी, पर डेमोक्रेटिक स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता, और फिर सब के साथ न्याय किया जावे इसके साधन हमारे पास मौजूद हैं। अगर कोई अधिकारी किसी को अकारण या जो शंकाएं मेरे माननीय सदस्य ने व्यक्त की अगर वैसी बात भी हो तो इन सबको और तरीकों से ठीक किया जा सकता है, और वे तरीके हमारी इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास हैं भी, ऐसी स्थिति में उन अधिकारियों में कम से कम डेमोरेलाइजेशन न फैले इस दृष्टि से ऐसा कानून होना बहुत लाजिमी है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस तरह से कानून जिसके लिए कि उन्होंने खुद ने एडमिट किया है, सभी देशों में मौजूद हैं और हमारे भारत में भी और हमारी राजस्थान की विधान सभा में भी हमने पहले ऐसे कानून पास किये हैं, जहां पर ऐसे कार्यों के लिए अधिकारियों का बचाव करना अनिवार्य हो जाता है, तो इन शब्दों के साथ मैं उनके (श्री हरिकृष्ण व्यास के) प्रस्ताव का घोर विरोध करते हुए यह निवेदन करूंगा कि ऐसे जब कभी उन माननीय मित्र की तरफ से सुझाव आते हैं तो वे सिर्फ सुझाव के रखने के लिए ही पेश करते हैं इसलिए उनकी ऐसी बातों को सीरियसली नहीं लिया जावे।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

यह निवेदन करके मैं यही चाहता हूं कि ऐसा कानून होना बहुत लाजमी है और क्लॉज़ इसमें रहना चाहिये और अगर नहीं रहेगा तो एक डिमोरेलाइज़ेशन ऐसा फैल जावेगा कि जिससे हमारे देश को हानि पहुँच सकती है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी चाहता हूं कि इस पर थोड़ासा बोल दूं। यह एक ऐसा क्लॉज़ है कि भारत में शायद कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां इसको न रक्खा गया हो, और जिसके लिये सिवाय इन जरायमपेशा लोगों के कि जो पकड़े जाने के बावजूद भी अपने रेकॉर्ड को छिपाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से गड़बड़ डालकर उन अधिकारियों को ठीक तरह से कार्य को सम्पन्न नहीं करने देना चाहते हैं, सब ने इसका समर्थन किया है! ये जरायम पेशे वाले लोग और क्या करते हैं कि कोई अफसर अगर उनकी डराने धमकाने की तरकीबों से प्रभावित नहीं होते हैं और मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी को अन्जाम देते हैं, तो यह ड्यूटी अन्जाम देने के बावजूद उनको इसे करने के लिए, उनको करप्ट करने के लिए, सिविल कोर्ट में ले जावें तो इस प्रकार की मेन्टेलिटी के लोगों के लिये यह ठीक हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसा क्लॉज़ है जिसमें किसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट लाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है और मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की अपील अगर ऐसे लोगों की तरफ से आवे तो उस पर विचार न करें।

श्री भोलानाथ—इसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ कि इसको स्वीकार न किया जावे। –

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह साहब इस पर बहुत कुछ कह गये हैं। मुझे भी कुछ फिर कहने की आवश्यकता महसूस हो गई है।

श्री अध्यक्ष—Do not take all these things seriously.

श्री हरिकृष्ण व्यास—At least the words coming from an area where wate causes malaria have to be replied to.

बेकार एक्साइट होने की बात नहीं है। मैं चाहता था कि माननीय मन्त्री जी इस पर बोलें। पर उनके साथ साथ माननीय मित्रों ने भी जिक्र किया और उससे ऐसा अन्दाज हो रहा है कि जैसे समाज में रहने वाले लोग तो सभी जरायम पेशा ही हैं और दूध के धोये तो ये सरकारी अधिकारी और उन पर राज करने वाली यह सरकार ही है।

दरअसल हकीकत तो यह है कि इस तरह की सारी गड़बड़ियों के लिए सरकारी अधिकारियों पर किन्ही और ही लोगों द्वारा धौंस बताई जाती है, नहीं तो केवल कोर्ट में जाने से क्या किसी को

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

चमड़ी उतर आवेगी। अगर वास्तव में वे सच्चे हैं और खरे है और ईमानदारी और मजबूती से अपनी ड्युटी अन्जाम देते हैं और इसके बावजूद भी अगर किसी ने उन्हें कोर्ट में घसीटा तो वे बरी हो जावेंगे वहां जाकर और वह आदमी जो इस प्रकार का मुकदमा लावेगा उसको बेकार परेशान होना पड़ेगा और खर्चे की परशानी और उठानी पड़ेगी, उसको सारे मुकद्दमे का खर्चा भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से तो अगर वे सच्चे हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी, परेशानी तो मुद्दकमा चलाने वाले को होगी। अगर वह सच्चा होगा और कानून के मातहत उसने काम किया होगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। पर दरअसल मुद्दे की चीज़ तो यह है कि इससे कौनसे अधिकारी को परेशान होना पड़ेगा ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—न्याय करने वाले को।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पैसे भर भी नुकसान उसको नहीं होगा, बल्कि अन्याय करने वाले को परेशान होना पड़ेगा। न्याय करने वाले को किसी काम की परेशानी होगी ? हां, यह जरूर है कि कोर्ट में टेलीफोन की बात वह कह नहीं सकता। असल बात यह है। टेलीफोन की बातों से उस को जरूर परेशानी होगी। रुपये के नोटों की बातें करने वाले को जरूर परेशानी होगी।

(ऑर्डर सूचक घंटी)

यह भ्रष्टाचारी अधिकारियों का जिक्र कर रहा हूं साहब मैं।

श्री अध्यक्ष—You should not go beyond the scope of reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सिलसिले में डेमोक्रेसी का भी जिक्र किया गया और totalitariansim का भी जिक्र किया गया। मेरा यह प्रश्न है कि क्या ऐसे एक भी क्लॉज़ का प्रजातन्त्र के साथ इतना बड़ा अभिन्न समन्वय है कि ऐसा क्लॉज़ नहीं रहेगा तो प्रजातन्त्र में बड़ी भारी कोई खोट आ जावेगी। लगातार इस बात का प्रचार किया जाता है कि टोटेलिटेरियन कन्ट्रीज़ में या जिन कन्ट्रीज़ को टोटेलिटेरियन कहा जाता है, उनमें तो ऐसी बातें खट जाती हैं, वहां तो इस प्रकार के क्लॉज़ की आवश्यकता है नहीं, वहां तो कोई अधिकारी अगर गड़बड़ करता है तो कोड़े मारकर ठीक कर दिया जाता है, गोली मार कर ठीक कर दिया जाता है; वगैरह वगैरह बातें कही गई हैं। आज नहीं तो उस दिन कहीं थी माननीय मन्त्रीजी ने। तो यह मानकर चलना कि वहां कोई रूल नहीं है, वहां कोई इस प्रकार का कानून नहीं है, यह समझ की कमी ही प्रकट करती है ? क्योंकि जिन देशों की तरफ उनका इशारा था उनमें से एक का तो जिक्र मैं कर दूं, और अखबार पढ़ने वाले सभी इस बात को जानते हैं और आप भी उसे जानते हैं। मैं फिर भी साफ साफ कह दूं कि वह देश है चीन। अभी अभी उसका संविधान पास हुआ है और वह इसी एक अक्टूबर को लागू हुआ है। उसकी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आर्टीकल ८५ या ८७ जहां तक मुझे याद है उसमें यह कहा गया है कि फन्डामेन्टल राइट हर आदमी का क्या है ? फन्डामेन्टल राइट्स का उसमें जिक्र है :

(Quoting from memory)

"Every citizen of the People' Democratic Republic of China shall have the right to take action or complain against or prosecute any civil servant for an act done against law or for harrassment caused to him." और न यह सिर्फ प्रोसीजरल चीज़ है, इसको फन्डामेन्टल राइट बनाया है। क्यों ? इसलिए कि जब तक ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, जो अपना फर्ज पूरा न करें, जनता को अदालतों के सामने लाना न पड़े तब तक सारे के सारे समाज में आज फैला हुआ भ्रष्टाचार है नाना प्रकार का, सरकारी जगत का, इधर उधर का; आसपास का; वह दूर नहीं हो सकता। और उसका नतीजा भी हुआ है, माननीय अध्यक्ष। दुनियां जानती है कि उसका नतीजा क्या हुआ ? उसका नतीजा यह हुआ कि लेवल ऑफ ऐडमिनिस्ट्रेशन और मोरल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऊंचा हो गया और करप्शन बहुत हद तक नीचे चला गया है, ऐसा इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स का कहना है। यह मानकर, मैं मानता हूं कि डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हो सकती है, चलने की कोई चीज नहीं है, कि यह क्लॉज़ प्रजातन्त्र से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस क्लॉज़ को नहीं रखें तो प्रजातन्त्र का मटियामेंट हो जायगा। ऐसी स्थिति में कम से कम मानें या नहीं मानें, इस क्लॉज़ को हटा दिया जायगा तो जैसा कि कहा गया है कि जरायम पेशा लोगों को परेशानी होगी बल्कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों को परेशानी होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७, पर जो एमेंडमेंट श्री एच. के. व्यास का है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ १८, श्री हरिकृष्ण व्यास ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं, माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १८ पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वह हाईकोर्ट में जाने के बारे में अधिकार का जो जिक्र था वह अब क्लॉज़ १८ पर जरा गौर फरमायें तो :

"EXCEPT as provided in section 13, no appeal or application for revision shall lie against any such assessment or order."

और उसके पहले यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार का :

"No order passed under this Act or the rules made thereunder by the Assessing authority, appellate authority or the Commissioner shall be called in to question in any court."

मेरा ख्याल है कि इसमें यह लगभग मान कर चला जाता है कि क्लॉज़ १७ में जितनी चीजें हैं उतनी तो हैं हीं, लेकिन इसके अलावा संविधान द्वारा जो अधिकार दिये गये हैं उन अधिकारों पर रोक लगाने वाला यह अधिकार है कि कोई भी इस प्रकार का केस नहीं ले जा सकता है, न लाया जाय। मेरे ख्याल से यह अनावश्यक है। जो प्रोसीजर मुकर्रर कर दिया है उसके अलावा कोई प्वॉइन्ट ले जाने का जिनको अधिकार है वह तो ले जायेंगे ही और नहीं होगा तो बैठे रहेंगे। लेकिन इस प्रकार का क्लॉज़ इसमें नहीं डालना चाहिये। इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष, इस पर खास कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १९ और २० विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १९ और २० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २१, श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speakr, Sir, I beg to move the follwing amendment to Clause 21, at No. 38. इसके द्वारा सब क्लॉज़ (२) के पश्चात् खण्ड (३), (४) व (५) और जोड़ने का है। क्लॉज़ २१ का ताल्लुक जैसा कि हेडिंग में लिखा है "Power of entry, inspection, and seizure of books of accounts and documents." एन्ट्री की पॉवर है, इन्सपेक्शन की भी पॉवर्स हैं और सीज्योर ऑफ बुक्स ऑफ एकाउन्ट्स के भी पॉवर्स हैं। अब यह पॉवर्स इनको हैं, यहां पॉवर्स सब क्लॉज़ (१) की आखरी लाइन की ओर यदि आप गौर फरमावें तो दिखाई देगा। उसके अनुसार "of the assessing authroty or any person authorised by the Government in this behalf at all reasonable times."

तो यह पॉवर है एसेसिंग ऑथोरिटी को या "any person authorised by the Government in this behalf" यह दोनों एसेसिंग ऑथोरिटी अथवा दूसरा जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वह इन्सपेक्टर होगा मामूली तौर पर। यह साफ बात है कि वह रीज़नेबल टाइम में इन्सपेक्शन कर सकेगा, ऑफिस, गोडाउन्स, फेक्ट्री और वेहीकल्स, प्लेस ऑफ बिज़ीनेस। यह सब चीजें जो हैं इनके अन्दर ऐसी चीज आ सकेगी वह इन्सपेक्शन कर सकेगा और मौका आयेगा तो सीज़र कर सकेगा। यह बहुत ही बड़ा अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूं। जिसका इक्वीवेलेन्ट सर्च है। जिसका इक्वीवेलेन्ट अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किसी की तलाशी लेने का है। यह अधिकार किसको दिया जा रहा है? यह अधिकार दिया जा रहा है एक सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर को। अब इस अधिकार के मातहत कितनी गड़बड़ हो सकती है इसकी एक दो मिसाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। यदि किसी आदमी को तंग ही करना है तो ऐसे मौके पर जब कि बिजनेस आवर्स उसके लिए खूब रेम्युनिरेटिव हैं, वह उनके पास आये और जाकर कहेगा कि लाओ इन्सपेक्शन कराओ। यानी कभी भी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बगैर सूचना के किसी घर और दूकान तो सब एक ही रहती है, इस तरह से घर और दूकान मिली हुई चीज है, उसके अन्दर घुसकर जांच पड़ताल करने की कोशिश करना यह सब अधिकार एक मामूली कस्टम इन्सपेक्टर को दे देना यह कम से कम मेरे खयाल से गैर वाज़िब है और इसके ऊपर बन्धन लगना चाहिए।

अब बन्धन कैसे और क्या लगना चाहिए ? तो मैंने अपने संशोधनों के द्वारा वह बन्धन लगाये हैं जो इन अधिकारों को उन इन्सपेक्टरों के हाथ में तो रखेंगे लेकिन उनके ऊपर थोड़ी रोक रहेगी जिससे कि अन्याय नहीं होने पाये। पहला जो मेरा संशोधन हैं वह यह है कि :—

'[3] The assessing authority or the person authorised by Government in this behalf shall before he does anything under sub-section [1] or sub-section [2] give a written order of his intention to do so to the person concerned, stating therein the specific and exact ground and particulars why he inteds to do so."

क्या उसे सूचना मिली है, क्या उनका शुबाह हैं, क्या उसको शक है, इसके बारे में पहले तो लिखकर हुकम दे दे कि अमुक अमुक कारण की वजह से मैं यह इन्सपेक्शन कर रहा हूँ, एन्ट्री करता हूँ। मुझे ऐसा अन्देशा है उसके बाद :—

"[4] The assessing authority or the person authorised by theGovernment in this behalf when acting under sub-section [1] and snb-section [2] shall have to be accompanied by to panchas acceptable to the person subject to such search or inspection shall be recorded in writing in the presence of the panchas who shall sign the same."

दूसरा संशोधन यह है कि किसी के घर का इस प्रकार से इन्सपेक्शन करें तो उस आदमी के विश्वास के ऐसे दो मोजिज आदमी साथ में हों। उनकी देखरेख में इन्सपेक्शन हो और वह इन्सपेक्शन यानी देखभाल है उसका जो रिजल्ट हो वह वहीं का वहीं उन पंचों के सामने दर्ज कर दिया जाय। ऐसा नहीं हो की रजिस्टर में बाद में एन्ट्री कर दें और दूसरे कम से कम आम तौर पर एक्जेम्पशन दे दिये हैं। क्लॉज़ १७, के मातहत तो इस सेक्शन के अन्दर यह पाबन्दी लगाई जाय। लेकिन यह बाधा लगाई जाय कि:—

"Any officer acting under sub-section [1] or sub:section (2) shall be liable for prosecution if he misuses his authority under this section or in a malafide manner seeks to harass any person."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यदि आप इन्डेम्निटि देना चाहते हैं तो यह खराब से खराब चीज है जो आज की स्थिति में बहुत ही जबर्दस्त अधिकार है। इसको देते समय यह पाबन्दी जरूर लगाई जाय कि उसका यदि कोई दुरूपयोग करेगा तो उस पर मुकद्दमा चलाया जायगा। तो जो अधिकार दिए हैं उन पर पाबन्दी नहीं लगयेंगे तो पता कैसे चलेगा की गड़बड़ी हो रही हैं या नहीं, लकिन इन अधिकारों को न देने के बजाय दूसरा आल्टरनेटिव यह है कि ऐसे रेस्ट्रीक्शन्स या बाधायें लगाई जांय कि जिनके जरिये दुरूपयोग नहीं हो सके और जहांतक होसके उन अधिकारों का प्रयोग करने वालों पर आप अंकुश रख सकें। मुझे ऐसा अन्दाज है कि यदि अंकुश या बन्दिश नहीं रखी जावेगी तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब लोगों को हरास करके जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे और लिखा लेंगे। यदि बारबार ऐसा होता है तो दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। ऐसे ऐरे गैरे सब को अधिकार देना खतरनाक होगा। इसलिये मेरा ख्याल है कि जो अमेंडमेंट है बाधायें लगाने का और जिन अधिकारियों को दूसरों के घरों में घुसने का मौका देते हैं तो यदि उन पर कोई रेट्रिक्शन्स नही है तो अच्छा नहीं होगा। इस दृष्टि से सोचता हूँ कि मेरा अमेन्डमेन्ट स्वीकार हो जायगा।

श्री भैंरू सिंह—जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं समझता हूँ कि वह इस प्रकार का संशोधन नहीं कि जिस पर कोई विशेष वाद-विवाद के बाद माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना की जाय कि उसे स्वीकार करें। अध्यक्ष महोदय, अभी जब हमने क्लॉज़ १७, इसी सदन में पास किया उस वक्त सदन के अधिकांश सदस्यों का यह रुख रहा कि यदि इस कानून के अनुसार के क्लॉज़ेज़ का पालन ठीक प्रकार से करना है तो सरकारी अधिकारियों की रक्षा भी हमें करनी है। यदि वे कोई काम अच्छे ढंग से और अच्छी नीयत से करें तो उनका किसी भी प्रकार से प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता और इस प्रकार का प्रबन्ध हमने क्लॉज़ १७ में किया, लेकिन इस प्रकार का प्रबन्ध करने के साथ साथ हमें उन बातों की ओर भी ध्यान देना है जिन पर आज तक सरकारी अधिकारियों द्वारा जनता को परेशान करने के लिये काम किया जाता है। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ कि सेल्स टैक्स का जब आंकड़ा प्रस्तुत किया जायगा तो जनता का एक भाग ऐसे लोगों का होगा जो सेल्स टैक्स के गलत आंकड़े प्रस्तुत करके किसी न किसी प्रकार से टैक्स जो देना है उसको ओमिट करावें, इस प्रकार उनकी कुचेष्टा से सरकार को किसी प्रकार से गलत फहमी नहीं रहे। सरकार इसकी वास्तविकता की जांच करा सकती है इसलिये सरकारी अधिकारियों के लिये आवश्यक होता है कि जब उनको कोई शुबा मालूम हो तब वे उस स्थान पर जाकर वास्तविक बातों की जांच करने का प्रबन्ध करें। वहां जावें और डॉकुमेन्ट्स आदि देवें और आवश्यकता समझें तो इस प्रकार के डॉकुमेन्ट्स जब्त भी करें। अध्यक्ष महोदय, आज तक जितने कानून बने हैं इस सदन के अन्दर या सदन से पहले उनमें अधिकार मिला है और उनमें हमने बंदिश डाली है कि कोई सरकारी अधिकारी इस प्रकार के अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करें। कानून के प्रोविज़न्स के अनुसार किसी की तलाशी लेने की जरूरत पड़े या तलाशी लेकर वास्तविकता की जांच की आवश्यता पड़े तो जांच का तरीका वही होगा जो जाब्ता फौजदारी में दिया हुआ है।

[श्री भैरूंसिंह]

लेकिन इस कानून में न मालूम क्यों एक क्लॉज़ के द्वारा प्रोटेक्शन दिया है और दूसरी ओर शायद हमने एक प्रकार की छूट दे दी है। मैं स्पष्ट कहूंगा कि जब कोई पाबन्दी नहीं रहे तो सरकारी अधिकारी हर तरह से दुरुपयोग करेंगे और कइयों की दुर्गति होगी और नुकसान उठाना पड़ेगा।

जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने शायद कई कारणों से अपना अमेंडमेंट मूव किया है। उसको स्वीकार करने की स्थिति में यदि मंत्रीजी नहीं हैं, तो यह तो करें कि जाब्ता फौजदारी के कानून में जो तरीका तलाशी लेने का निर्धारित किया गया है, वही दूसरे कानूनों में भी आता है और वही तरीका इस कानून में भी अख्त्यार कर लिया जाय ताकि सरकारी अधिकारियों के अधिकार का दुरुपयोग नहीं हो और जनता को नुकसान नहीं हो। या तो जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार करें या मंत्रीजी खुद संशोधन लावें कि जाब्ता फौजदारी में जो तरीका तलाशी लेने का दिया हुआ है वही यहां भी काम में आवेगा।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—I don't want to move my amendment.

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ जो रखा गया है वह इस तरह का है जैसा कि क्लॉज़ १५, पर चर्चा की थी, क्यों कि आखिर में यदि यह अधिकार किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास नहीं रहता है...

श्री भैरूंसिंह—अधिकार नहीं रहने का सवाल नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—It is a question of putting reasonable restrictions.

श्री भोलानाथ—मेरे सामने कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है कि जिससे मैं ऐसा समझूं कि आपका अमेंडमेंट है वह बिल्कुल ही इस प्रकार का है कि उसमें सिद्धान्त की जो मंशा है वह खत्म हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह—जाब्ता फौजदारी में है वैसा होना चाहिये।

श्री भोलानाथ—जाब्ता फौजदारी में सर्च का जो तरीका दिया गया है वह दूसरी तरह की सर्च के लिये है। यहां तो मामूली तरह की सर्च की बात है। वैसी सर्च तो आज भी चलती है, कस्टम डिपार्टमेंट की ओर से भी सर्च चलती है। जाब्ता फौजदारी का तरीका तो चोरी के माल के संबन्ध में जो सर्च होती है उसके लिये काम में लायी जाती है।...

श्री भैरोंसिंह—यहां पर उसको काम में लाने में क्या दिक्कत सामने आती है?

श्री भोलानाथ—इस में दिक्कत है ही। यहां तो ऐसे केसेज़ होते हैं जिनमें इन्वेंट्री की सर्च करनी पड़ती है। इसमें तो सिर्फ कागज पकड़ने का सवाल है कि आया एन्ट्री दर्ज हुई है या नहीं। यहां चालान के जरिये सर्च करने का सवाल नहीं है। यहां तो मामूली हिसाब-किताब रखा जाता है उसको उठा लावें और बदले में रसीद देनी है। उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है और न इसमें कोई परेशानी ही है। जिनके रिटर्न्स सही आयेंगे उनको कोई छूनेवाला नहीं है इसलिये जो अमेंडमेंट आया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट श्री एच.के व्यास ने क्लॉज़ २१, में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री गोपीलाल यादव—They (Members of the Government Benches) are only five, Sir, and we are so many.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २२

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन बहुत छोटा सा है। रिफन्ड के लिये एप्लीकेशन की अवधि जो इस सब क्लॉज़ में एक साल की रखी गई है, उसके स्थान पर ३ साल की अवधि रखे जाने के बारे में मेरा यह संशोधन है। आपने पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स की जो अवधि रखी है वह ३ साल की रखी है, उस स्थिति में डबल स्टेन्डर्ड नहीं होना चाहिये। वहां तीन साल रखे हैं तो जहां उसे कुछ मिलता हो, किसी के हक में मिलता हो, तो वहां पर कम अवधि नहीं रखनी चाहिये। चूंकि वहा ३ साल की अवधि रखी है इसलिये यहां पर भी ३ साल की अवधि रखनी चाहिये, यही न्याय संगत होगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री पृथक राजस्व मंत्री से) स्वीकार है क्या, 'वन ईयर' के बजाय 'थ्री इयर्स' का संशोधन ?

श्री भोलानाथ—नहीं साहब, एक साल का ही रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री एच. के. व्यास ने क्लॉज़ २२ के सब क्लॉज़ (४) में जो संशोधन रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(हां पक्ष की ध्वनि जोर से होने पर)

श्री श्रीदास गोयल एवं श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—Noes have it ,Sir.

(विभाजन घण्टी, एवं दो मिनिट के लिये निस्तब्धता)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने क्लॉज़ २२ के सब क्लॉज़ (४) में रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २३ से २५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २३,२४व २५ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २३,२४ व २५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २६, श्री मुकर्जी।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी- माननीय अध्यक्ष, मेरा जो संशोधन है वह क्लॉज़ २६ को डिलीट करने के बारे में है। यह क्लॉज़ इस प्रकार है: "If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion may require, by order do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty.

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

Provided that the power conferred by this section shall not be exercised after the expiry of two years from the commencement of this Act."

तो इसके अन्दर मेरा विरोध इसलिये है कि इस क्लॉज़ में गवर्नमेंट के हाथों में पॉवर्स के डेलीगेशन की व्यवस्था की जा रही है। यदि डिफिकल्टीज़ आयें तो उनको रिमूव करने के लिये ऑर्डर प्रोमलेट कर सकती है और उन डिफिकल्टीज़ को रिमूव कर सकती है। मेरा निवेदन यह है कि विधान सभा का अधिवेशन साल में कई दफा होता है। जो विधान सभा के पॉवर्स हैं उन्हें सरकार को डेलीगेट करने की जो यह प्रणाली है उसका विरोध करने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है। कल भी इसी तरह का क्लॉज़ था जिसमें गवर्नमेंट को पॉवर्स डेलीगेट करने की व्यवस्था थी: उसका विरोध किया गया था, विधान सभा के अधिकारों को हड़प कर दो दो अधिकार सरकार अपने हाथों में ले ले और फिर सरकार अपने मन के माफिक काम करे यह न्याय संगत नहीं है। मेरे साथी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सिद्धान्त रखे हैं, वह उनका वह समर्थन करेंगे।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा विश्वास है कि ...

श्री भोलानाथ—इसको मैं मन्जूर कर लेता हूं, फिर तो स्पीच की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री जवानसिंह—इससे बढ़ कर और खुशी क्या है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह गलती क्यों कर रहे हो आप आज ?-

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—It is always good to err in the public interest.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ को डिलीट करने का जो संशोधन श्री अवनिकुमार मुकर्जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह कि क्लॉजेज़ २७, २८ और २६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २७, २८ और २६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

Now we come to clause 6 मैं पढ़ देता हूं जो अमेंडमेंट क्लॉज़ पर आया है, as agreed to by the treasury Benches, Members who were concerned in moving the amendments should please see whether their amendments have been covered or not. Substitute the following for clause 6:—

"(1) No dealer shall, while being liable to pay tax under section 3 of this Act, carry on business as a dealer unless he has been registered and possesses a registration certificate.

(2) Every dealer required by sub-section [1] to be registered, shall make application in such behalf in the prescribed manner to the prescribed authority.

(3) If the said authority is satisfied that an application for registration is an order, he shall, in accordance with such rules as may be prescribed, after recovering such fee, not exceeding rupees ten, as may be prescribed, register the applicant and grant him a certificate of registration in the prescribed from.

[4] The prescribed authority may amend or renew or cancel any certificate of registration.

(5) When any dealer is penalized under section 15 in respect of any contravention of sub-section [1], the prescribed authority shall on realizing the amount of penalty and the fee, issue a licence or register such dealer and grant him a certificate of registration and such licence or registration certificate shall take effect as if it had been made under sub-section [3] on the dealer's application."

श्री हरिकृष्ण व्यास—It does not cover even the cases of those dealers who are carrying on their trade already.

"Provided that any dealer who at the commencement of this Act is liable to pay tax under this Act shall be deemed not have contravened the provisions

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

of this sub-section if he applies for a licence or a certificate, as the case may be, before such date as may be prescribed in this behalf."

That proviso is not at all covered. So naturally the amendments could not be covered. How would that stand? A dealer who is carrying on business already, what would be his position?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—The whole clause has been substituted. 'Substitute the following for clause 6'. The whole clause has been substituted.

पोजिशन जो भी है वह साफ है। ओरिजिनल जो है वह दिल्ली के पेटर्न पर है। अब whole clause has been substiuted.

श्री अध्यक्ष—Yes, What is the difficulty?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें कुछ कमी है साहब।

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष, इसमें एक प्रोविजन था वह जरूरी था। वह इसमें से रह गया, इसलिए इसको बढ़ाना आवश्यक है। वह इस प्रकार है......

श्री अध्यक्ष—सब क्लॉज़ (१) के बाद में आवेगा।

श्री भोलानाथ—५ के बाद, आखिर में अवेगा।

श्री अध्यक्ष—At the end.

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप पूरी बात कहें। Not earlier than 3 months.

श्री भोलानाथ—The proviso will remain including 'three months'. In the last but one line between the words 'date' and 'as' the following words will be added:

"not earlier than three months from the date of commencement of this Act".

श्री हरिकृष्ण व्यास—Please read the whole proviso.

श्री अध्यक्ष—"Provided that any dealer who at the commencement of this Act is liable to pay tax under this Act, shall be deemed not to have contravened the provisions of this sub-section if he applies for a licence or a certificate, as the case may be, before such date as may be prescribed in this behalf." अब इसमें क्या एड करना है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—"...before such date, being not earlier than 3 months from the commencement of this Act, as may be prescribed in this behalf.'

श्री अध्यक्ष—(श्री भोलानाथ को सम्बोधित करते हुए) क्या आप इसको मंजूर करते हैं ?

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष, मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ:

"...before such date being 'not earlier than three months forms the date of the commencement of this Act as mav be prescribed in this behalf.' "

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या इसमें लास्ट में 'such behalf' ठीक है ।

श्री गोपीलाल यादव—यह तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—So I take that all these amendments have been voted to and the substituted clause, I put to vote.

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह सब्सटीट्यूटेड क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

यह सबसीट्यूटेड क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ४

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४ में (ए) का एमेंडमेंट है डिलीट करने के लिए, उसको तो मैं स्वीकार करता हूँ । दूसरा (बी) के बाद में प्रोविज़ो आया है ।

श्री अध्यक्ष—किस एमेंडमेंट को स्वीकार करते हैं ?

(विराम)

श्री त्यागीजी का एमेंडमेंट स्वीकार करते हैं !

श्री भोलानाथ—I accept the deletion of 4 (1) (a).

श्री अध्यक्ष—What is the latest position ? How does the clause stand ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Sub-clause (3) (a); deletion has been agreed to.

श्री भोलानाथ—And proviso of (3) (b)

श्री अध्यक्ष—Provided that the State Government...Deletion agreed to.

श्री अध्यक्ष—So I put it to vote.

श्री हरिकृष्ण व्यास—फिर कोमा और डेश दूर हो जावेगा और (बी) है वह भी हट जावेगा ।

"(3)......The State Government may, by notification in the official gazette,..."

यहां से हट जावेगा । 'exempt from tax the sale of any goods..."

श्री अध्यक्ष—This part (a) will be removed.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—And '8 [b]' will also be removed.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ में सब क्लॉज़ (३) के पार्ट (ए) को डिलीट करने का श्री वेदपाल त्यागी का संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

श्री त्यागी का संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि ४ (३) (बी) नोटिफिकेशन के पश्चात् के समस्त शब्द व प्रोविजो का, मिनिस्टर इन्चार्ज का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज् ४, संशोधनानुसार विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज् ४, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 5, "Rate of Tax"

श्री भोलानाथ—इसमें जो बेसिक सिद्धान्त है, इसको मैं रखता हूँ। १२।। प्रतिशत तक सेल्स टैक्स में बढ़ोतरी करने के पॉवर के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ख्याल था कि न मालूम किस प्रकार की स्थिति पैदा हो जावे इसलिये यह रखा था। अब मैं हाउस के सामने इस चीज को साफ करना चाहता हूं और पहले भी मैंने कहा था कि यह टैक्स हम hydrogenated edible oils आदि पर ही रखना चाहते हैं और सिगरेट पर भी; बाकी हम किसी पर नहीं रखना चाहते और इसको प्रोविजो में साफ तौर से जोड़ना चाहिये।

दूसरा एमेंडमेंट श्री चांदमलजी का है वह यह चाहते थे कि जो लोग बुलियन का व्यापार करते हैं उसमें आधा प्रतिशत ही टैक्स रखना चाहिये और तीसरा एमेंडमेंट है कि टैक्स को ६। प्रति सैकड़ा से ज्यादा बढ़ाने का पॉवर नहीं हो। ऐसी सूरत में मैं नये तरीके से इस प्रकार क्लॉज़ को रखना चाहता हूं कि क्लॉज़ ५ (१); in para 1 the words 'casual trader' be deleted.

Proviso 1—para 2; to be retained, as it is. In the second proviso—para 3—

Substitute 'also' for 'further' in line 1, and $6\frac{1}{4}$ for $12\frac{1}{2}$ in the last but one line.

('समझ में नहीं आया' ऐसी आवाज)

श्री अध्यक्ष—फिर से दोहरा दीजिये। अमेंडमेंट पढ़ दीजिये so that the Members may follow.

श्री भोलानाथ—केज्युअल ट्रेडर्स का जो मामला है वह हट जायगा। फिर 'or casual trader' in the first para will be deleted प्रोवीजो नं० १। इसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है।

para थ्री 'Further' में डिलीशन का सवाल था। उसमें सबस्टीट्यूट होगा 'also'।

श्री अध्यक्ष—Provided further की जगह 'also' होगा, यह मकसद है।

श्री भोलानाथ—'Further' की जगह 'also' होगा and for '6¼'. There will '12½' b

श्री अध्यक्ष—यह कौनसी लाइन में है ?

श्री भोलानाथ—इन लास्ट बट वन लाइन में है।

श्री अध्यक्ष—१२॥ परसेंन्ट की जगह....

श्री भोलानाथ—६¼ परसेन्ट। And add a new para at the end as under :

"Provided further that in respect of the following goods the rate ot tax payable under this Act shall be as shown against each of such goods and shall be payable at such single point in the series of sale by successive dealers as may be prescribed :

[a] Hydrogenated vegetable and edible oils including Banaspati; 12½ per cent.

[b] Palm-oil 12½ per scent.

[c] Cigarettes and cigars—12½ per cent.

[d] Bullion Gold and silver bullion—½ per cent.

श्री हरिकृष्ण व्यास—गोल्ड एन्ड सिलभर बुलियन पर कितना है, हाफ पर्सेन्ट ?

श्री भोलानाथ—जैसा बम्बई और मध्य भारत में है उसी तरीके पर यहां भी रखा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सिगार और सिगरेट पर मैं जानना चाहूंगा, हालांकि मैं स्मोक नहीं करता। यह जनरल एप्लीकेशन का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—And not intending to smoke now ?

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I don't and nor I intend to smoke now ?

यहां छोटे मोटे, गरीब या धनवान सभी तरह के आदमी सिगरेट काम में लेते हैं, सिगार तो बहुत कम लेते है, किन्तु सिगरेट हर मनुष्य काम में लेता है। दूसरे प्रान्तों में भी कही इतना टैक्स है ?

श्री अध्यक्ष—12½ percent.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या १२॥ परसेन्ट ? इतना है ?

श्री भोलानाथ—मैं माननीय श्री एच. के. व्यास को अर्ज करूं कि ट्रावन्कोर कोचीन में Four annas a rupee है on all tobaccos.

श्री हरिकृष्ण व्यास—फिर आप एक पैसा ड्यूटी मानें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सिगरेट पर कितना है ?

श्री भोलानाथ—दो आना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक मेरा टेक्निकल प्रश्न है। यह सेकिन्ड प्रोविजो डिलीट होने का तय हुआ था और नया शिड्यूल लाने की मन्जूरी माननीय मन्त्रीजी ने दी थी, और कहा था कि स्पसिफिक रेट्स होंगे। अब यह प्रोविजो १२॥ परसेन्ट का कैसे हो गया है ? रातों रात तब्दीली कैसे हो गई ? कल जो बात तय हो गई थी उसमें फिर बदला बदली की जा रही है।

श्री भोलानाथ—सिगरेट पर लगाने से ही !

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—सिगरेट पर रखिये आप। यह प्रोविजो सेकिन्ड नम्बर का कुल डिलीट करने का था ?

श्री भोलानाथ—नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, उन्होंने मन्जूर किया था साहब। कल यह तय...

श्री भोलानाथ—कल यह तय हुआ था कि बाकी को बाद में रखा जायगा। यह हुआ था कि फिर और बहस होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं आपको बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज ५, 'or casual trader' we take that in the whole Bill wherever it occurs, be deleted.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने क्लॉज ५ पर रखे हैं वे स्वीकार किये जांय ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—अलग अलग लीजिए साहब।

श्री अध्यक्ष—आपके ही...

श्री हरिकृष्ण व्यास—कहीं कोई समर्थन मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ पांच के लिए जो संशोधन संख्या १३ श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने क्लॉज़ पांच पर संख्या ५५ रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन श्री चांदमल मेहता । का गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन "केजुवल ट्रेडर्स", जहां है वहां डिलीट करना है।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने क्लॉज़ ५ में नं० ५६, ५७ है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं माननीय मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ यदि आप आज्ञा दें तो । वेजिटेबल ऑइल और वेजिटेबल घी पर आपने जो १२॥ परसेन्ट कर लगाने का सुझाव रखा है, उसके माने यह होंगे कि आज तक वेजिटेबल घी के आने की जो यहां मनाही थी, वह खुला हो जावेगा ।

श्री भोलानाथ—लीगल्ली होगा ही ।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—पोजिशन क्या होगी ?

श्री भोलानाथ—यह तो इन्टर स्टेट ट्रान्जिट ड्यूटी है, उसको गवर्न कर रहा है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बेस (pan) होगा या नहीं ?

श्री भोलानाथ—बेस कैसे होगा ? नया कानून इस सम्बन्ध में लावेंगे तब होगा ।

श्री अध्यक्ष—That is the legal aspect and the Minister's reply cannot be conclusive.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ पांच पर जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने सीरीज नं० १४ रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ पर श्री अवनीकुमार मुकर्जी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय ? जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहे ।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—मैं अपने संशोधन को विद्ड्रा करना चाहता हूँ। मुझे विद्ड्रॉ करने की इजाजत दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की, इनको अपना अमेंडमेंट विदड्रॉ करने की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री वेदपाल त्यागी द्वारा क्लॉज़ पांच पर... मूव ही नहीं किया है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने क्लॉज़ पांच पर संख्या ५८ व ५९ रखे हैं वे स्वीकार किये जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मिनिस्टर इन्चार्ज ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ ५, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १ पर जो अमेंडमेंट लीडर ऑफ दी आपॉजिशन ने दिया है वह स्वीकार है आपको ? वोट ले लूं ?

श्री भोलानाथ—मुझे उसकी भाषा पर थोड़ा एतराज है।

श्री अध्यक्ष—That has been agreed to.

श्री भोलानाथ—इसकी भाषा ऐसी है जो कि विचारणीय है। जो बच जांय उनके लिए सवाल है। लॉ डिपार्टमेंट की ओर से विचार होना चाहिये, वे चाहें तो उनसे बात कर लें। सिर्फ इसमें ऐसा है जिनके पास ऑलरेडी हिसाब किताब हैं वे उनको एस्केप न करें।

श्री अध्यक्ष—Yes, Then we Come to the schedule.

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—मेरा संशोधन है शिड्यूल के आइटम नं० ३ पर जो इस प्रकार है : "Fresh milk. whole or separated and milk products excluding ghee, butter and sweetmeats."

मैं इसके अन्दर जो शब्द है 'एक्सक्ल्यूडिंग' उसके बजाय 'इन्क्ल्युडिंग' सबस्टीट्यूट कराना चाहता हूं वह इसलिए कि घी, बटर व मिल्क ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों के डेली यूज की चीजें हैं, और मैं समझता हूं कि इनका भार कन्ज्यूमर पर नहीं पड़ना चाहिये। राजस्थान में घी, बटर सब यूज करते हैं और मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय को ज्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है। यह ऐसी चीजें हैं जो कि सब के काम में आती हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker Sir, I beg to move the following amendments......

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—I have some more amendments on the Schedule.

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

इसके अलावा और भी मेरे संशोधन हैं, सीरियल नं. ४३ को मैं मूव नहीं करना चाहता । ४४ नंबर को मैं मूव करना चाहता हूं । यह संशोधन इस प्रकार है: "Add a new item numbering 13. "Sports goods and medicines."

वह यह है स्पोर्ट्स गुड्स एन्ड मेडीसिन्स के बारे में । स्पोर्ट्स गुड्स ऐसी चीज़ है उसके ऊपर मेरे ख्याल से जरूर रियायत होनी चाहिये, क्योंकि ये चीज़ बाल-बच्चों के खेलने के काम में आती है । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि स्पोर्ट्स गुड्स पर सेल्स टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये ।

मेडीसिन्स के बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह भी डेली यूज़ की चीज़ है, इसलिये इस पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिये, नहीं तो इसका बोझा भी कन्ज्यूमर पर पड़ेगा ! इसके साथ साथ मेरा एक संशोधन और है । नम्बर ४५ पर वह इस प्रकार है "Add a fresh item No. 14. "Agricultural machinery like pumping sets, tractors, agricultural implements, trailors etc. which are employed for agricultural purposes."

इसके लिये स्थिति यह है कि जब कि इन चीजों पर कस्टम नहीं लगता है क्योंकि हमें देश में खाद्य का उत्पादन ज्यादा करना है, हमें ग्रोमोर फूड कम्पेन campaign को बढ़ाना है इसलिये जब इन चीजों पर कस्टम चार्ज नहीं किया जाता है तो इन पर सेल्स टैक्स भी नहीं लागू होना चाहिये । जो स्थिति आज है वैसी ही रहनी चाहिये । आशा है माननीय मंत्री मे इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker Sir. I beg to move the following amendment to the Schedule, viz:-

"Add the following items to the Schedule after item No. 12:-

13. Medicines; 14. All Cloth except the superfine variety or Silk; 15. Shoes; 16 Umbrellas and Raincoats; 17. Condiments; 18. Kerosene; 19. Match boxes; 20. Bidis 21. Sugar and Gur; 22. Khat; 23. Earthen pots like Matki Surahi, etc 24. Broom sticks; 25. Penholders, pencils and other instruments and articles used for education by students including paper sold in quires; 26. Bangles (except made of gold and silver); 27. Goods manufactured here and exported outside the State; 28. Edible oils; 29. Lanterns or small oil lamps; 30. Firewood, charcoal and such fuel used for domestic purposes."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

शिड्यूल की जो मन्शा है वह यह कि ऐसी वस्तुयें जिनका इस्तेमाल मामूली हैसियत के लोग करते हैं उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाय। लेकिन जब आप शिड्यूल की ओर देखें तो इसमें केवल तीन चार चीजें ही ऐसी दिखाई देंगी जिनको दरअसल एक्सक्ल्यूड किया गया और बाकी की जो चीजें हैं वे तो वैसे शिड्यूल में डाल दी गई हैं।

Motor spirit which is liable to tax under the Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation Act, 1954

नेचुरली इन चीज़ों पर तो टैक्स लगा हुआ है, वहां तो नहीं लगा सकती। बाकी जो चीजें हैं, उन पर लगा है। दूसरा, शिड्यूल में तीन-चार चीजें बताई गई है क्योंकि बहुत सी ऐसी आवश्यक वस्तुयें हैं जो कि सामान्य आदमी की जिन्दगी में, जीवन में रोज रोज आवश्यक हैं। इनको शिड्यूल में दर्ज ही नहीं किया गया है। मैंने अपने संशोधन में जहां तक बन पड़ा है उन चीजों को समावेश करने की चेष्टा की है, जिनका उपयोग देहात में रहने वाला, छोटे-मोटे कस्बे में रहने वाला मामूली हैसियत का आदमी करता है। इससे यह होगा कि ८० और ९० प्रतिशत चीजें मेरे संशोधन से इस शिड्यूल में आजायेंगी और इसके अलावा बाकी की चीजों पर सेल्स टैक्स लग सकता है। इस दृष्टिकोण से मैंने चीजों की एक सूची सदन के सामने रखी है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार क्लॉज़ २६ के अन्दर माननीय मन्त्री ने समझदारी की मनोवृत्ति दिखाई थी इसमें भी वे उसी प्रकार की मनोवृत्ति का परिचय देंगे। अगर इस बिल को देखा जाय, रेट ऑफ टैक्सेज़ के बाद में अगर कोई महत्वपूर्ण क्लॉज है तो वह इसका शिड्यूल है जिसका ताल्लुक मामूली आदमी से पड़ता है। इसलिये यह इस बात पर मुनस्सर है कि यह टैक्स का बोझ किस पर कितना पड़ेगा, कौन आदमी इससे कितना परेशान होगा, यह देखने की चीज है। जो-जो चीजें इन्क्लूड की हैं, जिनका सुझाव मैंने दिया है, उन चीजों को क्यों शामिल किया जाय, इस पर भी मैं दो शब्द कहना जरूरी समझूंगा।

सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेडीसिन्स को इसमें इन्क्लूड नहीं किया जाय क्योंकि दवा-दारू ऐसी चीजें है कि जिसका हर आदमी से ताल्लुक है। इस पर सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिये। जिस प्रकार जीवन के लिये खान-पान आवश्यक है उसी प्रकार दवाई-औषधि भी उतनी ही जरूरी है। विशेषकर पिछले कुछ वर्षों से जब कि राजस्थान सरकार द्वारा दवाखानों में उचित दवाइयों का प्रबन्ध नहीं है दवाइयों के लिये बजट बढ़ता नहीं, जब कि दूसरी ओर अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, होस्पीटलाइज़ेशन बढ़ गया है, लेकिन उसके अनुपात से दवाइयों आदि का बजट बढ़ा नहीं। ऐसी स्थिति में मामूली आदमी को बाजार से दवा लेकर इलाज कराना पड़ता है। इसलिये मैं यह आवश्यक नहीं मानता कि इस पर सेल्स टैक्स लगाया जाय। बीमारी और तीमारदारी में मरते हुए आदमी के जान में जान डालने वाली औषधि नाम की वस्तु को इस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सेल्स टैक्स से बरी रखना चाहिये। इसके बारे में टैक्स लगाने की बात सोचना भी कठिन है। बीमारी में दवाई की जिस प्रकार आवश्यकता है उसको एक आवश्यक वस्तु मान कर मैडीसिन्स को भी इस शिड्यूल में इन्क्लूड किया जाय।

दूसरा नम्बर है इस शिड्यूल में कि सब प्रकार के कपड़े को इन्क्लूड किया गया है :

आईटम नं० ६ "Hand spun and hand woven khadi and yarn produced by All India Spinners Association or by any other organization or person certified by it and sold exclusively by one class of dealer.'.

अगर आप एक किस्म के कपड़े को इसमें शामिल करते हैं तो आपको चाहिये कि मोटे कपड़े को इसमें शामिल किया जाय। काश्मीर से आने वाले कम्बल, पट्टू या कशमीरा नहीं, बल्कि यह कि एक विशेष संस्था द्वारा बनाये हुए कपड़े को इसमें शामिल किया गया है।

पहली बात तो यह है कि यह डिस्क्रिमिनेशन है। कोई भी कानून यह नहीं कह सकता कि रामा की टोपी पर टैक्स पूरा लगेगा पर गोमा की टोपी टैक्स से महरूम रहेगी। आप यह कह सकते हैं कि टोपी नाम की चीज पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। पर रामा की बनी हुई टोपी पर लगेगा और गोमा की टोपी पर नहीं लगेगा, यह बात चलने वाली नहीं है। पर इस परेशानी में इस सरकार को न पड़ना पड़े कि यह जो इसमें दर्ज किया हुआ है वह उसको छोड़ना पड़े। मैं इसे मान लेता हूँ। मैं इस राय का तो हूँ नहीं कि जो इस शिड्यूल में चीज आ गई है उसे काटा जाय। जो चीजें इस शिड्यूल में आ गई हैं उनको काटने की या हटाने की तो आवश्यकता नहीं है, बल्कि बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए दूसरा संशोधन मैंने यह रखा है कि जैसे नाज आवश्यक है वैसे कपड़ा भी आवश्यक है; इसे भी शामिल किया जावे पर कौनसा कपड़ा ? तो

"All cloth except the superfine variety of the silk."

मलमल, पोपलिन और मर्सेराइज्ड पहनने वालों को टैक्स देना चाहिये, मोटा कपड़ा, सादा कपड़ा पहनने वालों को कोई टैक्स नहीं देना चाहिए और यदि खादी को एक्सक्लूड कर सकते हैं तो फिर हमारी गांवों अन्दर जो जनता है और वह जो बनाती है रेजी उसको हम क्यों एक्सक्लूड नहीं करेंगे। क्या फरक है उसमें और खादी में ? रेजे को भी किसानों की औरतें कातती हैं और वहीं गांवों में वे बुनते हैं और उसे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। उस रेजे को किसानों की औरतें, बाल-बच्चे बनाते हैं बेचते हैं और पहनते हैं। यह जरूर है कि उस पर सर्टीफिकेट नहीं लगा हुआ है ऑल इण्डिया स्पिनर्स एसोसियेशन का। न्याय की चीज यह है कि इस रेजी को भी एक्सक्लूड किया

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जावे। तो इस तरह से सब प्रकार का मोटा कपड़ा जिसको सभी सामान्य आदमी काम में लेते हैं चाहे वह रेजी हो या खादी हो, जो सामान्य आदमी के काम में आती है वह सारी एक्सक्लूड की जानी चाहिये। हालांकि खादी मिलती महंगी है, गरीब आदमी इसे पहन और खरीद नहीं सकता, इससे गरीब आदमी को कितना फायदा पहुँचता है तो यह जुदा प्रश्न है; पर इसे शामिल करना चाहें,तो कर सकते हैं।

तीसरी चीज जिसकी आवश्यकता मन्त्री महोदय नहीं अनुभव करते होंगे क्योंकि उन्हें वे बगैर कीमत के मिल जाते होंगे; पर मामूली आदमी के लिए यह भी एक बहुत जरूरी चीज है और वह है श्यूज़, यानि फुटवियर। यह भी आम जनता की आवश्यकताओं में गिने जाने चाहिये और इसको भी एक्सक्लूड किया जावे।

चौथी चीज है छाता यानि अम्ब्रेला। बरसात में बड़े काम की चीज है आम जनता के लिए यह।

पांचवां है कन्डीमेंट नाज इसमें आ गया समझो, घी तेल वगैरह के बारे में अभी मैं आ रहा हूँ, लेकिन नमक मिर्च मसाले आदि हैं इनमें से नमक आप एक्सक्लूड कर देते हैं, पर मिर्च मसालों का क्या होगा; तो वह भी तो एक्सक्लूड किया जाना चाहिये।

इसके बाद सामान्य आदमी के घर में रात को टिमटिमाती बत्ती जलेगी और उसके लिये घासलेट का तेल चाहिये और दियासलाई की डिब्बिया चाहिये और खास कर मैं यह देहातों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि देहातों में बाजार से लोग चन्द चीजें खरीदते हैं इसमें से अधिकतर चीजें होती हैं हलहलवाणी, नमक या घासतेल और दियासलाई की डिब्बिया और ज्यादातर यही चीजें खरीद कर लाई जाती हैं। छोटा सा चार आनेवाला लेम्प खरीदेंगे। हरेक घर में लेम्प के जरिये रोशनी होती है, वहां बिजली है नहीं। तो इन चीजों को भी एक्सक्लूड किया जाना चाहिए; घासलेट का तेल और माचिस की डिब्बिया।

और बाद में जिक्र आया है लालटेन या छोटा सा टिमटिमिया चार आने वाला लेम्प, जिनको हजारों लाखों की तादाद में अपने घर को रोशन करने के लिए लोग ले जाते हैं वे बिजली नहीं इस्तेमाल करते, पर बिजली को एक्सक्लूड किया गया है। फिर रोशनी के टिमटिमाते लेम्प ने क्या ऐसा बड़ा भारी तूफान किया है, क्योंकि रोशनी उनको भी चाहिए। इसलिए घासलेट लेम्प हुआ, घासलेट हुआ इसको भी एक्सक्लूड किया जाना चाहिये। रहा वह छोटा सा लेम्प, वह भी एक्सक्लूड किया जाना चाहिये।

Page No.92

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब इसके बाद आइटम नम्बर बीस की ओर में इशारा करना चाहता हूं; वह है बीड़ी। मेरे माननीय मित्रों ने कहा कि धीरे से क्यों बोल रहे हो। पर धीरे से बोलने की बात नहीं है यह poor man's msoke है और आप चाहें या नहीं, लेकिन लाखों लोग हैं जो इसके आदि हैं, कोई पान में खाने का आदि है, कोई सुंघने के आदि हैं, कोई जर्दे चूने के आदि है। तो इस तरह से किसी की कोई आदत है किसी को कोई आदत है। अब यह तो समाज के सुधारकों का काम है कि यह आदत लोगों की छुड़ावें और कल्चरल लेवल बनावें और प्रचार के जरिये लोगों को तसल्ली दिलावें, पर इस तमाखू काण्ड पर केन्द्रीय सरकार ने इतना टैक्स लगा रक्खा है कि बाजार में इसके बिकने का भाव अगर २६) रुपया और २४) रुपया मन है तो उस देहात के किसान से ३१।।) टैक्स सरकार ले लेती है जो कि तमाखू के भाव से कहीं ज्यादा है और इस सिलसिले में भरतपुर में तो गोलीकाण्ड तक की स्थिति पैदा हो गई। इसी सिलसिले में सीकर में गांव के गांव को लूटने की स्थिति पैदा हो गई, और आज भी आप जावें, अगर राजस्थान के ऐसे इलाकों में, जैसे अलवर, भरतपुर, सीकर, शेखावाटी, भीलवाड़ा, उदयपुर आदि के जो इलाके हैं उनमें, तो वहां के लोग इस तमाखू के मामले में रोते हैं, इस मामले पर वे देश की सरकार को भी रोते हैं जिसने उस पर जिसका भाव बजार में बिकने का २४) २६) रुपया मन है उस पर ३१) रू. टैक्स लगा दिया है।

अब इस पर भी इससे जो मार बुरी पड़ रही है वह है बीड़ी पर भी लगाने से। सिगार पर लगायें टैक्स। सिगरेट पर लगावें तो मध्यम वर्ग सिटपिटावेगा, पर बीड़ी पर लगावेंगे तो करोड़ों आदमी सिटपिटावेंगे, तो इस वजह से इसमें से इसे एक्सक्लूड करना चाहिये।

इसके बाद नम्बर आता है शक्कर और गुड का, ये भी ऐसी चीजें हैं कि जिन पर एक्साइज़ ड्यूटी लगी हुई हैं और एक्साइज़ ड्युटी का हिस्सा आपको मिल जाता है। इसके बाद में फिर यह आवश्यक वस्तुएं जो आम जनता की हैं वे एक्सलूड कर देना चाहिये।

अब उस वक्त पांच हजार, सात हजार दस हजार की लिमिटेशन के बारे में सीमा बढ़ाने की मन्जूरी दी नहीं और मुझे मालूम था कि मन्जूरी देने वाले नहीं हैं इसलिए जैसे फुटवियर को एक्सक्लूड करके इस बेचारे खाट बुनने वाले को नहीं, मोची की भी परेशानी दूर होगी। वैसे ही यह कुम्हार है इस पर भी थोड़ी दया करें और गरीब आदमियों पर दया करें, सब चीजों पर लगा लेंगे, पर इन मटका-सुराही आदि रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजों को तो आप छोड़िये। मैं सिर्फ इस दृष्टि से नहीं कहने वाला हूं कि कोई माली बोझा उन पर पड़ेगा इसलिए हटा दें, चार-आठ आने की चीज में एक पैसा और लग जावेगा तो इससे क्या हो जावेगा, पर इससे एक्सक्लूड करने वालों में हजारों-लाखों लोग हैं चाहे मोची, कुम्हार का काम करने वाले हों वे भी अपने आप एक्सक्लूड हो जावेंगे, परेशानी से बच जावेंगे। इसलिए इन चीजों को भी आप छोड़ दीजिये, जैसे अर्दन पोट्स, मिट्टी की सुराही, मटके आदि।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

फिर विद्यार्थियों की तरफ आता हूं । राजस्थान सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के ऊपर तो दया दिखलादी कि स्लेट और स्लेट पेन्सिल तुम प्रयोग में ला सकते हो या फिर जेल में रहने वालों पर दया दिखला दी । आजकल जेल रिफॉर्म्स के अनुसार जेल के कैदियों को भी पढ़ने करने के लिए स्लेटें दी जाती हैं । स्लेट पर लिखकर अपनी मांग रक्खें या सीखें ।

श्री सभापति—आप झाड़ू भूल गये ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह भी ऐसी चीज है । धीरे से कह तो दिया ही है । झाड़ू नाम से आप चौंक नहीं जावें । झाड़ू भी एक ऐसी चीज है । धन्यवाद है, चेयरमेन साहब कि आपने ध्यान आकर्षित किया । इस चीज को अगर आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है, आपके घर में और इस वजह से इस बात पर भी सन्जीदगी से विचार किया जावे कि कहीं झाड़ू के मामले-पर घर में जाते ही नुकसान न हो जावे ।

(हंसी)

तो विद्यार्थी जो हैं, वे स्लेट वाले तो आ गये सरकार के ध्यान में, लेकिन विद्यार्थीगण आजकल बेचारे स्लेट पेंसिल और स्लेट के अलावा और भी चीजें इस्तेमाल में लाते हैं । ये मामूली जो पेन्सिलें इस्तेमाल में हम लेते हैं उनको विद्यार्थी भी प्रयोग में लाते हैं, इसके अलावा पेन हैं, पेन होल्डर हैं, कागज हैं, एक्सरसाइज़ बुकस के अलावा जो खुला कागज़ रीमों और दस्तों में आता है, वह भी वे काम में लेते हैं । फिर कई ऐसे इन्स्ट्रूमेन्ट्स हैं मैथेमैटिक्स के साइन्स ज्योमेट्री के, डिसेक्शन बॉक्स, रंग की डिबियें, वाटर कलर्स हैं ये सारी चीजें भी आजकल उनके काम में आती हैं । मुझे ऐसा महसूस होता है कि माननीय मन्त्री महोदय बहुत पुराने जमाने के विद्यार्थी थे इसलिए उस वक्त इनका शायद इतना उपयोग नहीं होता था, इसलिये वे इन्हें भूल गये स्लेट का हो वह जमाना था इसलिये यही स्लेट और स्लेट पेन्सिल वाले विद्यार्थी याद रह गये । पर हम तो आज कुछ थोड़े वर्ष पहले के विद्यार्थी हैं और इन सारी चीजों को जानते हैं । तो इन चीजों पर टैक्स लगाना विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं है । फिर शिक्षा मन्त्री खुद राजस्व मन्त्री हैं । तो ऐसी हालत में मैं यह कहूंगा कि यह पृथक राजस्व मन्त्री का तो दिवालियापन है पर साथ ही शिक्षामन्त्री का भी दिवालियापन है कि वह अपने विद्यार्थियों के हितों की भी रक्षा नहीं करे । इसको तो उन्हें ऑटोमैटिकली करना चाहिये था पर अब मैंने संशोधन रख दिये हैं तो अगर वे भूल भी गये हों तो मैंने उन्हें याद दिला दिया है इसलिये ये चीजें भी एक्सक्लूड होनी चाहिए ।

इसमें जितनी वस्तुएं हैं वह ज्यादातर पुरुषों के इस्तेमाल की हैं । महिलाओं के रोजरोज के काम की चीजें हैं जिनका नाम है बेन्गल्स, टीको तो मैं भूल गया, इसलिए कि अंग्रेजी शब्द मेरे खयाल में नहीं आया, बिन्दी उसका नाम है वह लाना चाहिए । यह सोने और चांदी के बेन्गल्स हैं, उनको

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एक्सक्लूड कर देता हूँ। वह टैक्सेबल हो, लेकिन मामूली कांच की चूड़ियां काफी प्रयोग में आती हैं, वह सेल्स टैक्स से अलग कर दी जानी चाहिए।

राजस्थान में जो सामान बनता है लेकिन यदि वह बाहर भेजा जाता है तो वहां उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। यहां उद्योग तो है ही नहीं; पहले से 'ईन मीन साढ़े तीन' कारखाने होंगे और थोड़े बहुत छोटे-मोटे कुटीर उद्योग होंगे। अब बड़ी २ मिलें हैं वह जो कपड़ा पैदा करने के बजाय इधर उधर का धन्धा करती हैं, वह सरकार से कर्जा ले लेती हैं और कर्जा चुकाती नहीं है। छोटे मोटे उद्योग जो हैं उन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कि वह अपना माल बाहर भेजें, जिससे कि उद्योगों को प्रोत्साहन मिले सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिये।

घी। मेरे एक माननीय मित्र जो उधर की बेन्चेज़ पर बैठने वाले हैं वे शायद डीडवाने या मेड़ता या नागौर या डीडवाने के जिले से आये हैं उन्होंने कहा कि यहां मीट तो आ गया लेकिन जो विटामिन की चीज है, वह नहीं है। घी इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन तिल्ली के तेल से साग भाजी बना बना कर खाते हैं, उन बेचारे एडीबल ऑइल्स को जो खाने के काम में आते हैं उनको बराबर एक्सक्लूड किया जाय।

खाने और पकाने की सब चीजें आपके पास में हों, लेकिन ईंधन नहीं हो तो काम नहीं चल सकता है। ईंधन की चीज ऐसी है कि लोग भारे बांध २ कर मजदूर लाते हैं और चार आने, छः आने के अन्दर बेचकर जाते हैं उनके ऊपर टर्नओवर को कोई लगाना चाहें, उनसे जाकर सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर कहे कि केशमीमो बताओ तो वहां तो कुहराम मच जायगा लेकिन आपकी परेशानी कम नहीं होने वाली है! मगर जिसको खरीदना है वह और परेशान हो कि ईंधन जिसमें वुड, कोयला, चारकोल आदि इन चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसकी कोशिश करनी चाहिए।...(श्री भोलानाथ के आने पर श्री पंड्या से) आप उन्हें बता देंगे, मुझे आशा है। अब मन्त्री महोदय इस स्थिति को देखते हुए कि सेल्स टैक्स के बारे में राजस्थान की जनता अपना निर्णय कब लेती है, उसको खयाल में रखते हुए, आप अगर इस शिड्यूल में मामूली सी छोटी मोटी चीजों को शामिल नहीं करेंगे तो वह निर्णय आपके विरुद्ध में कहीं न हो जाय, इस बात को न भूलिये।

आपको टैक्स लगाना है तो गरीब आदमियों को छोड़ दें। उनके प्रयोग और व्यवहार में जो चीजें आती हैं, छोड़ दें। कल बड़ा जोश दिखाया था कि शराब पर ५० परसेन्ट लगाया है। वह जोश रात में ठंडा हो गया है। प्रचार के वक्त वह बोलते हैं कि कुछ और लेंगे १२॥ परसेन्ट। मजबूरी से २, ४ चीजों के बाद वह मामला फिर खत्म हो गया। यह मामला गरीब आदमियों को छोड़ने का है। दूसरों से नहीं लेना चाहते हों, लेकिन गरीब आदमियों के इस्तेमाल की चीजों को छोड़ दें।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आज सुबह की उनकी बातों से मुझे ऐसा आभास हुआ कि कल तक इस सदन में जो वातावरण था उसमें रात में कोई गड़बड़ हो गई है। कल तक तो प्रेरणा देने वाले मित्र भी थे और माननीय मन्त्री जी भी खुद इतने रिसीप्टिव थे कि थोड़ी सी अक्लमन्दी की बात कही जाय तो उतना ही असर होता था। आज वह तय करके आये हैं कि किसी की मानना ही नहीं। कल रात को, मालूम नहीं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने या और मित्रों ने मिल कर क्या पाठ पढ़ा दिया कि एक नन्ना सो रोगों को दूर करे। क्यों परेशानी में पड़ते हो? अमेंडमेंट को मन्जूर करो, फिर क्लॉज़ को रीड्राफ्ट करो जिससे यह परिस्थिति काफी देर तक न चले।

यह जो शिड्यूल में अमेंडमेंट मैंने रखे हैं कम से कम उसको आप स्वीकार कर लें। जो क्लॉजेज़ हैं, ठीक हैं प्रोसीजर की है किसी को लड़ना होगा तो लड़ लेगा। वह व्यापारियों के हक की बात है। लेकिन यह जो शिड्यूल है वह व्यापारियों से बहुत कम सम्बन्धित है। इसमें कज्यूमर के हित का प्रश्न है। इसलिए इस सेल्स टैक्स का बोझ मामूली आदमी के कन्धे से हटाना चाहते हैं। यदि डेढ़ करोड़ राजस्थान की गरीब जनता की जेबों में से चोरी चोरी, चुपके चुपके पैसा वसूल नहीं करना चाहते हैं तो उसके इस्तेमाल की चीजों को छोड़ दें। उनको इस शिड्यूल में दर्ज कर दें। तभी आपके दावों का और बड़े २ ऐलानों का कोई मतलब है, नहीं तो सेल्स टैक्स के बारे में राजस्थान की जनता का निर्णय क्या होगा, यह आप ही सोच सकते हैं। यह सूचना देते हुए शिड्यूल के बारे में मैंने जो संशोधन रखे हैं, वे प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि यदि मन्त्री जी आज उनको मान्य करने की स्थिति में नहीं हों तो इस शिड्यूल को आज पोस्टपोन कर दें, लेकिन जैसा कि हठधर्मी का निर्णय अभी तक होता आ रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, यह मेरी दरख्वास्त है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—श्री वेदपाल त्यागी।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, इससे पहले कि डिस्कशन शुरू हो, तमाम संशोधनों के ऊपर ..

श्री सभापति—अभी और अमेंडमेंट बाकी हैं, सब मूव हो जाने दीजिये।

श्री सज्जनसिंह।

(अनुपस्थित)

[श्री सभापति]

श्री भीमसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता ।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीलाल चौधरी

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय चेयरमेन, शिड्यूल को देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि नकल के साथ अकल से काम नहीं लिया गया है।

इस शिड्यूल के अन्दर बहुत सी बातें ऐसी रह गई हैं कि जो हरेक के काम की चीजें हैं वे उनके अन्दर कर दी जांय। उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जोधपुर से आने वाले सदस्य ने अभी अपने अमेंडमेंट्स रखे हैं उनके अन्दर मेरे अमेंडमेंट्स कुछ आ जाते हैं और उसके अलावा भी बहुत से बाकी रह जाते हैं।

सबसे पहले मेरे अमेंडमेंट में मैं जोर दूंगा दो चीजों पर: एक तो लाइवस्टोक पर और दूसरा घी पर। चेयरमेन महोदय, यह शिड्यूल जो है वह शिड्यूल असेन्शियल गुडस एक्ट सेन्टर का जो है, उससे नकल किया गया है। हूबहू नंबर वन, टू, थ्री करते हुए नकल करके यहां रखा गया है। उस शिड्यूल का जो नंबर १ है वही हमारे यहां का नंबर १ है। उस शिड्यूल में जो नंबर ३ है वही नं० ३ इसमें है, लेकिन मालुम नहीं किसलिये इसमें से घी को एक्सक्ल्यूड कर दिया गया है? जिसकी नकल की गई है उसमें तो घी रखा हुआ है लेकिन यहां पर उसे नहीं रखा गया है। "Frseh milk, whole or separated and milk products including, butter, gur, chana, and guwar, excluding sweetmeat." और यहां आकर इस जगह कर दिया गया "excluding ghees butter and sweet meats" माननीय चेयरमेन, मैंने कल भी कहा था कि जिस समय यह शिड्यूल बनाया गया उस समय मीट, एग्ज़, और फिश के बारे में तो बहुत ध्यान दिया गया, मैं यह नहीं कहना चाहता कि बिल बनाने वाले इसको खाने वाले ही हैं लेकिन यह जरूर कहता हूं कि घी इस राजस्थान में रहने वालों का प्राण है। राजस्थान हिन्दुस्तान में एक निराला ही प्रदेश है जहां के ज्यादा आदमी निरामिष हैं और सदन में आनेवाले १०० में से ९० प्रतिशत निरामिष हैं। उनकी पुष्टि और हेल्थ के लिये घी के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक मात्र घी हो उनका स्वास्थ्य रखता रहता है। यदि घी को एक्सक्ल्यूड कर देते हैं तो क्या चीज़ उनके लिये छोड़ दी है जिसके विटेमिन्स द्वारा हेल्थ को मेन्टेन कर सकेंगे? इसको शिड्यूल में नहीं रखने से दुतरफा

[श्री मोतीलाल चौधरी]

नुकसान होता है। किसान घी को पैदा करते हैं। इससे किसानों को कमती पैसा मिलेगा और दूसरे इसको खानेवाले राजस्थान में १०० में ९९ आदमी हैं। इससे डबल टैक्स हो जायगा, प्रोड्यूसर पर और कन्ज्यूमर पर भी। दोनों ओर से गरीब आदमी मारे जाते हैं। इसलिये माननीय मंत्रीजी से मैं खासकर अपील करूंगा कि घी को कर से एक्सक्ल्यूड कर दिया यहां तक पढ़ लिया जाय।

इसके बाद दूसरी बात आती है लाइव स्टॉक की। इन्कलूडिंग पोल्ट्री में अंडों का तो बाद दिया, लेकिन अंडे पैदा करने वालों को बाद नहीं दिया। मुझे ताज्जुब होता है।

Fertilizers and manures, agricultural machinery and implements including parts of such machinery and implements.

विदेशों से जो मशीनरी बनकर आती है, और यहां आकर बिकती है उसमें मेनुफेक्चरर मुनाफा लेते हैं और जो व्यापारी बिजनेस करते हैं उनको तो फ्री छोड़ दिया गया है क्योंकि इस देश में ट्रेक्टर्स की जरूरत नही है, इम्प्रूव्ड इंप्लीमेन्ट्स की जरूरत नहीं है। १०० में ९९. ९ पर्सेंट लोग बैलों से खेती करते हैं, उनको बाद नहीं दिया गया है। राजस्थान के अलावा बाकी जो प्रोविन्सेज़ है और जहां पर सेल्स टैक्स लगता है वहां पर लाइव स्टोक पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। आसाम बंगाल, दिल्ली और सेन्ट्रल प्रोविन्सेज़ में इन पर यह कर नहीं है। इसलिये लाइव स्टाक का जिस देश की खेती पर असर पड़ता है और जो किसान स्टेट की मेजोरिटी आफ रेवेन्यू देते हैं, उनके ऊपर हर चीज पर टैक्स लगाना अच्छा नहीं है, आप उनसे रेवेन्यू के रूप में कुछ वसूल करेंगे, उनसे एग्रीकल्चलर इन्कम टैक्स लेंगे; और भी कई तरह के टैक्स लेंगे उसके साथ ही यह टैक्स लेना अन्याय होगा। माननीय मन्त्रीजी जबाब में कह सकते हैं कि किसान साल भर में ५ हजार की बिक्री नहीं करेंगे।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—हमारे यहां ऊंट से भी खेती होती है।

श्री मोतीलाल चौधरी—लाइव स्टोक में सभी आगये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हाथी से भी खेती होती हो तो वह भी आ गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लाइवस्टॉक में गधे भी आगये ?

श्री मोतीलाल चौधरी—किसी को भी नहीं छोड़ा है। आपकी सहानुभूति के प्रति मेरी भी हमदर्दी है।

माननीय चेयरमेन, मैं कहता हूँ कि जोधपुर डिविजन में, बीकानेर डिविजन में और जयपुर डिविजन के कुछ हिस्सों में यहां प्रति १ साल के बाद दूसरे साल अकाल पड़ता है। वहां पर

(श्री मोतीलाल चौधरी)

लोगों के जीवन का जरिया यह है कि खेती नहीं होती है, तो गायों के जो बच्चे होते हैं उनको पालते हैं और उनको बड़ा करके उनको बेचते हैं और उनके द्वारा अपना गुजारा करते हैं। यहां पर कोई कॉटेज इन्डस्ट्री नहीं है, होम इन्डस्ट्री नहीं है। १०० में से ९९ लोग गायों भैंसों को पाल कर उनका दूध या घी बेचकर या बैलों को बेच कर अपना निर्वाह करते हैं आप उन पर भी टैक्स लगा देंगे तो किसी तरह भी उनको टैक्स लिये बगैर नहीं छोड़ेंगे सिवाय इसके कि मरने पर डेड बोडी पर टैक्स लेंगे, बाकी सब पर टैक्स लेंगे। मन्त्रीजी यह कह सकते हैं कि किसान लाइव स्टोक साल भर में ५००० रुपयों का नहीं बेच सकते। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि हमारी तरफ अधिकांश किसान जोइन्ट फेमिली में रहते हैं और वे बैलों की १०-१० जोड़ियां एक साथ तैयार करते हैं, उनको बेचने ही से उनका खर्चा चलता है। इसके सिवाय उनके पास कोई धन्धा नहीं है, क्योंकि अधिकतर हर तीसरे साल काल पड़ता है। जब जमाना होता है तब भी बहुत कम उपज होती है। कोई १० मण उपजाता है तो कोई २ मण, इससे उनका गुजर नहीं चल सकता। उनके पास इसके सिवाय कोई जरिया नहीं है कि मेले में जाकर वे अपने बैल बेचें। जब वे मेले में बैल बेचने जावेंगे तो सेल्स टैक्स के अधिकारी उनके पास आवेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा हिसाब बताओ तुमने कितने का माल बेचा ? किसान अनपढ़ा होता है उसके पास कोई हिसाब नहीं होता और न वह हिसाब रखना जानता ही है। सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं है कि एडल्ट एज्युकेशन शुरू करके उनको हिसाब रखने लायक बनावे। ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि लाइव स्टोक को इस कर से एग्जेम्प्ट किया जाय। चार स्टेटों ने तो उनको एग्जेम्प्ट किया है, बाकी स्टेटों ने भी किया होगा तो मुझे पता नहीं है।

तीसरा प्रश्न है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज :-

"Agricultural produce sold by a person or by his family but grown by himself".

यदि कोई किसान या उसकी फेमिली का आदमी बाहर लाकर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचता है तो उस पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिये। न तो कहीं ऐसा है और न यहां ही ऐसा होना चाहिये।

इसके बाद है :

"Goods sold to Redcross Societies and such other Charitable Institutions and Hospitals."

इन सोसाइटीज में ऐसे ऐसे इन्सटीट्युशन्स हैं, जिन्होंने चन्दे के रुपये सेठ साहूकारों से हजारों लाखों रुपये लेकर गरीब जनता के लिये खर्च किया है। मान लीजिये, १ लाख रुपये एक

[श्री मोतीलाल चौधरी]

चेरिटेबल संस्था ने इकठे किये और चेरिटेबल कामों में यानि हॉस्पिटल आदि में लगाया। हर साल, हर महीना और हर दिन वे खर्च करते हैं और उनको पैसे भी दान में मिलते हैं। चेरिटेबल दृष्टिकोण से चन्दा मिलता है, उस पर भी यदि आप टैक्स लगाते हैं तो यह कितनी बुरी बात है। जो लोग चन्दा देकर लोगों की मदद करते हैं, उस चन्दे पर भी आप टैक्स लगावें, ऐसी चीज तो दुनियां के किसी हिस्से में नहीं होगी।

इसके बाद कुनैन, टिंचर आदि रोजमर्रा काम में आने वाली दवाइयां हैं, जिनकी हर वक्त जरूरत पड़ती है। कुछ आयुर्वेदिक और हकीमी दवाइयों की हर गरीब आदमी को जरूरत पड़ती है, इसलिये उन पर कतई टैक्स नहीं लगना चाहिये।

इसके बाद हम आते हैं कंट्री मेड शूज़ पर। जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि हर किस्म के शूज़ पर नहीं लगना चाहिये। कंट्री-मेड शूज़ हमारे यहां रेगर, मोची आदि घर बैठ कर बनाते हैं। चमड़े पर आप टैक्स लगा देते हैं, और शूज़ बनाकर बेचने पर भी टैक्स लगाते हैं तो यह उन पर डबल टैक्स हो जाता है। कानपुर आदि स्थानों से चमड़ा मंगायेंगे उस चमड़े पर भी टैक्स लेंगे और जूते बनाकर बेचेंगे उस पर भी टैक्स लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिये।

अब सवाल आता है, "Articles ordinarily prepared by Dhabas, Hotels and by Halwais, if sold by them."

माननीय चेयरमेन महोदय, इसके लिये मैं जोर से अपील करूंगा। जो चीज हलवाई बनाते हैं उन पर भी सेल्स टैक्स लगेगा तो पूड़ी का भाव आठ आना पाव से ६ आना पाव हो जायगा, मुझे तो उससे तकलीफ होगी ही, लेकिन दूसरे लोग बाहर से आते हैं वे बाजार में खाते हैं या होटलों में खाते हैं उनको भी बड़ी दिक्कत हो जायगी।

शिड्यूल में अगर यह रखा गया तो जब होस्टल में आयेंगे तो मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि यह कानून लगने के बाद अगर आप गवर्नमेंट होस्टल में खाना खाओगे तो फिर वहां आप पर टैक्स लग जायगा। "Articles ordinarily prepared by Dhabas, hotels and by Halwais, if sold by them."

अगर वह खुद बनाकर ही बेचता है तब तो उस पर यह टैक्स नहीं लगना चाहिए, और अगर वह खुद बनाकर दूसरे दुकानदारों को बेचने के लिए देता है, जैसे कि बीकानेर में रसगुल्लों का बिजनेस होता है, एक बड़ा व्यापारी तैयार करके दूसरे व्यापारियों को दे देता है और

[श्री मोतीलाल चौधरी]

इस तरह से कोई व्यापारी बिज़नेस करता है तो उस पर टैक्स ले सकते हैं। जो खुद ही बनाता है और खुद ही बेचता है, उस पर यह टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद है: "Articles made by kumbhars."

कुम्हार हांडियां बनाता है। मंत्री सोचते होंगे कि हांडिया पीतल की होंगी, पर उनको मालूम होना चाहिये कि गरीब किसानों के घर में मिट्टी की हांडियां हैं। राबड़ी रांधण री हांडियां माटी री होवे है। इस पर अगर १ पैसा टैक्स लगा देते हैं तो इसका बोझा गरीबों पर पड़ेगा। मैं इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर और राजस्व मंत्री से अपील करूंगा कि: "Raw wool and woolen products produced or manufacuured from Rajasthan wool."

इसके ऊपर सिद्धान्ततः टैक्स नहीं लगना चाहिये। दूसरा वूल प्रोडक्ट, जो स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया से आता है उस पर सेल्स टैक्स लगाइये, पर हमारे देश में इतनी बड़ी तादाद में उनकी पैदावार होती है वह अधिकांश विलायतों में जाती है, रॉ वूल फोरेन में जाती है। इसीलिए हमारे यहां वूल इन्डस्ट्री नहीं पनप सकी है। जो थोड़ी बहुत ऊन की प्रोडक्ट हमारे यहां होती है गलीचे वगैरह तैयार होते हैं, इस तरह की यहां पर बनी चीज़ों पर अगर सेल्स टैक्स लगायेंगे तो जो भी थोड़ी बहुत वूल इन्डस्ट्री हमारे यहां है वह भी पूरी तौर से खत्म हो जायगी।

बंगाल में जूट एक खास मेटीरियल है और वहां पर जूट को सेल्स टैक्स से हटा कर अलग रखा गया है। वहां इतना जूट पैदा होता है कि अगर इस पर सेल्स टैक्स लगाया जाय तो सेल्स टैक्स से कुल मिला कर जो आमदनी होती है उसके बराबर आमदनी केवल जूट पर कर लगाने से हो सकती है। वहां पर जूट इन्डस्ट्री को पनपाने के लिहाज से ही वहां पर इस पर टैक्स नहीं लगाया गया है इसके बाद :

" Wool products " दूसरी वूल के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं, परन्तु राजस्थान की वूल और राजस्थान की वूल प्रोडक्ट हो, उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये, नहीं तो गरीबों पर बोझा पड़ेगा।

इसके अलावा "Firewood and charcoal used for domestic purposes." इसके लिए जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है पर बड़े बड़े कारखानों में यह चीजें इस्तेमाल में आती है वहां उन पर सेल्स टैक्स लगायें, तो अच्छा है। लेकिन डोमेस्टिक कामों में घरेलू कामों में यह चीजें इस्तेमाल में आती हैं, वहां इन पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए।

"Edible oils" इसके अन्दर मेरे और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन में इतना फर्क "Excluding Banaspati oil." [illegible] है। मैं

[श्री मोतीलाल चौधरी]

माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनको जरूर ग्रहण करें और हाउस से अपील करूंगा कि इसे स्वीकार करना चाहिये।

(श्री मुक्तिलाल मोदी बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति—किस पर बोलेंगे आप ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—सपोर्ट करूंगा।

श्री सभापति—काफी सपोर्ट हो चुका है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—कहां साहब, अभी तो एक भी सपोर्ट पर नहीं बोला।

माननीय चेअरमेन साहब, वह अवनीकुमारजी और श्री एन. के. व्यासजी ने अमेंडमेंट रखे हैं, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। परन्तु एच. के. व्यासजी ने बीड़ी का जो संशोधन रखा है उसका विरोध भी करता हूं। इसके अन्दर मन्त्रीजी को चाहिये था कि जैसे गांवों में कोई कुम्हार बरतन बनाता है, कोई मोची जूतियां बनाता है, खजूर की इन्डस्ट्री है, लोहार, बढ़ई का काम, इन सब कामों को सिखाने के लिए जो स्कूल खोले जायेंगे वहां पर भी अगर टैक्स लगायेंगे तो कैसे पार पड़ेगा ? तो इस तरह कई चीजें ऐसी हैं जिन पर कि टैक्स नहीं होना चाहिये। कई चीजें ऐसी हैं जिनको कई सदस्य खाते हैं, अंडे खाते हैं उन पर टैक्स माफ कर दिया है। यह एच. के. भी खाता है। मांस अंडे जैसी चीजें हैं, इन पर चार गुना, आठ गुना टैक्स लगाना चाहिए।

श्री जवानसिंह—इसलिए कि आप नहीं खाते।

श्री मुक्तिलाल मोदी—पशु बलि का बिल आया था उसका कारण ही यही है। मैं तो कहूंगा कि ८ गुना टैक्स लगा दीजिए; फिर लोग पशु काटना ही भूल जायेंगे, पशु काटना छोड़ देंगे। इसमें इन चीजों को तो छोड़ दिया गया है, और कुम्हार के बरतनों पर खाने पीने की चीजों पर, बैल मवेशी के ऊपर टैक्स लगाते हैं। इससे तो यह जो बिजनेस होता है वह बिल्कुल ही बन्द हो जायगा।

दूसरे प्रान्तों में जो चीजें वहां पैदा होती हैं उन पर वहां की सरकारों ने टैक्स नहीं लगाये हैं। यहां पर भी सरकार को देखना चाहिये कि जो चीजें ऊन आदि यहां पैदा होती हैं उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—आपका बाकी भाषण कल हो।

श्री सभापति—आप तो आज ही खत्म कर दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जिन चीजों पर सरकार को ८ गुना टैक्स लगाना चाहिये था, उसको सरकार ने माफ कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि सरकार को यह चाहिये था कि जो उद्योग की चीजें हैं, जो गरीब लोग बेचारे रोज बरतते हैं, और जो थोड़े से उद्योग-धन्धे हैं, वे इस प्रकार के टैक्स लग जाने से पनप नहीं सकेंगे। इसलिए ऐसा क्यों रखा जाता है? अगर ऐसा होगा तो राजस्थान के बाहर लोग चले जावेंगे और वहीं चल कर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आज-कल भी काफी लोग बाहर चले गये हैं। हां, कुछ लोग जो यहां पर बचे हैं वे भी अपने गुजारे के लिए बाहर जाने को तैयार हैं। इसलिये ऐसी चीजों पर जो सब के काम आती है उन पर टैक्स नहीं होना चाहिये। बुनकर जो हैं वे कपड़ा बुन कर अपना पेट पालते हैं। आपने अन्डे आदि पर टैक्स माफ किया है। मैं बार बार माननीय मंत्री से कहूंगा कि उन पर ८ गुना टैक्स लगना चाहिये था। इस पर इसलिये नहीं लगता कि बहुत से एसेम्बली के सदस्य खाते हैं, और व्यासजी भी खाते हैं। अगर उन पर ८ गुना टैक्स लगता तो भी माननीय सदस्यों को कोई एतराज नहीं होना चाहिये, और मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य—आप भी खाते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं नहीं खाता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप चुपके चुपके खाते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—परन्तु यह जो टैक्स लगाया जा रहा है, मैं सरकार से यह कहूँगा कि सरकार को इस पर सोचना चाहिये। इस पर आप एक दिन का समय लें या आधे दिन का समय लें, लेकिन जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरत की और रोजाना काम में आने वाली हैं और छोटे छोटे उद्योग-धन्धों द्वारा पैदा की जाती हैं और जिससे लोग अपना गुजारा करते हैं उन पर टैक्स सरकार न ले तो ज्यादा अच्छा होगा, बनिस्पत कि उन चीजों पर टैक्स लगाया जावे। लग्जरीज पर टैक्स ज्यादा कर दें और कोर्स कपड़े पर न लगावें तो अच्छा होगा। सुपर फाइन कपड़े पर आप और भी ज्यादा टैक्स बढ़ा सकते हैं, कोर्स कपड़े पर माफ करना चाहिए, इस बात में मुझे कोई एतराज नहीं।

श्री सभापति—आपको जवाब देना है। क्लॉज ८ भी बाकी है।

श्री भोलानाथ—थोड़ा सा ६ वां भी बाकी है। नेक्स्ट डे को पूरा हो जावेगा।

श्री सभापति—समय हो गया है। आज की कार्यवाही १८ तारीख को सुबह ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ६ मिनट मध्यान्ह में दिनांक १८ अक्टूबर, १९५४ के ८ बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १५ अक्टूबर, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्न कर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है ।)

प्रश्न

२००४ (१५७-एम-एच-एम) **श्री हंसराज जटिया एम. एल. ए; डिविजन नम्बर ५२**—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बाड़ी शफाखाना, धौलपुर 'ए' क्लास में है ?

(ख) क्या उपरोक्त शफाखाने में जच्चा खाना भी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी ?

उत्तर

(क) जी नहीं, यहां द्वितीय श्रेणी की डिस्पेन्सरी है ।

(ख) यहां अलग प्रसूतिगृह तो नहीं है, परन्तु इस डिस्पेन्सरी में ४ मरीजों के रहने की व्यवस्था है जहां जच्चायें भी भर्ती की जा सकती है, और मिडवाइफ की भी व्यवस्था है ।

प्रश्न

२००७ (१५८- एम-एच-एम) **श्री तनसिंह एम. एल.ए. डिविजन नम्बर १४८**—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में नाहरू की बीमारी के कितने केसेज़ गत और इस वर्ष हुए हैं ?

(ख) राजस्थान सरकार ने इस बीमारी की रोकथाम के लिये अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

(क) आंकड़े अभी आये नहीं, प्राप्त किये जा रहे है ।

(ख) कुओं और बावड़ियों के पानी को शुद्ध रखने के लिए दवा-डाली गयी है, और दवा की गोलियां (Draculan tablets) बांटी गयी हैं। आवश्यकता पड़ने पर शल्य चिकित्सा भी की गई है। बावड़ियों को कुवों में परिणित करने की योजना तत्परता से सरकार केविचाराधीन है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत एक आला हकीम की नियुक्ति की जा चुकी है। कमिश्नर की रिपोर्ट है कि वह अच्छा कार्य कर रहा है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २००५ का उत्तर देखिये)

List of appended to replies to Starred Question" No. 584

		Bill No.	
17-4-54	Exucutive Engineer, District Division P. W. D., Jodhpur.	31. 32	913/2/-
,,	Superintendent, Govt. Press, Udaipur.	49	50/13/-
,,	Superintendent, Govt. Press, Jodhpur.	88	291/1/6
21-8-54	Superintendent, Government Press, Bikaner.	121	6,201/5/1
15-5-54	Superintendent, Govt. Press, Jodhpur.	263	431/9/9
22-5-54	Superintendent, Elec. & Mech. Deptt., Karauli.	339,340	173/14/-
,,	-do- Jhalawar	344, 345	188/-/-
28-5-54	District & Session Judge, Kotah.	418	59/-/-
,,	Civil & Additional Session-judge, Baran	421	19/4/-

8-6-54	Collector, Rehabilitation Kotah.	478	95/4/-
,,	Ex. Engineer, B & R, P. W. D., Udaipur.	479	1,325/9/-
,,	Distt. & Asstt. Custodian Kotah.	463, 64	195/1/-
,,	Ex. Engineer, Chambel Project, Kotah.	479	1,225/9/-
12-6-64	Munsif & Distt. Magistratte, Akhlera.	508	62/9/-
,,	Munsarim, Purejat Katra, Allahabad.	500	23/13/-
,,	Commissioner, Bikener.	526	7/3/-
,,	Supdt. of Police, Udaipur.	505	62/-/-
,,	Supdt. Govt. Press, Udaipur	516	1,182/9/9
,,	Asstt. Supdt. Govt. Press, Alwar.	499	51/3/-
26-6-54	Munsif, Bhawani Mandi	619, 20	289/11/-
,,	Principal, R. R. College. Alwar.	600	29/13/3
,,	Executive Engineer, Jawai Canel, Erinpura Raod.	599	36/11/-
26-6-54	Principal, Extension Training College, Kotah.	601	11/5/-
,,	Civil Judge, Sikar	604, 605	145/6/-
,,	Munsif & Megistrate, Sawai Madhopur.	602, 603	152/13/-

16-7-54	Supdt. Govt. Press, Bikaner.	739	438/12/-
,,	Employment Officer, Bikaner	732	22/3/-
,,	Director of Education M. R. Range, Udaipur.	733	61/3/-
	Munsif, Deeg Bayana, Bharatpur	734	155/1/-
,,	Collector, Rehabilitation Jhalawar.	731	27/10/-
,,	Executive Engineer, district P. W. D. (B & R) Bikaner	727	157/2/-
,,	Civil & Additional Session Judge, Jhalawar	701	298/9/-
,,	Officer I/C, Lock-up, Chabra	699	11/1/-
,,	Executive Engineer,		
,,	Jawai Division. Erinpura Road	703	554/6/-
,,	Addl. Dy. Custodian, Evacue Proper, Bharatpur	700	30/5/-
21-7-54	Supdt. Govt. Press, Jodhpur.	675	2,671/14/-
,,	Supdt. Govt. Press. Bikaner.	753	4,221/14/-
26-7-54	Manager, Govt, Agri Farm, Tonk.	769	3/7/-
3-8-54	Executive Engineer, Sri Ganganagar.	817	257/1/-
,,	Executive Engineer, Bikaner.	794	417/11/-
,,	Collector, Sikar.	800	177/10/-
,,	Munsif, Sikar.	770-771	197/6/-
9-8-54	Supdt. Govt. Press, Bikaner.	868	300/-11/-
,,	Supdt. Govt. Press, Jodhpur.	675	2,671/14/-

Page No.108

13-8-54	Supdt. Govt. Press, Bikaner.	885	676/-/-
"	Supdt. Govt. Press, Jodhpur.	889	4,241/4/-
17-8-54	Supdt. Govt. Press, Bikaner.	909	1,462/8/-
22-8-54	Supdt. Govt. Press, Bikaner.	915	3,305/14/-
"	District & Session Judge, Jhunjhunu.	829, 830	285/12/-
29-8-54	Public Prosecutor Alwar	971	7/8/-
"	Civil & Additional Session Judge, Gangapur.	968	132/3/-
"	Superintendent of Police, Chittorgarh.	967	31/8/-
	P. P. Kotah.	973	8/14/-
28-8-54	" " Bikaner	974	8/14/-
"	" " Bharatpur	972	10/10/-
"	" " Nagaur	975	8/14/-
30-8-54	" " Pratapgarh	978	14/8/-
"	" " Gangapur City	977	5/4/-
"	" " Pokarana	970	8/14/-
"	" " Jhalawar	976	8/14/-
"	" " Tonk.	969	8/14/-
		Rs.	36,226/11/3